खण्ड-299, अंक-9
सोमवार, 23 श्रावण, शक संवत् 1894
(14 अगस्त, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 299 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..1203–1207
उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 पर विचार एवं पारण के समय अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...(जारी)	..1207–1208
प्रश्नोत्तर	..1208–1241
उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक 1972 पर विचार एवं पारण के समय अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...(जारी)...	1241
उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972...(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	1242
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972...(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	1242
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972...(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)..	1242
उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	1242
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972...(विधान परिषद् से वापसी की की सूचना)..	1242
उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972...(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	1242
उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 पर विचार एवं पारण के समय अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...(जारी)...	1243–1256
सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	..1256–1259
उत्तर प्रदेश भूमि विकास–कर विधेयक, 1972 पर विचार एवं पारण के समय अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	..1260–1262
3 अगस्त, 1972 को अविश्वास के प्रस्ताव पर लिखित डिवीजन के परिणाम में शोधन की सूचना	1262
उत्तर प्रदेश भूमि विकास - कर विधेयक, 1972 पर विचार एवं पारण के समय अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	..1263–1264
स्वाधीनता की रजत जयन्ती समारोह के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	..1264–1265
थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ के नायब दरोगा तथा हेड कान्सटेबिल के विरुद्ध श्री राम वचन द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1265–1266

विषय	पृष्ठ-संख्या
समाजवादी दल के कार्यालय का टेलीफोन काट दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव, विधान सभा के विरुद्ध श्री अनन्त राम जायसवाल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..1266–1267
उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 को पारित किये बिना विधान परिषद् के विचारार्थ भेजे जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री के विरुद्ध श्री रामधारी शास्त्री आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना...(जारी)	1268–1269
4 अगस्त, 1972 को उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 से सम्बन्धित हुई कार्यवाही को सदन की कार्यवाही से निकाल देने का प्रस्ताव ..	1269
उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 को पारित किये बिना विधान परिषद् के विचारार्थ भेजे जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री के विरुद्ध श्री रामधारी शास्त्री आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ।	1270
जिला फैजाबाद के ग्राम जैतपुर टिकरी के हरिजनों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..1270–1279
स्वतंत्रता की रजत जयन्ती समारोह में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों को आमन्त्रित करने तथा ताम्र-पत्र पाने वाले व्यक्तियों को सदन की दीर्घाओं में बैठने की अनुमति देने का सुझाव ..	..1279–1280
समोधपुर, जिला, जौनपुर के गांधी स्मारक कालेज में पुलिस तथा पी० ए० सी० की तैनाती के सम्बन्ध में वक्तव्य	..1280–1285
प्रदेश के विभिन्न जिलों में हैजे तथा चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य	..1285–1297
ग्राम रिकुआरेडीह, थाना मऊ, जिला आजमगढ़ के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा पुलिस की साजिश से हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..1297–1307
ग्राम मछरई, जिला मुरादाबाद में अग्निकांड से हरिजनों के जल जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ।	..1307–1312
कार्य-स्थगन प्रस्तावो की सूचनाएं	1312–1318
उत्तर प्रदेश बेकारी निवारण विधेयक, 1972...(पुरःस्थापित किया गया)	1318–1319
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..1319–1323
सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव...(स्वीकृत)...	1323
उत्तर प्रदेश सचिवालय में टाइपिस्टों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के आदेश के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	..1324–1325
नत्थियां	..1326–1334

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 14 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 388

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमदलूत खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्र लाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषि पाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'मधुदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छागुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण', श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुष धारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री

बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ , श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भइया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल बमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मंनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री

राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, स्त्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)

शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दरलाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिवल्ल काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह,
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—राज्य सूचना मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 पर विचार एवं पारण के समय अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 4 तारीख को जब यह असेम्बली बन्द हुई तो उस दिन भूमि विकास कर नाम का जो काला कानून इस सदन में पेश हुआ था उस पर इस सदन में न कोई चर्चा हो पायी, न सदन में राय ही ली गयी, किन्तु आज के एजेन्डे की मद सं० 3 में यह है कि सचिव, विधान सभा यह सूचित करेंगे कि उक्त बिल विधान परिषद् से पास हो गया है .....

श्री अध्यक्ष—

अभी तो प्रश्नोत्तर लिये जायंगे, यह उसी का समय है, जब वह विषय आये तब आप अपनी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता। आपका यह प्रश्न.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह व्यवस्था का प्रश्न है, यह आज के एजेन्डे में है।

श्री अध्यक्ष—

इस समय यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब इस विषय की सूचना दी जाय तब आप कहें अभी प्रश्न होने दें।

प्रश्नोत्तर

सोमवार 14 अगस्त, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में भूमि का नया बन्दोबस्त

**1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार राज्य में नया भूमि बन्दोबस्त कराने जा रही है? यदि हां, तो क्यों और इसका आधार क्या होगा?

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

जी हां। पिछले बन्दोबस्त से आज तक भूमि के बन्दोबस्त सम्बन्धी जो असमानतायें उत्पन्न हुई हैं, नवीन भूमि व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुये और किस्म जमीन में हुई तब्दीलियों को देखते हुये भूमि का नया बन्दोबस्त आवश्यक है। इसके आधार सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर शासन विचार कर रहा है।

कृषि निदेशालय में सीनियर नोटर और ड्राफ्टर की नियुक्ति

**2—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जून, 1971 में मिनिस्टीरियल कैडर के सीनियर नोटर और ड्राफ्टर के पदों पर अधीनस्थ कार्यालय के कुछ ऐसे कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं जिन्होंने निदेशालय की तदर्थ निर्धारित परीक्षा पास नहीं की है? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति का आधार क्या है और क्या उक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार के पास निदेशालय के मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की ओर से 13 जुलाई, 1971 को कोई ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री राम लखन)—

सीनियर नोटर और ड्राफ्टर के एक पद पर जून, 1971 के बजाय मई, 1971 में नियुक्त की गई थी। उक्त स्थायी कर्मचारी को कृषि उद्योग निगम द्वारा प्रत्यावर्तित किये जाने पर कृषि निदेशालय में अस्थायी रूप से, उनके मामले में अन्तिम निर्णय होने तक, तैनात कर दिया गया। मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ का दिनांक 5 जुलाई, 1971 का ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ। शासन द्वारा उक्त कर्मचारी को कृषि निदेशालय के बजाय अधीनस्थ कार्यालय में खपाने के आदेश प्रसारित किये गये।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन को 5 जुलाई, 1971 को जो ज्ञापन दिया गया उसमें संघ की मुख्य-मुख्य मांगें कौन सी ह ?

श्री राम लखन—

मुख्य मांग यह थी कि निदेशालय में जिस बाहरी व्यक्ति को पदोन्नति दी गई है वह उनके कैडर का नहीं है, वह बाहर से आया है, अतः उस पद पर उस निदेशालय के कर्मचारियों में से ही किसी की पदोन्नति की जाय। उस कर्मचारी को वापस ले लिया गया।

श्री राम गोपाल संड—

इस विभाग में अन्य पदों पर परीक्षा लेकर कब तक कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री रामलखन—

इसकी व्यवस्था शीघ्र की जा रही है।

श्री सजीवनलाल—

उस कर्मचारी को जो वापस किया गया है वह किस स्थान पर किया गया है ?

श्री रामलखन—

जिस स्थान से वह आया था उसी स्थान पर वापस भेजा गया है ।

श्री सजीवनलाल—

जब उनको वापस भेजा गया तो उसी पहले वाले स्थान पर क्यों भेजा गया ?

श्री रामलखन—

जिस स्थान से वे आये थे का मतलब है जिस कैडर से आये थे उनको उसी कैडर में वापस भेज दिया गया।

श्री रामगोपाल संड—

यह आदेश प्रश्नकर्ता के प्रश्न के बाद किये गये या पहले ?

श्री रामलखन—

जब उन कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया था तभी यह आदेश दिये गये थे।

श्री रामगोपाल संड—

यह आदेश कब दिये गये ? कब उनका रिवर्जन हुआ ?

श्री रामलखन—

शासन ने 3–5–1972 को आदेश जारी किये थे ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत सेवाओं से संबंधित नियमावली क्या बन गयी है ?

श्री रामलखन—

सेवा नियमावली बनायी जा रही है।

हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन, मिर्जापुर द्वारा बिजली हेतु प्रार्थना-पत्र

**3—श्री श्यामलाल रावत (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन, मिर्जापुर ने अपने प्रतिष्ठान में उत्पादन बढ़ाने हेतु नया प्लान्ट स्थापित किया है तथा सरकार से तुरन्त बिजली दिये जाने के लिये प्रार्थना की है? यदि हां, तो क्या सरकार ने बिजली दिये जाने की स्वीकृति दे दी है तथा किस दर पर?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी हां, प्रार्थना राज्य विद्युत परिषद् से की है। राज्य सरकार ने विद्युत परिषद् को सुझाव दिया है कि हिन्दुस्तान अल्युनियम कारपोरेशन को उनके विस्तार कार्यक्रम के लिये बिजली परिषद् के एच0 वी0 टेरिफ through रेट जो इस समय 7.56 पैसे प्रति यूनिट आता है से नियमानुसार फ्युयेल चार्ज जो इस समय 0.923 पैसे है, के आधार पर दी जाय। इस यूनिट चार्ज पर नियमानुसार प्रथम 3 वर्षों पर 15 प्रतिशत की छूट भी उपलब्ध रहती है?

जय नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ के अध्यापकों की सेवाओं की अनियमित समाप्ति सम्बन्धी जांच

**4—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जय नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ के कुछ स्थायी अध्यापकों की सेवायें जुलाई, 1972 में जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति के बिना समाप्त कर दी गई हैं क्यों? क्या इस सम्बन्ध में कुछ विधायकों का पत्र जांच कराने हेतु शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी विधायक का पत्र जांच कराने हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, यह जो उत्तर मंत्री जी दे रहे हैं, वह सही नहीं है मैं श्रीमन् जी के सम्मुख ओरिजनल पत्र पढ़े देता हूं दिनांक 7 जुलाई, 1972 का। प्रेषक—श्री बी0 एन0 भट्टाचार्य, प्रधानाचार्य, सेवा में—श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र। महोदय, "मुझे मंत्री—प्रबन्धक द्वारा आदेश हुआ है कि मैं आपको सूचित कर दूं कि इस विद्यालय के प्रबन्धीकरण ने आपकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ के पास उपर्युक्त निर्णय के अनुमोदन हेतु पत्रजात भेजे जा चुके हैं। अतः आप को दिनांक 8 जुलाई, 72 से विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ के निर्णय आने के उपरान्त आप को पुनः सूचना दी जायगी।"

श्रीमन्, इसकी प्रतिलिपि भी जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हुई है।

अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र मैंने पढ़ा है, क्या इसकी सूचना मंत्री जी को है? यदि नहीं, तो क्या वह उक्त अधिकारी के खिलाफ कायवाही करने की कृपा करेंगे, जिन्होंने गलत कार्यवाही की है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

विद्यालय की फीस इत्यादि के गबन का उनके विरुद्ध केस है, आरोप है। उनके खिलाफ प्रबन्ध समिति अपनी कार्यवाही करती है और उसने अपना एक निर्णय लिया है और वह तब होता है जब जिला विद्यालय निरीक्षक की उस पर एप्रूवल हो जाए।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मैं अपना मल प्रश्न फिर पढ़े देता हूं, क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जय नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ के कुछ स्थायी अध्यापकों की सेवायें जुलाई, 1972 में जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति के बिना समाप्त कर दी गई हैं क्यों? क्या इस सम्बन्ध में कुछ विधायकों का पत्र जांच कराने हेतु शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?" मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि "नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी विधायक का पत्र जांच कराने हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।" मैं दूसरी चिट्ठी भी पढ़ दूं 10 अगस्त, 72 को जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ की है। "श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक (एल0 टी0) श्री जय नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ की सेवा समाप्त का प्रकरण। श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, दिनांक 18-7-68 से स्नातक वेतन-क्रम में विज्ञान अध्यापक के पद पर श्री जय नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ में कार्य कर रहे हैं तथा वे स्थायी हैं। निर्णय--- उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अध्यापक ने दो सौ अठहत्तर रुपये तथा पांच पैसे का धनापहरण किया है तथा अपने बचाव में वह कोई ठोस प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अतएव माध्यमिक शिक्षा संशोधित अधिनियम की धारा 16 जी 3 (बी) के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तावित दण्ड सेवा से पृथक्करण (रिमूवल फ्राम सर्विस) का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।" यह 10 अगस्त को है। मंत्री जी ने कहा कि कोई चीज नहीं है। तो क्या प्रधानाचार्य ने कोई चिट्ठी लिखी कि 8 जुलाई से वह टीचर हटा दिया गया है और 10 अगस्त को उसकी एप्रूवल हुई। 28 जुलाई का मेरा प्रश्न है और 5 अगस्त को यह सरकार के पास गया है और 10 अगस्त को यह आर्डर किये हैं तो क्या मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह कहना कि प्रश्न के बाद आदेश हुए हैं सही नहीं है। प्रश्न यह है कि उनके ऊपर 278.05 पैसे के अपहरण का अभियोग है। उस पर प्रबन्ध समिति ने एक निर्णय लिया और उन्होंने उसे नियमानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा और उसके ऊपर उनके यहां क्या निर्णय हुआ, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन किसी अध्यापक का कोई एप्वाइन्टमेन्ट या टरमिनेशन बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की एप्रूवल के नहीं होता है। यदि किसी के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक का एप्रूवल हो गया है तो वह डी० डी० आर० के यहां से उचित माध्यम से कार्यवाही करा सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

बिना एप्रूवल के किसी अध्यापक की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती हैं। जो पत्र प्रधानाचार्य ने दिया है, क्या उसको मंत्री जी अवैधानिक घोषित करने की कृपा करेंगे कि बिना एप्रूवल के क्यों सेवा से उसे पृथक किया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, प्रबन्ध समिति अपना निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति को भी सूचित करती है। लेकिन वह अन्तिम निर्णय नहीं है। यदि निलम्बित हैं तो निलम्बन माना जायगा, जब तक जिला विद्यालय निरीक्षक का एप्रूवल न हो जाय। अगर इस तरह का कोई निर्देश है तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसी भी टीचर का टर्मिनेशन या डिस्मिसल जो एग्जिक्यूटिव कमेटी करती है तो उसी तारीख से जिस दिन वह कर देती है जिस दिन निर्णय लेती है भले ही डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स का एप्रूवल मिले या न मिले और यह प्रतिबन्ध कर देती है कि

इन चार्जेज के ऊपर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स अपना निर्णय देंगे, अगर किसी सूरत में ऐप्रूवल नहीं दिया तो उतने दिन का वेतन उसको देना पड़ता है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक्जिक्यूटिव कमेटी को यह अधिकार है या नहीं कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की स्वीकृति के पहले इस उम्मीद में कि स्वीकृति मिल जायगी वह एक्जिक्यूटिव कमेटी जिस दिन निर्णय लेती है उसी दिन से उसकी सर्विस टर्मिनेट कर देती है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उम्मीद पर सब कायम है। लेकिन उम्मीद पर नहीं माना जाता, अन्तिम निर्णय जिला विद्यालय निरीक्षक के एप्रूवल के बाद होता है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

2 रुपये 5 पैसे का गबन है, मैं समझ रहा हूं, क्या होगा? उस अध्यापक ने टी0 सी0 वगैरह का कुछ रुपया लिया होगा। दूसरे दिन जमा किया होगा। मैनेजर साहब उसको निकालना चाहते होंगे तो चार्ज बना दिया होगा। क्या मंत्री जी स्पष्ट आदेश प्रसारित करेंगे कि जब तक जिला विद्यालय निरीक्षक अनुमति न दें तब तक भविष्य में किसी टीचर या प्रधानाचार्य को नहीं निकाला जायगा?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

2 रुपये का प्रश्न नहीं है। 278.05 रुपये का प्रश्न है। लेकिन उसके साथ-साथ प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट ऐक्ट के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक के एप्रूवल के बाद ही कोई निष्कासित होता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं जानना चाहता हूं, आज इस सदन में प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि कोई अध्यापक निष्कासित नहीं किया गया है, क्या सरकार यह मानती है कि आज भी वह अध्यापक जिसका प्रश्न में उल्लेख है सेवा में बना हुआ है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति को पढ़ा, यदि अनुमति कार्यालय में पहुंच गयी होगी तो निष्कासन की प्रक्रिया पूरी हो गयी होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मूल उत्तर यह है सरकार का कि इस प्रकार का कोई निष्कासन नहीं हुआ, जहां तक मैं सुन पाया और जो दूसरा मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है, दोनों में भिन्नता है। मंत्री जी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ होगा, इस सदन में अगर ऐसा हुआ है तो उसकी सूचना आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं आपकी इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह विशेषाधिकार का सीधा-सीधा उल्लंघन नहीं है? इन तथ्यों को छिपाया गया है, इसके पूर्व इंस्पेक्टर ने अनुमति दे दी, और इस सदन में गलतबयानी की जा रही है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माननीय सदस्य से मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य की सूचना को सही मान कर मैं उत्तर दे रहा हूं। प्राप्त सूचना के आधार पर 10 तारीख को उत्तर तैयार किया गया। 12–13 को छुट्टी थी। पता नहीं कि जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति अब तक वहां पहुंची है या नहीं। उस समय वह सूचना वहां नहीं पहुंची थी। उस आधार पर उत्तर तैयार करके प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसकी गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं। 7 तारीख को उनको आदेश दिया जाता है कि आप की सेवा समाप्त। 8 तारीख से आने नहीं दिया जाता। निलम्बित नहीं हैं। इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की अनुमति भी प्राप्त नहीं है। यह गम्भीर स्थिति है। आपने इसे मान लिया है कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के अनुमोदन के बिना अध्यापक निकाला जाता है तो हाहाकार मच जायगा। लिहाजा आप इसे निरस्त करें और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की आज्ञा के बिना कोई अध्यापक निकाला नहीं जा सकेगा?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं कि इंटरमीडिएट ऐक्ट के आधार पर अध्यापकों को पूरा संरक्षण प्राप्त है कि प्रबन्ध समिति अगर उल्टे सीधे आदेश पास करती है तो उस पर बांइंडिग नहीं हैं। जिला स्कूल्स निरीक्षक और उच्चाधिकारियों के आदेशों के बिना प्रबन्ध समिति ने अगर कोई निर्णय ले लिया है तो अपने आप वह निरस्त हो जाता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती। जिला विद्यालय निरीक्षक का जो निर्णय होगा वह अन्तिम निर्णय होगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना अध्यापक को निकाला गया। यदि यह सही है तो उचित कार्यवाही हेतु क्या सरकार कोई कदम इस सम्बन्ध में उठायेगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

निकाला नहीं गया। उन पर धन के अपहरण का दोष पाया गया। उस पर मामला चला और प्रबन्ध समिति ने उनके खिलाफ निर्णय लिया और उसको जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति के लिये भेज दिया।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं पुनः 7 जुलाई के पत्र को दोहरा रहा हूं जिसमें यह लिखा था कि आपकी सेवायें 8 जुलाई से समाप्त कर दी गयीं विद्यालय से और उसकी प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी गयी। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जब तक जिला विद्यालय निरीक्षक उसका अनुमोदन न कर दे अध्यापक महोदय को नहीं निकाला जा सकता है तो इस तथ्य को मानते हुए कि उनको 8 जुलाई को अध्यापक महोदय को निकाल दिया गया और 10 अगस्त को उसका एप्रूवल हुआ क्या प्रबन्ध समिति ने इस कानून की अवहेलना नहीं की? यदि की तो सरकार प्रबन्ध समिति के खिलाफ जांच करवा कर कार्यवाही करेगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यदि प्रबन्ध समिति ने ऐसे कोई आदेश पारित किये हैं जो नियमानुकूल नहीं हैं तो उनके खिलाफ जांच की जायगी।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1 जिस समय आपने पुकारा था तो चौधरी साहब उपस्थित नहीं थे और हिम्मत सिंह जी ने कहा था कि उनकी दिलचस्पी है। नियम यह है कि जब सूची समाप्त हो जाय तो आप इसको ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि अगर सदस्य गैरहाजिर हो तो फिर आखिर में वह सवाल लिया जायगा।

श्री बलवीर सिंह—

मेरा निवेदन यह है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न समाप्त हो गये हैं। लिहाजा आखिर में प्रश्न संख्या 1 को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि जब समस्त प्रश्न समाप्त हो जायं और समय शेष हो तो अध्यक्ष पुनः पुकार सकते ह।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

दोहारी क्षेत्र तथा कासगंज क्षेत्र में चीनी की दुकान हेतु प्रार्थना-पत्र

*1—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा की कासगंज विधान सभा दोहारी क्षेत्र और नगर कासगंज क्षेत्र के लिये कितने प्रार्थना-पत्र चीनी की दुकान लेने के लिये जिला पूर्ति अधिकारी, एटा को वर्ष 1971–72 में प्राप्त हुए और किस-किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में चीनी की दुकान दी गई और किस-किस को नहीं दी गई? दुकान देने और न देने के आधार क्या थे?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है यह मान कर कि दोहारी क्षेत्र का अर्थ डबल मेम्बर कांस्टीटूएनसी से है, उत्तर तैयार किया गया है और सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अन्तिम भाग के संबंध में यह सूचित करना है कि नई नियुक्तियां तहसीलदार, क्षेत्रीय विकास अधिकारी एवं विधायकों की संस्तुतियों पर यह ध्यान रखते हुये कि प्रार्थी उसी क्षेत्र का निवासी ह, ब्लक लिस्टेड नहीं ह एवं उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, की गयी हैं। कुछ प्रार्थियों को दूकान इस आधार पर नहीं दी गयी कि उस क्षेत्र में स्थान रिक्त नहीं था या उनमें उपवर्णित वांछित योग्यतायें या संस्तुतियां नहीं थीं। जिन पुराने दुकानदारों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी उन्हें प्राथमिकता दे कर दूकान दे दी गयी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1326 पर)

श्री नेतराम सिंह—

जितने प्रार्थना-पत्र जिला पूर्ति अधिकारी को प्राप्त हुए थे उन पर कितने विधायकों द्वारा संस्तुति दी गयी और उनमें से कितने स्वीकृति किये गये और कितने अस्वीकृत किये गये?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप विधायकों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, प्रश्न में जो पूछा गया है उसका ही उत्तर दिया गया है। हम माननीय सदस्यों, तहसीलदार और क्षेत्रीय विकास अधिकारियों की संस्तुति पर ही ये दुकानें एलाट करते हैं।

श्री नेतराम सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कन-किन माननीय सदस्यों की संस्तुति पर आपने दुकानों के एलाटमेंट को स्वीकार किया है और किन-किन सदस्यों के प्रार्थना पत्र अस्वीकार हुये हैं तथा जो अस्वीकार किये गये हैं उनका क्या कारण है?

ी यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैंने मूलभूत सिद्धान्तों को अपने उत्तर में बताया। किसी विशेष क्षेत्र में किसने संस्तुति की, इसकी चर्चा प्रश्न में नहीं की गई। मैंने यह बताया कि इन-इन लोगों की संस्तुतियों पर, अगर वे डिस्क्वालिफाइड नहीं, तो दुकानें एलाट की जाती हैं। जब पुराने दुकानदारों से जगह भर जाती है तो नये लोगों को नहीं दी जा सकती हैं।

श्री नेतराम सिंह—

श्रीमन्, मैंने तो यह पूछा था कि जो दुकानें दी गई हैं उनमें किन-किन विधायकों द्वारा की गई संस्तुतियों पर वे स्वीकार हुई हैं और कौन-कौन सी अस्वीकार हुई हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह तो दोहारी क्षेत्र की बात है। इसमें मैंने आप को बताया कि इस लिस्ट में निम्नलिखित न्याय पंचायतों में पुराने दुकानदारों की नियुक्ति की गई और इस प्रकार नये प्रार्थना-पत्रों का नम्बर नहीं आया।

श्री नेतराम सिंह—

मान्यवर, प्रश्न कुछ और ही है और उत्तर कुछ और ही मिलता है।

श्री अध्यक्ष—

वे पूछ रहे हैं कि विधायकों द्वारा जो-जो संस्तुतियां की गई हैं उनमें कौन-कौन से प्रार्थना-पत्र किस-किस के स्वीकार हुये हैं।

श्री नेतराम सिंह—

मान्यवर, जो बात मंत्री जी ने बताई है वह गलत है। ये दुकानें पैसा और सिफारिशों के द्वारा दी गई हैं।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, संस्तुति का मतलब सिफारिश ही है। मैंने जो उत्तर दिया है वह यह दिया कि ये तीन प्रकार के लोग संस्तुति करते हैं। सूबे में जो नीति अख्तियार की जाती है उसकी चर्चा मैंने की है। इस क्षेत्र के बारे में माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं पूछ लूंगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दुकानों के एलाटमेंट के लिये जो नियुक्तियां उन्होंने की हैं उसके सम्बन्ध में क्या कोई राजाज्ञा जारी हुई है जिससे यह स्पष्ट संकेत हो कि किन-किन को वरीयता दी जायेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, कुछ सिद्धान्त बनाये गये थे और वे सिद्धान्त ऐसे हैं जैसे पोलिटिकल सफरर हैं, हरिजन हैं और जिन पर डिस्क्वालिफिकेशन न लागू होती हो, उन पर विचार किया जाता है। जब पुराने लोगों द्वारा जगह न भरी जाती हो तो उस आधार पर नये प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाता है।

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, प्रत्येक जिले में खाद्य सलाहकार समितियां बनी हुई हैं। तो क्या इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन सदन को देंगे कि नये लोगों को दुकानें एलाट करने के पहले जिले की खाद्य सलाहकार समिति बुला ली जाया करे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

श्रीमन्, आप सभी लोगों से बात करने के बाद ही राजाज्ञा भेज दी गई है और ऐसे संकट के समय में मेरा ख्याल है कि आप लोगों की बैठकें हुई भी होंगी और आप से राय लेने के उपरान्त ही इनका एलाटमेंट किया गया होगा।

श्री रामधारी शास्त्री---

मान्यवर, किसी भी जिले में बैठक नहीं बुलाई गई है। सप्लाई आफीसर और तहसीलदार ने बैठकर इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर फिर से सरकार निर्णय ले।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

मान्यवर, मैं किसी जिला विशेष के सम्बन्ध में तो नहीं कह सकता हूं, किन्तु प्रश्न में जो पूछा गया था उसी के बारे में मैंने जानकारी कराई।

श्री शिवराज सिंह---

क्या यह सही है कि चीनी के थोक विक्रेताओं की नियुक्ति के संबंध में शासन की नीति यह है कि उसी विकास क्षेत्र के नागरिक को ही चीनी का थोक विक्रेता नियुक्त किया जाय?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

जी हां।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

जो जिले में खाद्य ऐडवाइजरी बाडीज हैं उनको जिले के कलेक्टर और सप्लाई आफिसर अपने विश्वास में नहीं लेते हैं बल्कि अपने आदेश से ही परमिट देने के आदेश जारी कर देते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि इस किस्म की दूकानें खाद्य ऐडवाइजरी कमेटी के अन्दर तय करके ही खोली जायं?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

इस तरह का आदेश उनके लिये जारी कर दिया जायेगा।

श्री नेतराम सिंह---

उत्तर में बतलाया गया है कि 13 प्रार्थनापत्र थे जिनमें से 9 को दुकानें दी गयी हैं तथा सर्वश्री गोवर्द्धन, जैनुद्दीन, जयराम और मोहन का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हो गया। तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनको अस्वीकृत करने के क्या कारण थे?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

जिन प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया गया, मैंने बतलाया कि कुछ मूलभूत सिद्धान्त थे और इन सिद्धान्तों के आधार पर ही वे अस्वीकृत किये गये। अगर आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बतला दूंगा।

श्री नेतराम सिंह---

तो मेरी सूचना को सत्य मान कर कि एटा के कासगंज के विधान सभाई क्षेत्र में जितनी चीनी की दूकानें दी गयी हैं उन सब में भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई है, क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

जी हां। (व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञान है कि दुकान देने के कुछ रूल्स हैं लेकिन उनके खिलाफ जगह-जगह ये दूकानें दी गयी हैं और वाकई इनमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसको देखते हुए क्या वे इसके लिये तैयार हैं कि पिछले 6 महीने के अन्दर जो दूकानें दी गयी हैं उनकी जांच करा करके सही करा दें ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जहां-जहां की स्पेसिफिक शिकायतें मुझे मिलेंगी, अवश्य जांच कराऊंगा ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ज्यादातर पुराने दूकानदार शहरों के ही रहने वाल हैं और देहाती क्षेत्र की अदालती पंचायतों की दूकानें उन्होंने ले रखी हैं ? यदि यह सिद्धान्त सरकार का है कि पुराने दूकानदारों को ही दूकानें दी जायं तथा शासन का यह आदेश है कि दूकानदार उसी क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिये, इससे विरोधाभास होगा, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी पुनः जिलाधिकारियों को यह आदेश देंगे कि जो दूकान जिस अदालती पंचायत क्षेत्र के लिये दी जाय, दूकानदार उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिये ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

पुरानों को इसलिये दिया गया कि तत्काल वहां हमारे लिये कोई एजेंसी नहीं थी। यदि यह सूचना मिली कि दूकानदार ब्लाक के आदमी न होकर शहर के रहने वाले हैं तो अवश्य उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और जो मुनासिब होगा कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि जिस अदालती पंचायत की दूकानें दी जायं, दूकानदार उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिये ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न के ऊपर आप कितनी देर तक जमे रहेंगे ?

गौतमबुद्ध विद्यालय, जोगिया (बस्ती) के अध्यापकों तथा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*2—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत गौतमबुद्ध विद्यालय, जोगिया को 1969–70 और 1971–72 वर्ष में अध्यापकों तथा कर्मचारियों को कितना-कितना धन महंगाई भत्ते के रूप में सरकार द्वारा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

वर्ष 1969–70 में 2,580 रु0 तथा वर्ष 1971–72 में 1,200 रुपया ।

1971–72 का अवशेष धन अभी दिया जाना है। प्रबन्धक द्वारा समय से प्रपत्रादि नहीं भेजे गये।

दरगाह तथा चन्द्रावारी, जिला आजमगढ़ की प्राइमरी पाठशालाओं के कमजोर भवन

*3—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत प्राइमरी दरगाह पाठशाला तथा प्रा० पाठशाला चन्द्रावारी (वैलोली सोनवर्सा) का भवन निर्माण कार्य कब हुआ है, किस अधिकारी की देख-रेख में हुआ है और सरकार का कुल कितना रुपया अलग-अलग व्यय हुआ है तथा उक्त दोनों प्राइमरी पाठशालाओं की छत सीमेंटेड होते हुए भी इतनी जल्द छत फटकर बरसात में पानी चूने का स्पष्ट कारण क्या है?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

प्रायमरी पाठशाला दरगाह के 3 कमरे (बड़े) 2 कमरे (छोटे) तथा एक बरामदे का निर्माण जिला परिषद् द्वारा अपने अभियन्ता की देखरेख में कराया गया था। इस पर कुल रु० 18,590.80 व्यय हुआ। यह भवन बिल्कुल ठीक है। उक्त पाठशाला के आंशिक भवन तथा चन्द्रावारी पाठशाला के भवन निर्माण के लिये डी०पी०सी० द्वारा क्रमशः रु० 2,000 तथा 1,000 रु० दिया गया था और इन भवनों का निर्माण ग्राम प्रधानों द्वारा ए० डी० ओ० (पंचायत) के देखरेख में हुआ था। निर्माण-कार्य 7-7-68 को समाप्त हुआ था। प्रायमरी पाठशाला दरगाह का भवन जो वर्ष 1968 में निर्मित कराया गया था के रिपेयर की कार्यवाही सम्बन्धित जिला परिषद् द्वारा की जा रही है और प्रश्नगत पाठशालाओं के छत तथा पानी टपकने की कोई सूचना नहीं है।

श्री लालसा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब छत फूटी नहीं है, पानी टपकता नहीं है तो फिर किस चीज की जिला परिषद् द्वारा रिपेयर कराई जा रही है?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, इस भवन के आंशिक हिस्से को बनाने के लिये दो हजार रुपया दिया गया था। उसमें कुछ कमी रह गई थी उसको जिला परिषद् बनवा रहा है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि छत चूती है या नहीं इसका स्पष्ट जवाब आना चाहिये?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट है कि जो भवन बनाया गया है उसकी छत टूटी नहीं है और पानी टपकता नहीं है।

श्री लालसा—

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं मिला है। जब भवन बिल्कुल ठीक है और पानी टपकता नहीं है तो फिर किस चीज की मरम्मत कराई जा रही है?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैंने जवाब दिया है कि इसके दो हिस्से हैं। प्राइमरी स्कूल का हिस्सा जो 18,500 रुपये में बनाया गया है वह बिल्कुल ठीक है। उस पहले एक हिस्से के लिये दो हजार रुपये का अनुदान दिया गया था, उसमें कुछ खराबी है उसकी मरम्मत कराई जा रही है।

श्री महीलाल—

क्या मंत्री जी माननीय विधायक की सूचना को सत्य मानकर कि छत गिर गई है उसकी दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मेरे पास जो जानकारी है उसको असत्य सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है।

श्री महीलाल—

क्या माननीय विधायक की जानकारी पर उनको विश्वास नहीं है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

माननीय सदस्य की बात पर मुझे बहुत विश्वास है लेकिन कागज पर नहीं है।

जिला परिषद्, बरेली के स्कूलों में खेल कूद प्रतियोगिता

*4—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला परिषद्, बरेली में दिनांक 22 अप्रैल, 1972 से 24 अप्रैल, 1972 तक प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों की किसी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है ? इस प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष की भांति अक्तूबर, नवम्बर में क्यों नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, किसी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ है।

उप-शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद के कार्यालय में विचाराधीन अपीलें

*5—श्री विश्वम्भर सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपशिक्षा निदेशक, चतुर्थ मंडल, इलाहाबाद के यहां विभिन्न संस्थाओं से दंडित किये अध्यापकों की अपील के कितने मामले कितने-कितने समय से पेन्डिग में पड़े हुये हैं ? और क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उप शिक्षा निदेशक चतुर्थ मंडल इलाहाबाद के कार्यालय में विभिन्न संस्थाओं से पीड़ित अध्यापकों की अपील के 20 मामले संलग्न सूची में उनके समक्ष अंकित अवधि एवं कारणों से पेंडिंग हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1328 पर)

श्री विश्वम्भर सिंह यादव—

श्रीमन्, उत्तर में लिखा है कि उनकी सुनवाई की जा चुकी है और निर्णय विचाराधीन है। 6 अपीलें ऐसी हैं जिनको एक साल से लेकर साढ़े तीन साल हो गये हैं लेकिन उनमें निर्णय नहीं लिया जा सका है तो उनका निर्णय लेने में कितने साल लगेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनकी अपीलों की सुनवाई हो चुकी है और जल्द से जल्द निर्णय ले लिया जायगा।

श्री विश्वम्भर सिंह यादव—

इसका कोई समय निश्चित होगा या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

प्रयास यह किया जायगा कि जल्द से जल्द हो जाय।

[14 अगस्त 1972 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1---श्री शम्भूनाभ चौधरी---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न खरीदने तथा जनता में बेचने की दरें

*2---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारतीय खाद्य निगम ने जो मक्का 55 रुपये क्विन्टल तथा जो गेहूं 76 रु0 क्विन्टल और जो चावल 90 रु0 क्विन्टल खरीदा था उसी को वर्ष 1971 में राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों पर सरकार द्वारा क्रमशः 72 रु0 क्विंटल व 84 रु0 क्विन्टल और 108 रु0 क्विन्टल की दर से राज्य सरकार द्वारा बिक्री करायी जा रही ह? यदि हां, तो क्यों?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

मक्का रु0 55 प्रति क्विन्टल एवं सफेद व मैक्सिकन गेहूं रु0 76 प्रति क्विन्टल की दर से भारतीय खाद्य निगम ने मूल्य संरक्षण योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में खरीदी थी, राज्य सरकार ने नहीं। राज्य सरकार इन अनाजों को अपनी आवश्यकतानुसार भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त करती ह। गेहूं के लिये भारत सरकार ने पूल्ड दर रु0 78 प्रति क्विन्टल (एफ0 ओ0 आर0 डेस्टीनेशन) निर्धारित की है, मगर मक्का के लिये भारतीय खाद्य निगम अपने प्रासंगिक व्ययों को सम्मिलित करके दर निर्धारित करता ह जिससे इसकी ईश्यू दर काफी अधिक हो जाती है? मगर राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय खाद्य निगम ने मक्का अपने डिपो पर रु0 62.50 की दर से गत वर्ष दी। राज्य सरकार द्वारा मक्का तथा गेहूं की थोक ईश्यू दरें प्रासंगिक व्ययों को सम्मिलित करते हुये क्रमशः रु0 72 एवं रु0 84 प्रति क्विन्टल तथा फुटकर बिक्री दरें क्रमशः 74 पसे एवं 86 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित की गयी।

चावल राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से नहीं खरीदा बल्कि लेवी प्रणाली के अन्तर्गत इसकी खरीदारी तृतीय श्रेणी के लिये रु0 39 प्रति क्वींटल की दर से की तथा इसकी थोक ईश्यू दर रु0 105.79 प्रति क्विन्टल एवं फुटकर बिक्री दर रु0 1.08 प्रति किलोग्राम निर्धारित की गयी। ये दरें प्रदेश के मदानी क्षेत्रों के लिये हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

सरकार का जो प्रासंगिक व्यय होता है वह हर अनाज के लिये प्रति क्विंटल पर बराबर होता होगा लेकिन यह मक्का के रेट में जो यह एफ0 सी0 आई0 से लेकर बचने में साढ़े 9 रुपये का अन्तर है और गेहूं में भी प्रति क्विंटल 6 रुपये का अन्तर ह इसके माने यह हुये कि मक्का जिसको गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर अधिक व्यय हो रहा ह और गेहूं पर कम, इसका क्या कारण है?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

गेहूं तो नजदीक के गोदामों में उपलब्ध रहता है और कीमत में ट्रांन्सपोर्ट चार्जेज भी जोड़े जाते हैं जो नजदीक के लिये कम और दूर के लिये ज्यादा होते हैं। इसी आधार पर कम-पर्सटिवली मक्का की कीमत ज्यादा हो जाती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

गेहूं तो आम तौर से दूर से या पंजाब से आता है जब कि चावल सहारनपुर से आता है और चावल के दाम में 16 रुपए का अन्तर है, चावल जब कि पूर्वी जिलों से आता है तो उसके दाम में 16 रुपये का अन्तर है और गेहूं जब कि दूर से आता है तो उसमें केवल 6 रुपये का ही अन्तर है, ऐसा क्यों है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

चावल केवल सहारनपुर से ही नहीं आता बल्कि हमारे ट्रांस राप्ती क्षेत्र से जो लेवी ली जाती है वह वहीं के नजदीक के गोदामों में रखा जाता है, गेहूं बाहर से नहीं आता है बल्कि उसकी खरीदारी आप के यहां से भी होती है और वहां के गोदामों में रखा जाता है। अलग-अलग फासले के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्जेज बढ़ते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

यह मंत्री जी ने गेहूं और चावल की बिक्री की मैदानी क्षेत्र की दरें बतायीं लकिन वह गेहूं और चावल पर्वतीय क्षेत्र की दुकानों पर किस दर से बिक रहा है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

पहाड़ के रेट्स बताने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन वहां ट्रांसपोर्ट चार्जेज बढ़ जाते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि महंगाई बहुत ज्यादा है और गरीब मजदूर आज महंगा अनाज नहीं खरीद सकता क्या सरकार इन सस्ते गल्ले की दूकानों पर सब्सिडाइज करके और सस्ता गल्ला देने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

बिक्री और खरीदारी का आधार है। जहां जो चीज बेसी कर दी जाती है दाम गिर जाते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा बिक्री और खरीद का सवाल नहीं है। मेरा प्रश्न तो यह है कि सबसिडाइज करके मजदूरों के बीच में आपकी जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उनके द्वारा सस्ता गेहूं दिलाने का सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, अभी तक तो सरकार ने ऐसा विचार नहीं किया है कि सब्सिडाइज करें।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार की यह नीति है कि सस्ते गल्ल की दुकानें चलाने से सरकार को न लाभ हो और न हानि ? यदि हां, तो चावल की खरीद और बिक्री में 18 रुपया प्रति क्विंटल का फर्क क्यों है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

चावल हम लेवी से लेते हैं। उसके रख रखाव में, ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है और जब यह खर्चा जुड़ जाता है तो दाम बढ़ जाते हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह 18 रुपया प्रति क्विंटल का खर्चा किस प्रकार से पड़ता है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी ताकि मैं मदवार बता सकूं कि कितना रुपया रख रखाव पर, कितना खरीदारी पर, और कितना रुपया ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ है।

श्री रामधारी शास्त्री—

जब माननीय मंत्री जी को खरीद और बिक्री की दर मालूम है तो फिर विभिन्न प्रकार के खर्चे बताने में उन्हें क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

जब वे नोटिस मांग रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

दोनों दरें लिखी हुई हैं, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

दरों की तो मुझे जानकारी है तभी तो मैंने जवाब दिया लेकिन किस मद में कितना रुपया देना पड़ा कि जिससे 18 रु0 का फर्क पड़ा, इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि चूंकि महंगाई बहुत बढ़ गयी है और बड़े नगरों में जो गरीब तबका है और जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है कि वे इस प्रकार के आदेश निर्गत करेंगे कि जिन बड़े नगरों में बाहर से लोग आ गये हैं या जो गरीब लोग हैं, उनके कार्ड बनवा दिए जायं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह आदेश निर्गत कर दिये गये हैं कि जो लोग बाहर से आ गये हैं, जांच करके उनके राशन कार्ड बना दिये जायें और जिनके पास राशन कार्डस नहीं हैं, उनको 2 किलो आटा बिना राशन कार्ड के देने की व्यवस्था कर दी गयी है ताकि उनको भी तकलीफ न हो।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

गेहूं में तो 2 रुपये का लेकिन मक्के में 7.50 रुपये का फर्क क्यों है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

गेहूं की खरीदारी ज्यादा हुई है इसलिये जो व्यय हुआ है वह उसमें बंट गया है लेकिन मक्के की जो खरीदारी हुई है वह कम हुई है इसलिये उस पर जो व्यय हुआ है इससे उसकी कीमत बढ़ गयी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो गल्ला सरकार देती है, उसको सब्सिडाइज करके दे ताकि गरीब लोग उसको आसानी से खरीद सकें?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अभी तक तो कोई ऐसा विचार नहीं किया गया था लेकिन विचार किया जा सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडाईज़ करके सरकार देने का विचार कर रही है। सरकार इस बात को टाल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस महंगाई को देखकर सरकार ने इस विषय में कोई निश्चित नीति बनाई है? यदि नहीं बनाई है, तो कब तक बनायेगी? क्या सरकार गरीबों को इस तरह से ही मरने के लिये छोड़ देगी?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जहां तक नीति का सवाल है वह अभी तक नहीं निर्धारित की गई है।

राज्य विद्युत् परिषद् की कार्य प्रणाली में परिवर्तन

*3—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् की कार्य-प्रणाली में सक्षम परिवर्तन लाने के लिये वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया है? यदि हां, तो किस आधार पर और उसका प्रदेश विद्युत् परिषद् पर कितना वित्तीय भार अधिकारियों/कर्मचारियों के पद सृजन करने पर पड़ा?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी हां, विगत अप्रैल में राज्य विद्युत् परिषद् ने प्रशासन को अत्यधिक कार्यक्षम एवं प्रभावकारी बनाने हेतु उसे पुनर्गठित किया है तथा अन्य प्रभागों में भी परिवर्तन किये हैं। प्रशासन तंत्र में इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें प्रतिवर्ष 2.03 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि शासन को अत्यधिक कार्यक्षम बनाने के लिये प्रभावकारी परिवर्तन किये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे परिवर्तन क्या हैं? इनमें कितने राजपत्रित कर्मचारियों के पद सृजित किये गये हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ज्यो-ज्यों बिजली का प्रसार होता गया वह गांव गांव के कोने-कोने में पहुंचती गयी। उसकी समस्यायें उलझती गईं। उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए मुख्य अभियन्ताओं को चार क्षेत्रों में बांट दिया गया है। वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ। यहां पर मुख्य अभियन्ता स्तर का एक-एक अधिकारी रहेगा। जिनको कि उस क्षेत्र के हर एक काम को देखने का पूरा अधिकार होगा, उत्तरदायित्व होगा और इस तरह से वहां की समस्याओं का समाधान होगा।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, मन्त्री जी ने यह भी बताया कि चार मुख्य अभियन्ताओं के पदों को बढ़ा दिया गया। इन चार मुख्य अभियन्ताओं के साथ कितने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को सृजित किया गया है और इन चार मुख्य अभियन्ताओं के ऊपर कौन सा मुख्य अभियन्ता बनाया गया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, विद्युत् परिषद् तो अपनी जगह बनी हुई है उसमें कोई दो राय नहीं है। उसको वह ओवर आल जिम्मेदार है। इनके पूरे कार्यालय हैं। इनके पी0 ए0 स्टेनोज हैं, स्टेटिस्टिक्स वाले हैं। उनके कार्यालयों का सृजन किया गया है जो कि अपने जोन की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिये सक्षम होंगे।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, जो चार मुख्य अभियन्ता कायम किये गये हैं उनकी वजह से कितना खर्चा प्रति वर्ष बढ़ा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, 2.03 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ेगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह पद सृजित किये गये थे तो कितने नलकूपों को बिजली दी गई थी और जब से ये जोनल चीफ बनाये गये हैं तब से कितनी बिजली दी गई है ताकि जिस उद्देश्यों से पदों का सृजन किया गया है उनका मूल्यांकन हो सके । क्या माननीय मन्त्री जी इन आंकड़ों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है ।

श्री महीलाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन चार मुख्य अभियन्ताओं के साथ-साथ विद्युत् परिषद् में एक सतर्कता अधिष्ठान की भी स्थापना की गयीहै? यदि हां, तो उनके द्वारा जो जांच की जाती है उसकी रिपोर्ट भी शासन देखता है या नहीं और उस पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सतर्कता अधिष्ठान तो विद्युत् परिषद् में पहले से ही है, नया स्थापित नहीं हुआ है, और उनकी रिपोर्ट पर बोर्ड विचार करता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, जो कार्य प्रणाली के अन्दर परिवर्तन की योजना है उस परिवर्तन की योजना को मन्त्री जी जांच करायेंगे—क्योंकि आज चर्चा का विषय है कि विद्युत परिषद् में इतना अधिक घाटा है, तो इसमें कार्य-प्रणाली को दोष तो नहीं है, ताकि कोई ऐसा फूल-प्रूफ सिस्टम बन सके जिसमें घाटा न हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये टैक्नीकल कमेटी बैठी हुई है जिसके श्री घनानन्द पांडे अध्यक्ष हैं जो देश के महान टैक्नीकल जानकार हैं । उसकी रिपोर्ट आन पर इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाएगी ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी से यह कहूंगा कि ये सब-डिवीजन करके आप प्रदेश के बटवार का रास्ता साफ न करें । हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश एक ही रहे । इस प्रदेश का बंटवारा करने के लिये यह सरकार रास्ता साफ कर रही है । एक ही मुख्य अभियन्ता क्यों नहीं रखते हैं ?

[उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया]

श्री महीलाल—

व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपकी बिना अनुमति के बोलने लगा तो आपने मुझे रोक दिया था । अब बंशीधर पांडेय जी बिना आपकी अनुमति के बोले तो आपने उन्हें नहीं रोका ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि प्रदेश में जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं या डिप्टी चीफ और चीफ इंजीनियर हैं इनका बंटवारा वर्कलोड के हिसाब से नहीं है बल्कि रीजनल है। जैसे वाराणसी में अगर 20 हजार ट्यूबवेल एनरजाइज्ड हैं तो गाजीपुर में और बलिया में तीन-चार हजार ही हैं....

श्री अध्यक्ष—

यह तो भाषण है। आप प्रश्न पूछिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनके कार्य का बटवारा वर्कलोड के अनुसार करेंगे और जहां वर्कलोड ज्यादा है वहां उनकी संख्या बढ़ायेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, सामान्यतः वर्कलोड के आधार पर ही कार्य का बंटवारा होता है। मेन्टीनेन्स में काम करने वाले सब-डिवीजन अलग होते हैं, निर्माण कार्य वाले अलग होते हैं, सिविल वर्क्स वाले अलग होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की स्कीम मंजूर हो जाने से किसी जगह काम बढ़ जाता है या किसी बैंक से स्कीम मंजूर हो जाने से कार्य बढ़ जाता है और वहां के लिये नया डिवीजन कायम किया जाता है। उदाहरण के लिये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने करीब 16 स्कीम्स 16 जिलों के लिये मंजूर की हैं इसलिये 16 नये कंस्ट्रक्शन डिवीजन कायम किये गये। यदि माननीय सदस्य बतायेंगे कि कहीं वर्कलोड ज्यादा है तो वहां पुनर्गठन पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री महीलाल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब पूरा नहीं आया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारी और कर्मचारी हैं वे अपनी रिपोर्ट शासन के पास भेजता है या फिर उस पर विद्युत परिषद् के पास अपनी रिपोर्ट भेजता है और वे ही उस पर विचार करते हैं। शासन के पास अभी तक कितनी रिपोर्ट आई हैं और कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दी गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

विद्युत परिषद् ही सतर्कता अधिष्ठान की रिपोर्टों पर विचार करता है। जो रिपोर्ट शासन की दृष्टि में आती हैं उनके बारे में शासन विद्युत परिषद् से जानकारी प्राप्त कर लेता है और बाद में उनको सलाह भी देता है जहां पर इसकी आवश्यकता होती है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जो जोनल चीफ इन्जीनियर बनाये गये हैं वे डाइरेक्ट गवर्नमेन्ट के अन्डर हैं या विद्यत परिषद् के अन्तर्गत हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वे लोग डाइरेक्टली विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत हैं।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

अभी मन्त्री जी ने कहा कि सेल की रिपोर्ट को विद्युत परिषद् देखता है। मन्त्री जी को इस परम्परा को बदलने में क्या एतराज है कि बहुत से विधायकगण इस बारे में शासन से रिपोर्ट करते हैं वे भी सेल को चली जाती हैं और विधायकों को अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं

हो पाता है । क्या मन्त्री जी इस परम्परा को बदलेंगे कि इस प्रकार की जो रिपोर्टें आय उन पर शासन में ही विचार किया जाय ताकि विधायकगण उनके बारे में जानकारी कर सकें कि उस पर क्या हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो रिपोर्टें शासन के पास आती हैं उनको वह विद्युत परिषद् के पास भेज देता है और उसकी जानकारी करता है ताकि विधायकों की शंकाओं का निराकरण हो सके ।

सहारनपुर में सहायक आयुक्त बिक्री-कर (न्याय) का मुख्यालय

*4—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सेल्स टैक्स कमिश्नर देहरादून का मुख्यालय सहारनपुर है ? क्या यह भी सरकार को शिकायत मिली है कि वे मुख्यालय में माह में औसतन 5 दिन तथा देहरादून में 25 दिन रहते हैं? इससे सरकार को अतिरिक्त टी० ए० डी० ए० का वित्तीय भार प्रति माह औसतन कितना वहन करना पड़ता है? क्या सरकार उपरोक्त अधिकारी का मुख्यालय ही देहरादून करने पर विचार करेगी?

बित्त, राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

जी नहीं । सेल्स टैक्स कमिश्नर का मुख्यालय न तो देहरादून है और न ही सहारनपुर । बिक्री-कर (न्याय) के दो सहायक आयुक्तों का मुख्यालय सहारनपुर अवश्य है । बिक्री-कर की अपीलों की सुनवाई के लिये देहरादून को सहायक आयुक्त (न्याय) सहारनपुर के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है ।

यह सही नहीं है कि सहायक आयुक्त (न्याय) सहारनपुर माह में औसतन 5 दिन मुख्यालय (सहारनपुर) में तथा 25 दिन देहरादून में रहते हैं ।

सरकार को सहारनपुर स्थित दो सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री कर की देहरादून की यात्राओं के लिये औसतन प्रतिमाह 233 रुपया टी० ए०, डी० ए० पर वहन करना पड़ता है ।

जहां तक सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री-कर के मुख्यालय को देहरादून में रखने का प्रश्न है, देहरादून में दायर की जाने वाली अपीलों की संख्या को देखते हुए अलग से देहरादून में एक सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री-कर के मुख्यालय को स्थापित करना सम्भव नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने बिक्री कर वकीलों से और अधिकारियों से बातचीत की है कि 25, 26 दिन यह जो न्याय कमिश्नर हैं वे वहां पर आ कर बैठते हैं । सहारनपुर इनका हेड क्वार्टर है । 25—26 दिन देहरादून में रहते हैं । टी० ए०, डी० ए० का खर्च होता है । अगर इनका हेड क्वार्टर देहरादून हो जाये तो रोज आने जाने की बात भी खत्म हो जाए और सरकार का टी० ए० व डी० ए० का खर्च भी बच जाए । इसलिये क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इसकी दुबारा जांच करा लेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यह हमारी निश्चित सूचना है कि वे देहरादून में 25 दिन नहीं रहते हैं बल्कि औसतन 5 या 6 दिन ही देहरादून में रहते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं इसका प्रतिवाद करता हूं—चैलेन्ज करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

समाप्त करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि वे 26 दिन देहरादून में रहते हैं। मेरी सूचना को सही क्यों नही मान लेते हैं। कम से कम जांच कराने का आश्वासन तो दे दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

तहसील लखीमपुर (जिला खीरी) में नलकूप के लिए बिजली हेतु प्रार्थना-पत्र

*5—श्री रामशिरोमणि दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील लखीमपुर, जिला खीरी में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् को नलकूप हेत् 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने आवेदकों को निर्धारित समय के अन्दर इस्टीमेट दिया गया और कितनों को उक्त समय के बाद तथा क्या सिंचाई की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए इन आवेदकों को सरकार बिजली के कनेक्शन तुरन्त दिलाने की कृपा करेगी तथा यदि इस्टीमेट अथवा कनेक्शन देने में विलम्ब हुआ है तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

खीरी जिले की तहसील लखीमपुर में कथित अवधि में 309 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 294 आवेदकों को निर्धारित समय के अन्दर इस्टीमेट दे दिया गया। शेष आवेदकों में से केवल 7 आवेदकों को निर्धारित समय के बाद इस्टीमेट दिया गया।

जिन उपभोक्ताओं ने सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी हैं उनको कनेक्शन दे दिये गये हैं। शेष उपभोक्ता जब आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर देंगे उन्हें भी कनेक्शन देने की कार्यवाही तुरन्त की जायगी।

आवेदकों को इस्टीमेट या कनेक्शन देने में किसी कर्मचारी द्वारा विलम्ब नहीं हुआ है। अतएव इस सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, नैनीताल में आग से हानि

*6—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि जेल फार्म सितारगंज, नैनीताल में 1960 से 1971 तक कितनी बार आग लगी और उससे कितने रुपये की हानि हुई और शासन को कब-कब सूचना दी गई?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कारागार मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, जिला नैनीताल में वर्ष 1960 से 1971 तक कुल आठ बार आग लगी जिनमें से चार बार आग लगने से कोई हानि शासन को नहीं हुई। शेष चार आग की घटनाओं से कुल 4913.84 पैसे की हानि हुई। इन चार आग की घटनाओं की जिनमें शासन को हानि हुई है उनकी सूचना शासन को निम्नलिखित तिथियों को दी गई:---

1--- 21-5-65

2--- 27-8-66

3--- 8-6-67

4--- 3-6-69

देहरादून के चाय बागान के मजदूरों के लिए सस्ते गल्ले की दूकानों की मांग

*7---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून के चाय बागान के मजदूरों के लिये क्या सरकार सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का विचार कर रही है?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर सीताराम)---

राज्य सरकार देहरादून के चाय बागान के मजदूरों के लिये सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का विचार नहीं कर रही है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है जहां राज्य सरकार की अनौपचारिक राशनिंग व्यवस्था लागू नहीं है। वैसे चाय बागान के प्रबन्धकों की मांग पर गेहूं आटा मजदूरों की सुविधा के लिये दिया जा रहा है।

जिला मिर्जापुर के पिछड़े क्षेत्रों के लिए बिजली की मांग

*8---श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)---

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत जिला मिर्जापुर के पिछड़े क्षेत्र कौन (ब्लाक चोपन) में बिजली लगाई जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब से?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

ऐसी कोई योजना नहीं है।

*9---श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री रामनिहोर राय---

क्या मन्त्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर के रामगढ़ (चतरा ब्लाक) क्षेत्र चुर्क बाजार तथा चोपन पुल मार्ग पर बिजली क्यों नहीं दी जा रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

रामगढ़ (चतरा ब्लाक) क्षेत्र के विद्युतीकरण की अभी कोई अलग से योजना नहीं है। चतरा ब्लाक के कुछ उपभोक्ताओं के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें बिजली देने की ओर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। चुर्क बाजार में विभागीय लाइनें बनाने व बिजली देने का मामला विचाराधीन है। चोपन पुल मार्ग पर बिजली लेने के लिये कोई आवेदन-पत्र अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।

*10---श्री त्रिवेणी सहाय---

[13 वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11--श्री इन्द्रमणि--

[9वें गुरुवार के लिये ता० प्र० 102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के पत्रकारों को मकान एलाट करने सम्बन्धित तथाकथित आदेश

*12--श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)--

क्या यह सच है कि मुख्य मन्त्री ने नवम्बर, 1971 में तथा खाद्य मन्त्री ने मार्च, 1972 में जिलाधीश लखनऊ को कुछ पत्रकारों को मकान एलाट करने के लिये आदेश दिया था? यदि हां, तो उनमें किन-किन को अभी तक मकान एलाट किये गये हैं और शेष किन-किन को नहीं?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं ।

स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा लेखाओं की सम्परीक्षा तथा सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

* 13--श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1972 को ऐसे कितने लेखे सम्परीक्षा होने को शेष थे जिनकी वर्ष 1970-71 के लेखाओं की सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1972 तक सम्पन्न की जानी चाहिये थी? उनमें से कितने लेखे उक्त विभाग के वर्ष 1971-72 के विभागीय कार्यक्रम में सम्मिलित थे तथा कितने सम्मिलित नहीं थे?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

31 मार्च, 1972 तक वर्ष 1970-71 के 14,493 लेखाओं की सम्परीक्षा की जानी थी जिनमें से उक्त तिथि को 10,401 लेखाओं की सम्परीक्षा शेष थी ।

उक्त 10,401 लेखाओं में से 8,379 लेखे स्थानीय निधि लेखा अधिष्ठान के वर्ष 1971-72 के विभागीय सम्परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित थे और केवल 2,022 सम्मिलित नहीं थे

*14--श्री मदन मोहन मिश्र--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं की संख्या एवं आय तथा व्यय में वर्षानुवर्ष वृद्धि होने के कारण विभाग के सम्परीक्षा कमचारियों की संख्या में भी शासन द्वारा समानुपातिक वृद्धि यथा समय की गई है अथवा नहीं ? यदि नहीं, की गई तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जब जब जितना आवश्यक और न्यायोचित समझा गया कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाती रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हियरसी पादरी की जायदाद सम्बन्धित जांच की मांग

*15--श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या वित्त मन्त्री को पता है कि दिसम्बर सन् 1971 में जिला कोषागार बरेली से श्री हुरसी पादरी के नाम पेन्शन का लगभग 3,000 (तीन हजार) रुपया निकाला गया है जबकि ग्राम करेली के प्रधान ग्राम सभा की रिपोर्ट पर परगना अधिकारी बरेली ने श्री हुरसी पादरी को

मृतक घोषित किया है और उनके द्वारा अपनी जायदाद को किये गये बैनामे को अवैध घोषित कर दिया है जिसकी शिकायत पर जिलाधिकारी बरेली ने कागजात सील कर दिये हैं? यदि हां तो सरकार इस मामले को विशेष जांच कराने के लिये किसी उच्च अधिकारी को नियुक्त कर निष्पक्ष जांच करायेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दिसम्बर, 1971 में नहीं बल्कि 21 जनवरी, 1972 को बरेली कोषागार से दो बैन्करों द्वारा दिये गये जीवित होने के प्रमाण के आधार पर मैंजर (दी रेवरेंड) हेनरी विलियम मूरक्रेफ्ट हियरसी व मिसेज मारग्रेट मेरी एडिलन हियरसी वार्ड (नी हियरसी) के 1 मई, 1969 से 31 अक्टूबर 1971 तक की अवधि के लिये पिछली मालिकाना भत्ते के 3,000 रु0 का भुगतान उनके जनरल अटार्नी को किया गया ।

श्री हियरसी पादरी की केरेली ग्राम की जमीन को ग्राम सभा में निहित करने के परगनाधीश, बरेली का आदेश रद्द कर दिया गया है । इस आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त, बरेली के न्यायालय में रिवीजन दायर किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही रोक दी गई है । मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण शासन द्वारा जांच कराना सम्भव नहीं है ।

*16--श्री मंजूर अहमद--

[16 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के गांवों का विद्युतीकरण

*17--श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के खण्ड विकास आसपुरदेवसरा, मंगरौरा एवं सांगीपुर में प्रत्येक ब्लाक स्तर पर किन-किन गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1971-72 तथा 1972-73 में लागू की जा रही है और प्रत्येक ब्लाक में कितनी लम्बी विद्युत लाइन कितने समय में और कितना धन व्यय होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड, आसपुरदेवसरा, मंगरौरा एवं सांगीपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में क्रमशः 8,25 एवं 37 गांवों में एल0 टी0 लाइन बिछा कर विद्युतीकरण का प्रस्ताव है । उक्त योजना के अनुसार आसपुरदेवसरा खन्ड में 9.30 कि0 मी0 मंगरौरा में 24-84 कि0 मी0 तथा सांगीपुर में 63.00 कि0 मी0 लम्बी एल0 टी0 लाइन बिछाने का प्रस्ताव है । कुल एल0 टी0 लाइनें बिछाने पर तीन वर्षों में लगभग दस लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

रजिस्ट्रार आफिस, उन्नाव में अभ्यर्थियों की सूची

*18--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य मन्त्री वित्त, को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 1972 को भेजा हुआ कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें सब रजिस्ट्रार आफिस उन्नाव में जिले में अनुमोदित अभ्यर्थी सूची वरिष्ठता क्रम तैयार न होने की शिकायत की गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी हां, सब रजिस्ट्रार आफिस उन्नाव के सम्बन्ध में प्रश्न कर्त्ता का पत्र दिनांक 11 फरवरी 1972 राज्य मन्त्री वित्त को प्राप्त हुआ था ।

*19—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में सब रजिस्ट्रार आफिस उन्नाव के कितने सेवारत अनुमोदित सूची में अंकित अभ्यर्थियों के प्रतिवेदन पत्र 1966 से सरकार के पास विचाराधीन हैं और अब इन पर कब तक निर्णय लिया जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

केवल एक अनुमोदित अभ्यर्थी, जिला उन्नाव का एक प्रत्यावेदन दिनांक 24 जून, 1966 शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त विषय पर एक 'रिट' हो गई जिसका फैसला 10 मार्च, 1971 को हुआ। 22 फरवरी, 1972 को निबन्धन महानिरीक्षक ने पुनः विचार के लिये शासन से अनुरोध किया है। अब इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

धानी बाजार गोरखपुर की शराब की दुकान

*20—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

सोमवार, 12 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 71 के विषय में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के कानापार उर्फ धानी बाजार में शराब की दुकान कब तक बन्द कर दी जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के कानापार उर्फ धानी बाजार के शराब की दुकान बन्द करने के सम्बन्ध में पहले ही कह दिया गया है कि उपरोक्त दुकान को बन्द करने के विषय में जांच करायी गयी परन्तु पूर्ण औचित्य न होने के कारण दुकान बन्द नहीं की गयी। अतः इस दुकान को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

रजिस्ट्रेशन विभाग के सब रजिस्ट्रार पद के लिए साक्षात्कार

*21—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिनांक 22 अप्रैल, 1972 को रजिस्ट्रेशन विभाग के सब-रजिस्ट्रार पद के लिये चुने गए अभ्यर्थियों का परीक्षा फल घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो कितने स्थानों के लिये कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार में बुलाये गये थे और इसमें हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग की संख्या क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी, हां। लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 22-4-1972 को सब-रजिस्ट्रार पद के लिये चुने गये अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है।

6 सामान्य तथा एक अनुसूचित जाति की रिक्तियों के लिये लिखित परीक्षा के आधार पर क्रमशः 42 सामान्य तथा 13 अनुसूचित जातीय अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की सूचना शासन द्वारा नहीं रखी जाती है।

जनपद गोंडा में विद्युत् विभाग के लिये प्राप्त भूमि का उपयोग

*22—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में सिंचाई विभाग के कार्यालय के पीछे कुछ भूमि विद्युत विभाग के कार्यालय तथा आवास गृह के लिये प्राप्ति की गई ? यदि हां, तो कब और कितनी और उक्त भूमि पर कोई निर्माण हुआ या नहीं ? क्या खाली भूमि पर कृषि की जाती है ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा उसका खर्चा किस मद से व्यय किया जाता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। गोण्डा जनपद में सिंचाई विभाग के कार्यालय के पीछे 12.162 एकड़ भूमि 1960 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने प्राप्त किया था। भूमि पर अब तक अधिशासी अभियन्ता के निवास गृह का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रिपेयर शाप तथा स्टोर भी इसमें है। राज्य विद्युत परिषद् से ऐसी सूचना मिली है कि शेष खाली भूमि के कुछ भाग में राज्य विद्युत परिषद् के अधिशासी अभियन्ता ने अपने खर्चे पर कृषि कराई है।

व्यक्तिगत नलकूपों के लिये बिजली की नई दरें

*23—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत नलकूपों पर डैफिसिट चार्ज समाप्त करके बिजली का मूल्य 18 पैसे से 20 कर दिया गया? यदि हां, तो फिर प्रति हार्स पावर 3 रु० प्रति माह क्या लगाया गया है? यदि हां, तो सरकार इस अधिभार को हटाने के लिये सोच रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य विद्युत परिषद् ने व्यक्तिगत नलकूपों के उपभोक्ताओं के अनुरोध पर न्यूनतम देय 1-1-1972 से समाप्त कर दिया है।

परिषद् ने जो नई दरें कृषि-कार्य हेतु निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिये बनाई है वह निम्न प्रकार है:—

रु० 3.00 प्रति बी० एच० पी० प्रति माह विद्युत् शक्ति की दर 20 पैसे प्रति यूनिट। इस दर में इस समय परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। समय पर भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 2 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलती है।

केशोपुर गड़राना, अलीगढ़ के खलिहानों में बिजली से आग की जांच

*24—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह मई, 1971 में सर्वश्री बेनीशर्मा, छेदालाल, दाल चन्द, गंगा सहाय, जसवन्त सिंह, रामजी लाल एवं शिवचरन निवासी ग्राम केशोपुर गड़राना तहसील कोल, जिला अलीगढ़ के खलिहानों में बिजली का तार टूट जाने के करण हुए भयंकर अग्निकांड के परिणामस्वरुप लगभग 54,000 रु० के मूल्य के गल्ले की क्षति के लिये उपरोक्त पीड़ित कृषकों की सहायता प्रदान करते हुये, सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत परिषद लखनऊ को सम्बोधित जिलाधिकारी अलीगढ़ का कोई पत्र संख्या 1986 प० कोल, दिनांक 5 जनवरी, 1972 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो वह पत्र क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां।

मामले की जांच की जा रही है।

देहरादून माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा वेतन न मिलने की शिकायत

*25—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगीं कि देहरादन माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रदेश के सामुदायिक विकास मन्त्री को उनके फरवरी, 1972 के प्रथम सप्ताह के देहरादून के दौरे के अवसर पर कोई ज्ञापत वेतन न दिये जाने की शिकायत सम्बन्धी दिया गया था? यदि हां, तो क्या

मन्त्री जी ने अध्यापकों को कोई आश्वासन दिया था ? वह क्या था ? और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। ज्ञापन मूल रूप में शिक्षा निदेशक को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है क्योंकि वही आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सक्षम अधिकारी हैं। उनकी आख्या मांगी गयी है।

राजकीय महिला पोलीटेक्निक, लखनऊ में विभिन्न पाठ्यक्रम

*26—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की एक मात्र राजकीय महिला पोलीटेकनिक में कस्ट्रम डिजाइन एन्ड ड्रेस मेकिंग का पाठ्य-क्रम इस साल से शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

जी हां।

*27—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि महिला पोलिटेक्निक में कितने पाठ्यक्रमों में शिक्षा दी जा रही है और प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितनी छात्रायें हैं तथा क्या अन्य पाठ्यक्रम खोलने के लिये शासन ने स्वीकृति दी है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

राजकीय महिला पोलीटेक्निक, लखनऊ में एलेक्ट्रानिक्स, स्टेनोग्राफी-कम-सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस तथा आर्किटेक्चरल असिस्टेन्ट शिप के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षा दी जा रही है, जिन में छात्राओं की वर्तमान सत्र में (26 जुलाई, 1972 को) संख्या क्रमशः 47, 44 तथा 2 है। उक्त संख्या में कस्ट्यूम डिजाइन ऐन्डड्रेस मेकिंग का नया पाठ्यक्रम इसी सत्र (1972–73) से चलाने हेतु शासन ने स्वीकृति दे दी है।

उमारमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जामो सुल्तानपुर का लेखा-सम्प्रेक्षण

*28—श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उमारमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामों सुल्तानपुर का लेखा सम्प्रेक्षण दिसम्बर, 1971 को डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग, फैजाबाद मण्डल के आदेश द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्प्रेक्षक आख्या को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

† प्रस्तुत।

---

† छापी नहीं गई।

परीक्षा प्रश्नपत्र आउट होने की शिकायत

*29—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन को इस आशय की शिकायत मिली है कि इस वर्ष हाई स्कूल व इन्टर की चल रही परीक्षा में पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक ने अंग्रेजी के पहले पर्चे का पैकेट परीक्षा के एक दिन पहले ही आउट कर दिया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, शिकायत मिली थी और उसकी तुरन्त जांच कराई गई परन्तु शिकायत सही नहीं पायी गई ।

सरस्वती साधना मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, जाजुमई (मैनपुरी) के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायत

*30—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी तथा उनकी सरस्वती साधना मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाजुमई, जिला मैनपुरी के संरक्षक महोदय ने कोई शिकायती पत्र उक्त संस्था के प्रधानाचार्य के अनियमित कार्यों के विरुद्ध हाल में दिया है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनेक वित्तीय तथा प्रशासकीय अनियमितताओं की शिकायतें थीं । उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच करने के पश्चात् शिक्षा निदेशक को आडिट कराने का अनुरोध किया । आडिट मई 1972 में हो गया है और उसकी आख्या विभाग को प्रतीक्षित है जिस के प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

*31—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ने इस विद्यालय में की गई नियुक्तियों का अनुमोदन एक वर्षीय (1969–70) परीक्षा काल पर बिना किसी समाचार पत्र में रिक्त स्थानों का विज्ञापन किये हुये अथवा स्थानीय साप्ताहिक पत्रों में किये गये विज्ञापन द्वारा एक रिक्त स्थान पर दो अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1969–70 में प्रबन्धक ने समाचार पत्र में 8 पदों की रिक्त विज्ञापित की थी । परन्तु कालान्तर में 11 अध्यापकों की आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धक द्वारा अनुरोध किये जाने पर विशेष परिस्थितियों में विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुये निरीक्षक ने 3 नियुक्तियां तो परीक्षाकाल पर तथा 8 नियुक्तियां अस्थाई रूप से किये जाने का अनमोदन किया था ।

जिला परिषद् के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल, बदायूं तथा प्राइमरी स्कूल में भवन का अभाव तथा उर्दू की शिक्षा

*32—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं में जिला परिषद् के अन्तर्गत कितने जू० बेसिक स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं है और सरकार उन भवनों को निर्माण करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

55 जूनियर हाई स्कूल तथा 330 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास निजी भवन नहीं है, वर्ष 1971–72 में 116 भवनों के निर्माण के लिये 9,86,000 रु० स्वीकृत किया जा चुका है।

*33—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् बदायूं के अन्तर्गत कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल (बालक बालिकाओं) में उर्दू के पढ़ने का इन्तजाम है और इन स्कूलों में अध्यापकों को पढ़ाने के लिये नियुक्ति कब-कब हुई ? और कितने स्कूलों में उर्दू पढ़ने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति होना बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*34—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

के० बी० डिग्री कालेज, माछरा, मेरठ में तथाकथित गबन

*35—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री 1 मई, सन् 1970 के प्रश्न संख्या 17 (नत्थी–घ) के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि के० बी० डिग्री कालेज माछरा जिला मेरठ में गबन संबंधी आरोप-पत्र सरकार को कब प्राप्त हुआ और उसकी जांच कब से तथा किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित आरोप पत्र सरकार को 12 जून, 1967 को प्राप्त हुआ । आरोपों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा अगस्त 1968 से जांच आरम्भ की गयी । जांच समाप्त हो चुकी है । गबन संबंधी आरोप सिद्ध नहीं हो पाये ।

*36—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

इंस्टीट्यूट आफ ओरियन्टल फिलास्फी वृन्दावन, मथुरा को मान्यता तथा अध्यापकों का वेतन

*37—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि इंस्टीट्यूट आफ ओरियंटल फिलास्फी वृन्दावन, मथुरा को कब से मान्यता प्राप्त है और उसे प्रति वर्ष कितना सहायता के लिये अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित महाविद्यालय को जुलाई 1964 से मान्यता प्राप्त है। गत वर्षों में विद्यालय को निम्नलिखित अनुपालन अनुदान स्वीकार किया गया है—

अनुपालन अनुदान

		रु०
1966–67	.. .. ..	..
1967–68	.. .. ..	..
1968–69	.. .. ..	21,372
1969–70	.. .. ..	43,157.70
1970–71	.. .. ..	62,754.88
1971–72	.. .. ..	96,626.76

*38—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय के अध्यापकों को कितने मास से वेतन नहीं मिल पा रहा है? तथा वेतन न मिलने का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अध्यापकों का वेतन मार्च 1972 से नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण संस्था की आर्थिक कठिनाई है।

*39—श्री चेतराम गंगवार—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जवाहर लाल नेहरू हायर सेकेन्डरी स्कूल, हिमकरपुर–चपरोआ, बरेली को हाई स्कूल की मान्यता

*40—श्री चेतराम गंगवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में जवाहर लाल नेहरू हायर सेकेन्डरी स्कूल हिमकरपुर चपरोआ को हाई स्कूल स्तर की मान्यता कब प्राप्त हुई तथा इस विद्यालय को आज तक शासन से कोई अनुदान न मिलने का कारण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1968 की हाई स्कूल परीक्षा से विद्यालय के अनुदान सूची पर न होने से कोई भी अनुदान देना संभव नहीं था।

प्रदेश के संस्कृत विभाग के निरीक्षकों का स्थानान्तरण

*41—श्री राम लखन सिंह तथा श्री सन्तू राम (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कितने ऐसे संस्कृत विभाग के निरीक्षक हैं जिनको एक स्थान पर 3 वर्ष या इससे अधिक हो गया है और अभी तक स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कोई नहीं।

*42—श्री राम लखन सिंह तथा श्री सन्तूराम—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि कुछ ऐसे भी निरीक्षक हैं जो बार बार अपना स्थानान्तरण रुकवा लेते हैं यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न नहीं उठता ।

*43–44—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[12 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 44–45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नये जूनियर हाई स्कूल, फर्रुखाबाद में अध्यापकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति का आरक्षण

*45—श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1970–71 में कितने नये जूनियर हाई स्कूल, फर्रुखाबाद में खोले गये उनमें कुल कितने अध्यापक 30 जून, 1971 तक नियुक्ति हो चुके हैं तथा उनमें प्र० अ० और सहायक अध्यापक के पदों पर अनुसूचित जाति के अलग-अलग कितने अध्यापक नियुक्ति किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1970–71 में 13 जूनियर हाई स्कूल नये स्वीकृत हुये । 30 जून, 1971 तक 4 प्रधान अध्यापक तथा 12 सहायक अध्यापक नियुक्त किये गये । सहायक अध्यापकों में अनुसूचित जाति के दो अध्यापक हैं ।

*46—श्री बिहारी लाल—

क्या इन अध्यापकों की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातियों का आरक्षण पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

*47—श्री बिहारी लाल—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद तथा इटावा जनपदों की सहायक विकास अधिकारियों (महिला) का शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण तथा वेतन निर्धारण

*48—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद और इटावा जनपदों की ऐसी कौन-कौन सी ऐ० डी० ओ० (महिला) है जो ऐ० डी० ओ० का पद समाप्त होने के पश्चात् शिक्षा विभाग में चली गई थीं और उपरोक्त कर्मचारियों में से कितने तथा किन-किन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के केसों का विवरण कारण सहित सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना विवरण सहित संलग्न सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1330 पर)

कानपुर जिले में बालाहार योजना

*49--श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले में गरीब बच्चों की मुफ्त शुल्क रोटी देने तथा शिशु विद्यार्थियों को स्वलपाहार भोजन का कार्यान्वयन किस प्रकार हो रहा है ? किन-किन जगहों पर किस माध्यम से उक्त सामग्री वितरित की जाती है ? क्या देहात में भी उक्त योजनायें लागू की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कानपुर जिले में बालाहार योजना का संचालन जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर की देख रेख में शिक्षा विभाग तथा नगर महापालिका द्वारा किया जाता है। 'केयर' संस्था भी अपने अधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वय में सहायता देती है। योजना कानपुर के औद्योगिक क्षेत्रों की श्रमिक एवं मलिन बस्तियों में स्थित नर्सरी एवं प्राइमरी विद्यालय में लागू है। उक्त खाद्य सामग्री 15 वितरण केन्द्रों के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को किया जाता है।

यह योजना देहाती क्षेत्रों में भी 75 विद्यालयों में चल रही है।

गोरखपुर जनपद में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अनुदान न मिलना

*50—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कितने ऐसे उ० मा० विद्यालय हैं जिनको हाई स्कूल स्तर की मान्यता वर्ष 1962-63 में मिली परन्तु प्रारम्भिक अनुदान वित्तीय वर्ष 1972-73 तक नहीं मिल पाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसा केवल एक विद्यालय है जिसे प्रारम्भिक अनुदान 1971-72 तक नहीं मिला। वर्ष 1972-73 के प्रारम्भिक अनुदान संबंधी मामलों पर अभी विचार नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्न

विद्युत् विभाग, लखीमपुर खीरी के लाइन इंस्पेक्टर का स्थानान्तरण

1-श्री रामशिरोमणि दुबे—

क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि लखीमपुर खीरी में विद्युत विभाग में कितने ऐसे लाइन इंसपेक्टर हैं जो 3 वर्ष की अवधि से वहां कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार जनहित में ऐसे लाइन इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण शीघ्र करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ग्यारह, इन में से दो के स्थानान्तरण के आदेश हो चुके हैं।

हरदुआगंज (अलीगढ़) विद्युत् घर के निकट ग्रामों का विद्युतीकरण

2—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलावी (जिला मुरादाबाद)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज (अलीगढ़) विद्युत घर से ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली की लाइन देने के लिये विद्युत् गृह की क्षमता बढ़ाई गई थी उनमें से कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन देने व ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये हरदुआगंज विद्युत गृह की कोई क्ष मता नहीं बढ़ाई गई और न ही किसी ग्राम का विद्युतीकरण किया गया।

3—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज के नजदीकी गांव मोरथल, जटपुरा जारोठी को बिजली देने का सर्वे कई बार हो चुका है लेकिन फिर भी लाइन नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार देरी का कारण बतायेगी कि तथा कब तक बिजली दे दी जायगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्नगत गांवों का सर्वे अभी नहीं हुआ है। इन गांवों के पास से होती हुई एक 11.000 बोल्टस की लाइन हरदुआगंज विद्युत गृह से बनाने की इस वर्ष योजना है। लाइन बनाने के पश्चात् आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर इन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

4—श्री कल्याण सिंह तथा श्री शचीन्द्रनाथ बक्शी—

[निरस्त]

काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र (नैनीताल) के गांवों का विद्युतीकरण

5—श्री अहमदुल्ला खां (जिला मुरादाबाद) तथा श्री मुन्शीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र जनपद नैनीताल के कितने गांवों का सन् 1971–72 में विद्युतीकरण हुआ एवं साथ ही लगे मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में इसी वर्ष में कितने गांवों को विद्युतीकरण किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सन् 1972–73 में जिला नैनीताल के अन्तर्गत काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र में 76 तथा मुरादाबाद जिला के अन्तर्गत ठाकुर द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में 12 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

जिला मेरठ के गांवों का विद्युतीकरण

6—श्री मंजूर अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ जिले में अभी तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया तथा साले खां में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला मेरठ में मार्च 1972 तक कुल 829 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा चालू वर्ष 1972–73 में 100 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रक्खा गया है।

तहसील मेरठ व मवाना में निजी नलकूपों को बिजली का कनेक्शन

7—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले की तहसील मेरठ व तहसील मवाना में 1971–72 में कितने निजी नलकूपों को बिजली का कनेक्शन दिया गया तथा अभी तक कितने कनेक्शन देने के प्रार्थना-पत्र शेष हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, तहसील मेरठ में 495 एवं तहसील मवाना में 516 नलकूपों/पम्पिंग सेटों का विद्युतीकरण 31 मार्च, 1972 तक किया गया।

तहसील मरठ में 110 व तहसील मवाना में 170 कनेक्शन देने शेष हैं।

प्रबन्धक हरनारायण इण्टर कालेज गंज डुंडवारा, एटा द्वारा नये हरिजन छात्रावास का तथाकथित हस्तान्तरण

8—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक हरनारायण इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा जिला एटा ने नया हरिजन छात्रावास 15 हजार रुपये में डिग्री कालेज गंजडुंडवारा जिला एटा को बेचा और वह धनराशि उपर्युक्त इन्टर कालेज के कोष में जमा नहीं की गई है ? यदि हां तो सरकार ने इस धन की खोज की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रबन्धक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को बताया है कि उन्होंने उक्त विद्यालय का हरिजन छात्रावास डिग्री कालेज गंजडुंडवारा को नहीं बेचा है और इस कथन की पुष्टि प्रधानाचार्य ने भी की है। प्रबन्धक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हरनारायण इन्टर कालेज गंजडुंडवारा के पास हरिजन छात्रावास है जिसमें हरिजन छात्र रह रहे हैं अतः छात्रावास को बेच कर धनराशि को विद्यालय के बीच में जमा करने का प्रश्न नहीं उठता।

किन्तु जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, एटा ने निरीक्षक को सूचित किया है कि उक्त छात्रावास हरनारायण इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा ने डिग्री कालेज गंजडुंडवारा को रु० 15,000 (पन्द्रह हजार) रुपये में हस्तान्तरित कर दिया है। पर इसके हेतु अभी वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। मामले की जांच कराई जा रही है।

तहसील बांस गांव, गोरखपुर के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों के कला अध्यापकों का वेतन

9—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव म कितने मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टरमीडियेट कालेज हैं जिनमें कला विषय की पढ़ाई चल रही है ? क्या यह सत्य है कि बहुत से कला अध्यापकों की उनके प्रशिक्षण एवं योग्यता के आधार पर वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों के नाम एवं पते क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव में कुल 24 मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर-मीडिएट कालेज हैं जिनमें से 9 विद्यालयों में कला अध्यापक नहीं हैं। शेष 15 विद्यालयों में कला अध्यापक हैं। इनमें दो कला अध्यापकों को उनकी योग्यता अनुसार वेतन क्रम नहीं दिया जा रहा। उक्त दोनों कला अध्यापकों के नाम व पते निम्नलिखित हैं:—

1—श्री दीनेश्वर सिंह, कला अध्यापक पं० जवाहर लाल इन्टर कालेज, बांस गांव, गोरखपुर।

2—श्री कन्हैया सिंह, कला अध्यापक, इन्टर कालेज इटवली बाजार, बांस गांव, गोरखपुर।

गोंडा जिला परिषद् के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं का भवन निर्माण

10—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले में ऐसी कितनी प्राइमरी पाठशालायें जिला परिषद् में हैं जिनके पास भवन नहीं है ? और उनको भवन कब तक बनवा दिये जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नगत जिले में 721 प्राइमरी स्कूलों के पास भवन नहीं है। 1971–72 में 115 स्कूलों को भवनों के लिये अनुदान दिया गया था। धन उपलब्ध हो जाने पर शेष स्कूलों को भी भवन निर्माण के लिये अनुदान दे दिया जावेगा।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास–कर विधेयक, 1972 पर विचार एवं पारण के समय अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने पहले भी, प्रश्नों के समय भी प्रश्न उठाया था, जिस पर आपने कहा था कि बाद में लेंगे। श्रीमन्, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपके सामने रखा है। 4 तारीख को भूमि विकास पर, जिसे कि हमने काला कानून कहा था, इस सदन ने न तो पास किया और न ही किसी सदस्य ने सुना कि क्या वोट हुआ क्या पास हुआ इतनी भी इनफार्मेशन नहीं है। मैंने उस समय प्रस्ताव किया था कि इसको जनता की राय जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित कर दिया जाए। उस प्रस्ताव पर भी मुझे उत्तर देने का अवसर नहीं मिला जब कि उस प्रस्ताव के बाद मुझ को उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए था।

एक दूसरा प्रस्ताव प्रवर समिति का था। उसके लिए भी उत्तर नहीं दिया गया और जब माननीय राजस्व मंत्री ने अपनी बहस शुरू की तो इस सदन ने उनको सुनने से इनकार कर दिया ऐसी स्थिति में यह जो भूमि विकास कर की बात एजेन्डे पर लाई गई है कि वह विधान परिषद से भी पास हो गया, तो, श्रीमन्, उसके लिये मेरा निवेदन है कि इसको अनियमित करार दिया जाय और विधान परिषद से निवेदन किया जया कि उसे इस सदन में दुबारा पास हो जाने के बाद वहां पर इस पर विचार हो। यह एक ऐसा विधेयक है कि जिस पर कि प्रदेश के करोड़ों किसानों के भाग्य का फैसला होने वाला है। इस विधेयक को 2 घन्टे में पास करने में जल्दी मचाई गई। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसी अवस्था में उस विधेयक को किस प्रकार से यह समझ लिया जाए कि वह पास हो गया। राजस्व मंत्री के भाषण पर लोगों को अवसर भी न मिल सका। इसलिये नियमों का उल्लंघन हुआ था। आप इस बात पर गौर करें और फिर से उस विधेयक को इस सदन में लाने की स्वीकृति दें न कि इस प्रकार से जैसे कि इसको कार्य-सूची की मद संख्या 3 पर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 2 तो हो जाए, तीन भी कर लेंगे। मद संख्या 3 को ले लेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह भी नहीं सुना कि वह विधेयक पास हुआ—

श्री अध्यक्ष—

भाई, आप सुनें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

लोगों ने सुनने से इंकार कर दिया था।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 27 जुलाई, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 27 जुलाई, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 25 जुलाई, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बिधेयक 1972 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश विकास कर विधेयक, 1972 पर विचार एंव पारण के समय अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर) आपका वक्तव्य तो हो गया है। आपने जो भाषण दिया वह नम्बर 3 पर चस्पा हो जायगा। और किसी को चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

जो मैंने पहले कहा है वह इस पर लिखा जायगा।

श्री अध्यक्ष---

जी हां।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष---

पहले नम्बर 3 को सचिव पढ़ दें।

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 1972 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष---

(श्री कल्पनाथ सिंह के पुनः खड़े होने पर) अभी आपका व्याख्यान हुआ। उसमें आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। और किसी को बोलना हो तो बोलें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आपने सचिव को बीच में पढ़ने के लिये कैसे कह दिया।

श्री अध्यक्ष---

यह पढ़ा नहीं गया था। जब तक पढ़ा न जाय तो मालूम कैसे होगा।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, सचिव ने अभी यह सूचना दी कि भूमि विकास कर विधेयक, जो विधान परिषद् को भेजा गया था, वहां से बिना किसी संशोधन और सिफारिश के वापस आ गया है। मान्यवर, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है विशेषाधिकार का। यह धन विधेयक है। इस सदन से वह विधिवत पारित नहीं हुआ। आप तो मौजूद नहीं थे लेकिन सचिव जी मौजूद थे। जिस वक्त इस बिल की रीडिंग हो रही थी उस वक्त यहां के कुछ सदस्य उस पर चर्चा का अवसर चाहते थे। सरकारी बेन्चेज की तरफ से यह आपत्ति उठायी गयी कि कार्य-मन्त्रणा समिति में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

इसके लिए 12 से 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था और चूंकि 5 बज रहे हैं इसलिये इस पर आगे चर्चा नहीं की जा सकती । लेकिन आप जानते हैं कि उस दिन इस बिल पर दो बजे के बाद ही किसी समय चर्चा शुरू हुई और सम्भवतः 3 बजे के आसपास शुरू हुई । 12 से 3 या ढाई बजे तक का समय जो कि चर्चा के लिये निर्धारित समय था वह हमें नहीं मिल सका ।

आप, मान्यवर, जानते हैं कि बिल का शुरू में रूप क्या था । इसका शुरू में रूप था कि एक एकड़ तक के किसान को लगान नहीं पड़ेगा, उसके बाद आधा लगान पड़ेगा और सवा छः एकड़ वाले जितना लगान है उसका दुगना अदा करेंगे । आप देखें कि जनमत का क्या असर होता है । सरकार अपनी नीति पर कायम नहीं रह सकी और उसे जनमत के आगे झुकना पड़ा । इधर के और उधर के सदस्यों का इतना जोर पड़ा कि सरकार ने जो एक एकड़ की छूट दी थी उसे 3-1/8 बढ़ा दिया, सवा छः एकड़ से साढ़े बारह एकड़ तक कोई बढ़ोतरी नहीं की और उसके बाद 50 प्रतिशत लगान विकास कर के रूप में बढ़ाया गया । इसलिये मान्यवर, जो चर्चा यहां सदन में चलती है, बाहर चलती है उसका असर सरकार पर पड़ता है और उसका ही समादर करते हुए सरकार ने बिल में इस तरह का संशोधन किया । मेरा निवेदन है कि अगर उस दिन चर्चा करने का समय दिया होता तो हो सकता है सरकार के ऊपर और असर पड़ता और वह झुकती और हो सकता है कि यह कर ही वापस हो जाता । इसीलिये हम लोग समय मांगते थे । हो सकता था कि हमसे वह प्रभावित होते, लेकिन यह मौका हम लोगों को दिया नहीं गया । नतीजा यह हुआ कि एक के बाद दूसरे सभी सदस्यों को घुटन मालूम हुई कि यह उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, और जो समय उनको मिलना चाहिये चर्चा के लिये वह नहीं दिया जा रहा है ।

इस अन्याय के विरोध में इस तरफ बैठे हुए सभी सदस्य खड़े हो गये और सबने अपनी बात कहनी चाही । 5 बजे तक उनका निवेदन चलता रहा और उस समय उपाध्यक्ष आ गये । उन्होंने दूसरे लाउड स्पीकर पर आकर बिल का पारण करवाना शुरू कर दिया । उसी को लेकर इतना जबरदस्त हंगामा यहां सदन में उठ खड़ा हुआ कि न इस पक्ष की और न उस पक्ष की, कोई बात नहीं सुनी जा सकती थी और इससे सिद्ध होता है कि उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य माननीय उपाध्यक्ष की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे और इधर की आवाज वहां नहीं जा रही थी कि इधर के माननीय जे० एन० सिनहा साहब बिचवानी का काम कर रहे थे । कभी वह आपकी कुर्सी पर जाते थे और कभी वहां से यहां लौट कर आते थे, फिर यहां से वहां जाते थे और वहां से लौट कर यहां आते थे । तो यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है यह बिल इस तरह से पास घोषित कर दिया गया जब किसी ने किसी की आवाज सुनी ही नहीं । जहां तक मेरी जानकारी है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी-कभी तो ऐसा हुआ है कि बिल के विरोध में उस तरफ के लोगों ने उनकी सूचना पाकर हाथ उठा दिये ।

हमारी बात आप न मानें । यह कांग्रेस का ही अखबार है । आप देखें कि विधान सभा की कार्यवाही की जो रिपोर्ट हुई है 'नेशनल हेराल्ड' में 5 अगस्त, 1972 की फ्रंट पेज पर उसको देखें--

There was so much din that none could hear the third reading of the Bill. The hon'ble members. Bhabi Yadav and Moti Lal Dehelvi got up on their seats

इस तरह से आगे चलता है । तो इस तरह से आप देखें कि यहां इतना शोर हो रहा था कि इस बिल की थर्ड रीडिंग को कोई सुन नहीं पाया । उसके बाद जब हम लोगों की आवाज का कोई असर नहीं पाया गया तो कुछ माननीय सदस्य अपनी कुर्सी से उठ कर आगे आ गये और आपकी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे और उसी बीच में हाउस एडजर्न हो गया ।

तो मेरा विनम्र निवेदन है कि यह बिल पास नहीं माना जा सकता । इस स्थिति से सभी लोग वाकिफ हैं । आखिर इस अखबार वाले से विपक्ष से कोई मुहब्बत नहीं है । उसके भी रिपोर्टर थे और अन्य रिपोर्टर भी मौजूद थे । ऐसी घटना इस सदन में कभी नहीं घटी कि एक आदमी कुर्सी की तरफ जाय और इधर की बात उधर जाकर कहे, फिर कुर्सी की तरफ जाय । तो ऐसी हालत में जब तक यह बिल पास न हो जाय तब तक वहां भेजा हुआ न माना जाय । आज जो सूचना पढ़ कर सुनायी गयी कि यह कौंसिल से पास होकर आ गया है इसका मतलब यह है कि इस सम्मानित सदन का जो विशेषाधिकार है उस पर कुठाराघात है । अगर इस तरह से कार्यवाही चलेगी कि बिना विधिवत् पास हुए वह यहां से पास मान लिया जाय तो उस हक को छीन कर बगैर पास किये हुए यहां से इस बिल को पास मान लिया गया और वहां प्रस्तुत कर दिया गया दूसरे सदन की रीडिंग के लिए, तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि पहला तो व्यवस्था का प्रश्न है कि यह बिल पास हुआ या नहीं ?

दूसरे इसी से जुड़ा हुआ विशेषाधिकार का प्रश्न है कि इस सदन के समस्त अधिकारों को पामाल करके इसे वहां भेज दिया गया और उसके बाद हमको बताया जा रहा है कि यह बिल पास हो गया है । मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करके माननीय अध्यक्ष जी इस पर अपना निर्णय दें, व्यवस्था दें और जो प्रिविलेज का सवाल रामधारी जी मेरी तरफ से और कुछ अन्य सदस्यों की तरफ से दिया गया है उस पर भी विचार कर लें । इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ने के बाद तो इस विधान सभा का जो सम्मान है बाहर वह कभी मिल नहीं सकता । क्योंकि आम राय यह बन गयी है कि इस सभा का कोई महत्व नहीं है । जब चाहो, जिस तरह से चाहो, कायदा हो या न हो, चाहे नियम इजाजत देता हो या न देता हो चाहे नियमो की अवहेलना होती हो या इस सदन के सम्मान की अवहेलना हो कोई भी बिल पास कराया जा सकता है । इसमें किसी पक्ष का सवाल नहीं है । उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य भी चाहेंगे कि इस विधान सभा का सम्मान हो, इसके कायदे-कानून का सम्मान किया जाय । बाहर के लोग भी चाहते हैं कि यह सभा प्रभावी हो और कायदे,कानून के अनुसार चले । उधर बैठने वाले जो न्यायप्रिय लोग होंगे उनको भी इसमें ऐतराज नहीं होगा । मेरी अपनी यह राय है और इस तरह के लोगों का केस तो मैंने आपके सामने रखा ही । तो मैं यह चाहता हूं कि इस पर आप न्याय करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजस्व मंत्री ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अभी तो हम लोग कुछ कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मौका दूंगा आपको भी ।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ जी और माननीय जायसवाल जी, दोनों ही मित्रों ने इस बात की शिकायत आपके सामने पेश की है कि 4 तारीख को डेवलपमेन्ट लेवी बिल के ऊपर जितना समय मिलना चाहिये था उतना नहीं दिया गया । पहले इस विषय में बड़ी नम्रता के साथ मैं यह निवेदन करूं कि यह बात सही है कि उस रोज विरोध पक्ष की ओर

[श्री उदित नारायण शर्मा]

से यह ऐतराज किया गया कि समय 12 से 5 बजे तक का निर्धारित था जिसका अर्थ यह था कि 5 घण्टे इसकी चर्चा के लिये दिये जायेंगे। जायसवाल जी ने कहा कि उस रोज इस पर चर्चा 2 बजे के उपरान्त आरम्भ हुई। मेरा जहां तक ख्याल है 2 बजे के पहले इस पर चर्चा आरम्भ हुई थी लेकिन मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि बताया यह गया सचिव, विधान सभा की ओर से कि यह चर्चा 1 बज कर 24 मिनट पर आरम्भ हुई थी, लेकिन मैं इसको जिद नहीं करना चाहता।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

डेढ़ बजे तो मैं खुद सदन से उठ कर गया था। उस वक्त तक इस पर चर्चा आरम्भ नहीं हुई थी।

श्री उदित नारायण शर्मा—

आप 1.24 बजे न मानें, 2 बजे मानें, ढाई बजे मानें। इस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिये कि उसी समय मैंने यह निवेदन किया था कि जितनी देर से यह समझा जा रहा है कि इस बिल पर चर्चा आरम्भ हुई, पहले यह मांग की गयी थी कि समय बढ़ा दिया जाय, तो मैंने यह तसलीम किया था कि जितनी देर से यह चर्चा आरम्भ हुई है उतनी देर के लिये इसकी चर्चा को 5 बजे के बाद बढ़ा दिया जाय। उसमें भी माननीय मित्रों को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि यह काफी नहीं होगा। तो मैंने यह निवेदन किया कि यह सदन जितनी देर तक चाहे, चाहे रात भर बैठ कर इस पर विचार कर ले। यह भी निवेदन किया था कि अगर फिर भी वह समझें कि वह काफी नहीं है तो दूसरे रोज भी हम बैठेंगे और इस पर चर्चा करें। दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि नहीं, अब इस पर चर्चा 14 तारीख को, यानी आज होनी चाहिये। मैं उसका कोई पर्याप्त कारण नहीं समझ पाया। उस वक्त जो कारण बताया गया वह यह बताया गया कि बहुत से विधायक ऐसे हैं जो जा चुके हैं। जो माननीय विधायक जा चुके थे वह जिस वक्त हमारी चर्चा हो रही थी उससे पहले जा चुके थे.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उस वक्त इसी बिल के विरोध में दो दलों के लोगों ने सदन त्याग किया था, भारतीय क्रान्ति दल और जनसंघ के सदस्यों ने पहले ही सदन छोड़ दिया था। तो उनको इस स्थिति का पूरा पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि जानबूझ कर दिलचस्पी न होने के कारण वह चले गये हों। यह तर्क आपका सही नहीं है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जो दो दलों के माननीय सदस्य सदन का परित्याग करके चले गये थे वे तो यह जानबूझ कर चले गये थे कि उनके लिहाज से इस बिल की चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिये। इसलिये उनके होने या न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अन्तर पड़ता है उनसे जिनको यह मन्जूर था कि यहां बैठ कर इसकी चर्चा में भाग लेंगे। जिन लोगों ने इसमें भाग लिया उनका यह कहना था कि उनके माननीय विधायक कुछ पहले जा चुके हैं। उनके बारे में मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये यह समझ कर गये थे कि उस वक्त तक किसी को यह गुमान भी नहीं हो सकता था कि 5 बजे के बाद यह चर्चा चलने वाली है। ये यह समझ कर गये थे कि 5 बजे तक इसकी चर्चा समाप्त हो जायेगी। इसका अर्थ अगर हम यह निकालें तो निस्संदेह सही होगा कि उनकी उसमें दिलचस्पी नहीं थी। यदि श्रीमन्, थी भी तो हम इसके लिये तैयार हैं कि रात को करें, दिन को करें, यह कहना कि हम समय नहीं दे रहे थे हमारे साथ अन्याय है।

मैंने उस दिन यह बात कही या नहीं यह तो श्रीमन्, आपके रिकार्ड से देखकर तस्दीक हो जायेगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय जायसवाल जी ने कहा कि यहां की कार्यवाही नियमानुसार हुआ करे, हम लोग यह चाहते हैं। उस दिन मान्यवर, जिस तरह माननीय उपाध्यक्ष आदेशों की उस दिन अवहेलना की जा रही थी और आपकी बिना इजाजत के विरोध पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे, वह कहां तक मान्यवर, नियमनुसार था ये सारी शिक्षा हमें ही मान्यवर, देगें या स्वयं भी उसक बारे में सोचेगें ? क्या उस दिन जो बात वे कर रहे थे वह उचित थी ? विरोध पक्ष को वही कदम उठाने चाहिये जो संसदीय परम्पराओं के अनुसार हों, नियमों के अनुसार हों। जब एक नहीं, दो नहीं, दस-दस माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर इस तरह की बात करेंगे और ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि किसी की कोई बात सुनी ही न जा सके और हमसे यह अपेक्षा करेंगे कि कार्यवाही शान्तिपूर्वक चले तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। इसमें दोष हमारा है या उनका ? ये स्वयं उस काम को करें और खामियाजा उसका हमें भुगतना पड़ें तो यह कहां का न्याय है।

दूसरी बात यह कि वोटिंग के लिये जो समय था, उस समय उस पर वोटिंग हुई...

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

कार्य-मन्त्रणा समिति के बिपरीत कार्य हुआ है, वहां जो तय हुआ था मैं वह बताऊंगा, आप मुझे समय दें ... (में व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

कार्य-मंत्रणा समिति का निर्णय सदन में पुट ही नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष— (व्यवधान)

आपको भी मौका मिलेगा। आप कृपया बैठें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, जब 5 बजने में 5 मिनट रह गये थे, उपाध्यक्ष जी ने इसकी वोटिंग की कार्यवाही आरम्भ की। उनके अमेन्डमेन्ट्स पेश हुए। वह वोटिंग में ही रखे गये। उनके अमेन्डमेन्टस वोटिंग में गिरे और हमारे स्वीकार हुए। उस पर एक-एक खण्ड को लेकर वोटिंग हुई, पूरे तौर पर हुई। उपायध्क्ष जी ने खड़े होकर कार्यवाही की, बावजूद इसके कि हल्ला था, इतना सुनाई पड़ता था कि वह क्या कह रहे हैं। किसको वोट करना है, हमारा मांगा जा रहा है या उनका मांगा जा रहा है, यह हम सबको सुनाई पड़ रहा था और विधिवत इस तरह से उस दिन यह विधेयक पास हुआ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मुझे बड़ा दुख है कि इस बात को विधित् कहा जाय, जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा। कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक तीन तारीख को आपने 6 बजे बुलाई थी। यह हाउस साढ़े आठ बजे तक चलता रहा और यह मान लिया गया कि कार्य-मंत्रणा समिति अब साढ़े 8 बजे होगी। यद्यपि मैं उसमें नहीं जा सका, लेकिन कार्य-मंत्रणा समिति ने 12 से 1 बजे तक जो समय निश्चित किया था। जायसवाल जी ने जो कहा 2 से 5 की जो बात कही, वह 2, ढाई से शुरू करने की बात कहते हैं, मैं उसके विवाद नहीं जाना चाहता।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसके पहले भी आपको याद होगा, इस सम्बन्ध में कुछ दल वाक-आउट कर चुके थे। आपने निर्णय दिया था कि उपाध्यक्ष जी ने जो निर्णय दिया है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। शर्मा जी ने जो बताया वह अपनी जगह पूर्ण ठीक है। मैंने स्वयं 1-1 करके मूव किया था। अब प्रश्न यह है इस विषय में एक निर्णय पीठासीन अधिकारी ने दिया, उस पर वोटिंग हुई और फिर विधान परिषद् में पास हुआ, जिसकी सूचना यहां दी गई। तो क्या अपका निर्णय यह है कि उसमें कोई तब्दीली हो सकती है। (व्यवधान) मान्यवर, आपका निर्णय हो चुका है कि उपाध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, के इस निर्णय के बाद, सदन के निर्णय के बाद, सदन से उसके पारित हो जाने के बाद, विधान परिषद् से हो जाने के बाद क्या उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है? (व्यवधान)

श्री बांके लाल---

उन्होंने हाउस में कुछ नहीं कहा, कुछ सुनाई नहीं पड़ा, यह बकवास है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं एक और निवेदन श्रीमन् कर दूं। बिल पर सामान्य चर्चा चल रही थी, उस पर समाप्त नहीं हुई थी, उस पर ही समय की बात कही जा रही थी और खण्ड वार उस समय तक तो विचार शुरू ही नहीं हुआ था राजमंगल पांडेय जी जो कह रहे हैं, वह तो सत्य से परे है।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

यहां पर लिखने वाले कितना लिखते होंगे, यह मैं नहीं जानता लेकिन यह जो कहते हैं वह शत प्रतिशत सत्य से परे है। मैंने कबूल किया है, मैंने न रहते हुए भी कबूल किया है, कि इस बात पर विवाद के लिये समय हम और अधिक चाहेंगे। प्रोसीडिंग में मैंने कहा है कि मुख्य मंत्री जी नहीं है, नहीं तो वह समय सम्बन्धी हमारे निर्णय को अवश्य स्वीकार करते। पंडित जी बराबर कह दिया करते हैं घन्टे दो घंटे और सही। उस समय पार्लियामेन्टरी अफेयर्स के मंत्री जी भी नहीं थे। मैंने बोलना शुरू किया था। कि आप इस काम को 14 तारीख को ले लीजिए, यह आपोजीशन का निवेदन है। और 14 तारीख का असरकारी दिवस किसी दूसरे दिन ले लीजिए, 16 को ले लीजिये, 17 को ले लीजिये। लेकिन हम चाहते थे कि 14 को पास हो जाय। यह बात बिलकुल ठीक है कि पांच बजे तक सामान्य चर्चा हो रही थी। मैंने उपाध्यक्ष जी को लाबी में पकड़ा और उनसे कहा कि साहब आपने पांच बजे के बाद पास करवाने की कार्यवाही शुरू की। उन्होंने कहा कि जब आप लोग काम नहीं करने देते थे तो मेरे सामने चारा क्या था।

मैंने उनको यह भी बताया कि सदन में कार्य-मंत्रणा समिति की कार्यवाही की पुष्टि नहीं हुई। पुष्टि हो भी जाय तब भी 5 बजे तक प्रवर समिति का प्रस्ताव, जनमत संग्रह का प्रस्ताव, सारे मूव कर दीजिये, एक-एक खण्ड पर वोटिंग हो, उसके बाद थर्ड रीडिंग हो, उस पर मंत्री जी बोलें, हम लोग बोलें, उसके बाद बिल पास होता। अगर प्रजातंत्र में, हमारे नियमों के अन्तर्गत, बिल का पास होना ऐसा ही है तो मैं कहूंगा कि प्रजातंत्र के रास्ते से तो वह बिल पास नहीं हुआ, संख्यासुर के बल पर भले ही पास करवाया हो। माननीय राजमंगल पांडेय कहते हैं कि मैंने खंडशः संशोधनों के प्रस्ताव पेश किये। स्थिति यह थी कि कोई सुन नहीं रहा था। श्री जे0 एन0 सिन्हा वहां से उठ कर बता जाते थे कि नम्बर 4 फलां का है मंजूर करना है, नम्बर 5 और 6 नामंजूर करना है। हाउस के निर्णय के अनुसार या कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार पांच बजे तक बिल पास नहीं हुआ, उस समय तक फर्स्ट रीडिंग भी खत्म नहीं हुई थी, पांच बजे के बाद दूसरा विषय आ गया था सूखे के विषय पर, पांच बज कर एक मिनट पर वह शुरू हो जाता अजेन्डे के अनुसार।

अजेन्डा में लिखा हुआ था सामान्य कार्य के उपरान्त पांच बजे से दो या कितने घन्टे तक चर्चा। जब यह पांच बजे तक नहीं पास करा सकते और पांच बजे तक सामान्य चर्चा ही होती रही तो पांच बज कर एक मिनट से सूखे का विषय आ गया। उनका बिल पेंडिंग हो गया। लेकिन मेरी बात को नहीं माना। इस तरफ के सदस्यों ने ऐतराज किया और इस सदन में इतना शोर हुआ कि कुछ सुनायी नहीं पड़ता था। प्रोसीडिंग को देख लिया जाय, अगर ईमानदारी से कहा जाय, प्रोसीडिंग लिखनेवाले, कोई प्रोसीडिंग एक अक्षर नहीं लिख सके होंगे कि उपाध्यक्ष ने क्या कहा, मंत्री ने क्या कहा। यह बात कोई हो जाय कि आपका निर्देश हो जाय कि अजेन्डे के अनुसार बैठाकर कह दीजिए कि मंत्री जी ने पारित करने का प्रस्ताव किया, उपाध्यक्ष ने प्रश्न उपस्थित किया और यह मंजूर हो गये। लेकिन यह कि बिल को खण्डवार प्रस्तुत किया, जनमत संग्रह पर जवाब देने का मौका कल्पनाथ सिंह जी को नहीं मिला, म आपसे अनुरोध करूंगा कि उनकी मेजारिटी है, वह पास कर सकते हैं, लेकिन रश हश में, बिना चर्चा का अवसर दिये हुए पास करते हैं, तो शर्मा जी देश की जनता आप को क्षमा नहीं करेगी। अगर बहुमत के आधार पर अगर सरकार को नहीं गिरा पाते और मोरैलिटी से सरकार गिर गयी है तो भी सरकार को हट जाना चाहिये। आप हटे नहीं। मैं आपसे पूरी ताकत से अनुरोध करूंगा कि यह बिल पास नहीं हुआ है। आप निर्णय दें कि यह बिल आये, इस पर विचार हो। छिपे-छिपे वह टैक्स भी लगाना चाहते हैं और बोलने भी देना देना नहीं चाहते हैं।

मेरी जनता कहती है कि इसका विरोध करो। मैंने यह भी चुनौती दी थी कि राजस्व मंत्री के क्षेत्र में जनमत संग्रह करा दिया जाय और वहां अगर यह बिल राजस्व मंत्री पास करा लेंगे तो यह बिल पास कर दिया जायगा वर्ना सरकार को और उनको इस्तीफा दे देना होगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, अभी उत्तर देते हुए माननीय राजस्व मंत्री ने कुछ उन दलों का जिक्र किया जो उस दिन वाक आउट करके चले गये थे। मेरा दल भी उस दिन वाक आउट करके चला गया था। इस वास्ते नहीं वाक आउट किया था कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे बल्कि मैंने उसके निश्चित कारण बतलाये थे जो कि रिकार्ड में होंग और वे कारण ये थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी न इसी सदन में यह कहा था जब कि इस पर बड़ा विरोध हो रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री विरोधी दलों के नेताओं को बुलाकर आपस में कुछ बातचीत कर लें हमने उसका मतलब यह निकाला कि हमको यह स्पष्टीकरण दिया जायगा कि क्यों यह बिल आया है लेकिन जब आपके यहां मीटिंग हुई विरोधी दल के नेताओं की और मुख्य मंत्री भी उसमें मौजूद थे तो उन्होंने यह कहा कि मेरा यह मतलब नहीं था कि वह हमको कुछ बतलायेंगे बल्कि मतलब उनका यह था कि आपस में सलाह मशविरा करके कोई बात तय होगी।

मैं उस दिन मौजूद भी था। जिस दिन बिल पेश हुआ था उस दिन भी मैं मौजूद था और विरोधी दल की मीटिंग में भी मौजूद था। आपने फिर मीटिंग बुलाई थी ताकि बिरोधी दल के नेताओं से सलाह मशविरा करके कोई बात तय हो सके। उस दिन राजस्व मंत्री जी से यही बात कही गयी थी कि मुख्य मंत्री जी ने जो वायदा किया था उसे वह पूरा करने को तैयार हैं या नहीं या केवल बहुमत के आधार पर इसे पास करा लेना चाहते हैं। इसे वह रोक तो नहीं सकते थे। केवल अपनी बात कह सकते थे। हमारी बात का असर पड़ता तो शायद इस रूप मे पारित न होता वर्ना जो सरकार चाहती वह तो कर ही लेती। उन्होंने कहा कि हम कोई बात करने को तैयार नहीं है तो हमने समझा कि हमारी बात वह सुनने को तैयार हैं नहीं, अपनी संख्या के बल पर इसे पास कराना चाहते हैं तो हमने यह उचित समझा कि अब इस सदन में बैठना ही बेकार होगा। इस आधार पर मैं अपने दल के साथ वाक आउट करके चला

[श्री जयराम वर्मा]

गया। मेरा बल तो यहां नहीं रहा लेकिन यह बात अपनी जगह सही है कि समय बहुत कम था, सदन में काफी शोरगुल था और क्या कार्यवाही हो रही है बड़ा मुश्किल था उसका पता लगना। इसलिये जब यह पता नहीं चला क्या कार्यवाही हो रही है और इधर से संशोधन पेश करने वालों को जवाब देने का मौका नहीं मिला और वह चीज पास कर दी जाय तो बड़ा मुश्किल है यह कहना कि कोई कायदे की कायवाही हुई।

अच्छा यह होता कि आज जब सदन बैठ रहा था और आज का दिन असरकारी दिवस है तो आज के दिन सरकारी काम हो जाता। थोड़ा सा भी यह ख्याल होता कि इस बिल पर विचार करना है सुन करके संशोधन करना है तो हम समझते कि बात कहने का असर पड़ेगा और उसमें संशोध न हो जायगा और असर पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया और रूलिंग पार्टी ने जो कहा था कि हमको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा वह मौका हमको नहीं मिला और जिस तरह की कार्यवाही सदन में होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। अगर उस तरह की कार्यवाही कर ली जाय चाहे कोई सुने अथवा न सुने, चाहे किसी को अपना जवाब देने का मौका मिले या न मिले तो फिर कोई भी कार्यवाही हो सकती है और तब हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि सदन में नियमानुसार हम लोगों को सुनकर कोई कार्यवाही की जायेगी। यदि हमको सुनने का आप मौका नहीं देंगे तब तो दूसरी ही बात है। इसके लिये तो रूलिंग पार्टी जिम्मेदार है वह चाहे जिस तरह से करे। तब हम लोगों का हिस्सा लेने का और उसमें मिलकर निर्णय लेने का मौका ही नहीं रह जाता।

श्री अध्यक्ष—

यह बात भी है कि उस समय उपाध्यक्ष जी मौजूद थे। उनकी जानकारी में यह बात हुई है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है...

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय, यदि आपके विचार न बदलें तब हमारे साथ अन्याय होगा।

(इस समय 12 बजकर 41 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्रीवासुदेव पीठासीन हुए)

माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची में मद संख्या 3 पर जो विषय उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक है जिसे विधान सभा ने पास किया और जिसे अध्यक्ष ने प्रमाणित किया, तब वह विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के वापस हो गया, उसका कानूनी प्रभाव क्या है। इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका कानूनी प्रभाव कुछ नहीं है क्योंकि यदि वह विधेयक विधिवत् पास हुआ होता, उसके बाद आपके द्वारा प्रमाणित होकर विधान परिषद् को भेज दिया गया होता, उस पर वहां विचार हो कर आया होता, तब सचिव यहां पर इसकी घोषणा करते तभी इसका कानूनी प्रभाव होता। लेकिन माननीय, इसकी पहली कड़ी टूट गई और वह यह कि यह विविधवत् पास नहीं हुआ इसलिये इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। वह कैसे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस सदन के इतिहास में यह पहला विधेयक है जिसमें सभी दल के लोग एक मत थे और हम लोगों ने सर्व-सम्मति से एक निर्णय लिया था कि सवा 6 एकड़ तक का लगान नहीं लिया जायगा। इतने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक लगान लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इस प्रश्न पर हर व्यक्ति ने अपनी सहमति दे दी थी। हम चाहते थे कि इस पर विचार हो, सर्वसम्मति से निर्णय हो। यहां तक हुआ था कि कांग्रेस दल ने भी मुजफ्फरनगर की अपनी एक बैठक में ऐसा प्रस्ताव पास किया था। इस पर पूर्ण रूप से विचार हो जाना चाहिये था और सभी के साथ विचार-विमर्श करके किसी निर्णय पर पहुंचते।

अभी एक बात हमारे माननीय बंशीधर जी ने और माननीय जायसवाल जी ने एक बात आपके सामने रखी और यह बात सही है कि जिस वक्त इस पर विचार हुआ था उस वक्त हम लोगों ने सदन त्याग किया था। उसका कारण माननीय वर्मा जी ने दिया। बजट सेशन से इस सरकार की निति हम लोगों के गले घोंटने की ही रही है। एक भी मुनासिब समय नहीं दिया जाता है हम लोगों को।बजट के समय उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस वक्त के अन्दर ही अपने बिल पास करने हैं।12 मई तक का ही प्रोग्राम बनाया और समय निर्धारित कर दिया। हम लोग तो मजबूर थे। आप लोगों की संख्या अधिक थी। कार्य-मंत्रणा समिति में माननीय तिवारी जी बैठे हुए थे उस वक्त भी हम लोगों ने यह कहा था कि भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। जब कार्य-मंत्रणा समिति की बैठकें होने लगती थी तब यही कह देते कि इसी समय के अन्दर इनको पास हो जाना चाहिये। ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है।

मान्यवर, आपको स्मरण होगा सन् 52 में 92 संशोधन लिये गये और 2–2 विधेयकों का समय निकल गया। इस प्रकार हमारा काटा जाता है। यह बात सही है कि हम लोगों ने सदन का त्याग कर दिया था क्योंकि उस वक्त यहां पर हल्ला हो रहा था और पौने दो बजे तक इस विधेयक को टालते रहे। चूंकि मैं यहां नहीं था किन्तु यह विधेयक तब तक नहीं आ सका था। दो चार मिनट का इधर उधर फर्क हो सकता है लेकिन जैसा कि श्री बंशीधर पांडेय जी ने कहा—यह विधेयक 3 घण्टे में भी पास नहीं हो सकता था क्योंकि कभी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा देता, कभी कोई प्रश्न उठा देता। तो इन सब बातों से मैं पूर्व परिचित था कि इस तरह से 3 घण्टे में भी यह विधेयक पास नहीं हो पायेगा फिर उन्होंने चालाकी से इस विधेयक को पास किया। जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, खण्डशः संशोधन तो लिया ही नहीं गया।

इस विधेयक के बारे में दो घटनाएं हुई जिनको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहले दिन तो मान्यवर, आपने एक ऐसा निर्णय लिया—जब कि प्रेसाइडिंग आफिसर्स की मीटिंग में यह तय किया गया था कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज सदन के सामने हो तो उस पर चर्चा के लिये, विचार करने के लिये पूरा अवसर मिलेगा लेकिन अगर इतना हल्ला शोर हो कि सदन पर काबू न किया जा सके तो नीति का तकाजा है कि सदन को स्थगित कर दिया जाय। दूसरा पहलू यह है कि अगर सदन को स्थगित न किया जाय तो समय बढ़ा दिया जाय। तो पहले मैं समय के ऊपर ही कहना चाहता हूं कि शर्मा जी ने पहले 2 बज की बात की, फिर 5 बजे की बात की, फिर 12 बजे रात तक बैठने की बात करने लगे लेकिन वे दूसरे दिन तक समय बढ़ाने के लिये तैयार नहीं थे यानी एक दिन अधिक नहीं बढ़ा सकते थे। जैसे पहले से उन्होंने तारीख निश्चित कर रखी थी कि 5 तारीख को सदन नहीं चलाना है और ऐसा लगता था कि उनकी एक डिक्टेटोरियल प्रवृत्ति है और चालाकी से भरी हुई है। हमने कहा कि एक दिन का समय बढ़ा दीजिये लेकिन वे इसके लिये तैयार नहीं हुए। जब हमने समझ लिया कि वे हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है तो हमारे लिये कोई रास्ता नहीं था।

माननीय मंत्री जी बराबर चालाकी से कभी 2 बजे, कभी 5 बजे और 12 बजे रात तक सदन के चलाने की बात करते रहे लेकिन यह केवल तर्क की बात थी। मान्यवर, पहले दिन तो आपने उस परम्परा का पालन किया कि जब शोरगुल होने लगा और पूर्णरूप से विधेयक पर

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

विचार नहीं हो सका तो आपने उस दिन सदन को स्थगित कर दिया। फिर दूसरे दिन उस पर विचार हुआ और फिर शान्तिरूप से सदन चलने लगा लेकिन मैं वहां से देख रहा था और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि पता नहीं कौन से ऐसे कारण हैं कि इतना शोरगुल होने के बाद भी उस दिन सदन स्थगित नहीं हुआ। और कोई सिन्हा साहब जा जाकर आपको बतला आते थे कि तीसरा खण्ड पास हो गया अब चौथा लीजिये या यह लीजिये।

मैं तो समझता हूं कि यह इस सदन के लिये डिरोगेटरी है, यह इस सदन की प्रतिष्ठा व मान मर्यादा के अनुकूल नहीं है कि कोई पीठासीन अध्यक्ष के पास जा जाकर उसको कुछ न कुछ करने के लिये कहता रहे। क्या यह कोई बच्चों को घर घिरौना है कि जब चाहा बच्चे ने मिट्टी का घर बनाया और फिर उसे गिरा दिया? यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है जिससे लाखों आदमी प्रभावित होते हैं, जिससे सारी कृषि नीति प्रभावित होती है, सारी भूमि नीति प्रभावित होती है, उसके ऊपर आपने घर घिरौने की तरह से निर्णय लेना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जिस परम्परा का पालन आपने पहले दिन किया, उसका दूसरे दिन पालन नहीं किया। मैं कोई दोषारोपण की दृष्टि से यह नहीं कह रहा हूं लेकिन इस पहलू से मैंने यह कहा कि उस दिन हमारा अहित हुआ, विरोधी पक्ष के साथ अन्याय हुआ। मेरा विश्वास है कि अगर पूर्णरूप से इस पर चर्चा होती, तो जैसा कि इलाहाबाद में भी उस पक्ष के लोगों ने कहा है—वे भी इस विधेयक के विपरीत है। क्योंकि आपके मुजफ्फरनगर कांफ्रेंस में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ था जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी थे। हमारे पास ऐसी सारी सामग्री उपस्थित करने के लिये है। अगर विरोधी पक्ष पूर्ण रूप से इस पर विवाद और चर्चा करने का अवसर पाता तो संभव है कि उधर वाले भी अपनी राय बदल देते। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा—यह विचित्र बात है कि सदन में इतना शोर गुल हुआ कि कुछ सुना ही नहीं गया फिर भी विधेयक को पास घोषित कर दिया गया। यह हमारे लिये बिलकुल अन्यायपूर्ण था, और हम समझते हैं कि विधान परिषद् में जो भेजा गया वह भी नियम विरुद्ध था। नियमानुसार उसे विधान परिषद् में नहीं भेजना चाहिये था।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यह बिधेयक पास नहीं हुआ और इस हल्ला गुल्ला में निर्णय लिया गया और आपने देखा होगा और अगर इसे एवायड किया जाय तो अच्छा होगा। कोई हां न भी कहे तब भी कह दिया जाता है कि हां की संख्या बहुत है। हम इस निर्णय को गलत इसलिये कहते हैं, अगर सब हां कहें और बहुमत की आवाज आये और कहा जाय कि हां की संख्या बहुत है। लेकिन यदि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक निकल जाएं तो इसमें जनता का गला कट गया और विरोधी पक्ष का गला कट गया। हमें अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं मिला। इसलिये यह उचित है कि इस पर पुनः चर्चा करने का हमें मौका दिया जाय। संख्या के बल पर यह जिता लेंगे लेकिन हम थोड़ा यह भी समझते हैं कि आप शायद हमारे कहने पर वही निर्णय करें जो हमने किया। हमें पुनः अवसर दिया जाय। मेरी आपसे अपील है कि ऐसी स्थिति ला दी जाय और हमें चर्चा करने का अवसर दिया जाय। इसके लिये कोई दूसरा अवसर मुकर्रर किया जाय और इस विधेयक को पारित न माना जाय और मद 3 पर जो विधेयक है उसको प्रभावी न माना जाय।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, हमारा व्यवस्था का सवाल था। हमारी एक बात सुन लें। अभी सदन के बाहर मैं जेल में हूं और आपकी आज्ञा से मैं यहां आया हूं। हमने इसके ऊपर 4 तारीख को अपना अमेन्डमेन्ट दिया था लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। गैर कानूनी ढंग से इसको पारित किया गया। आप जानते हैं कि इसके लिये सोशलिस्ट पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और हम लोग जेल गये हैं। मैं 9 तारीख से जेल में पड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि

अगर इस आदरणीय सदन में भी कायदे कानून नहीं चलेंगे तो फिर जनतंत्र कैसे कायम रहेगा। आज इस पुनीत अवसर पर यह ऐसा काला काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिये।

मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आज राष्ट्रीय पर्व के दिन इस काले कानून को पास न किया जाय। और अमेन्डमेंट के लिये हमें मौका दिया जाय। मुझे इस अवसर पर जेल से लाया गया है। मैं पुलिस की निगरानी में आया हूं और फिर जेल चला जाऊंगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, इस पुनीत अवसर पर सारे कैदी छोड़ दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

खण्डों में हमारा संशोधन था और हमें उसको रखने के लिये मौका नहीं दिया गया, इसलिये यह विधेयक पारित नहीं हुआ। आप तो समाजवादी हैं इसलिये आप रूलिंग दे दें। कहीं ऐसा न हो कि लोगों को यह कहने का मौका मिले कि उस समय माननीय उपाध्यक्ष जी बैठे थे, वे सोशलिस्ट थे फिर भी ऐसा कर दिया गया। इसलिये पूर्ण रूप से विचार करके इसके लिये मौका दें कि आज इस पर बहस कर ली जाए।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं। ऐसा है कि मुख्य मंत्री जी खड़े हैं। उनको मैंने बुला लिया है। इससे पहले मैंने आपके दल के एक माननीय सदस्य को भी मौका दे दिया है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

उपाध्यक्ष जी, पहले मैं माननीय रूपनाथ सिंह यादव की इसभ्रान्ति को दूर करना चाहता हूं।

कि उपाध्यक्ष या माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आप यहां आये हैं मैं उन लोगों ...श्री मही लाल जी जरा शांत हो जायं....

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

पंडित बंशीधर पाण्डेय हमें छेड़ रहे थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मत तो बाहर व्यक्त किये जाते हैं...

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तो मैं माननीय रूपनाथ सिंह से यह कह रहा था कि माननीय अध्यक्ष जी या उपाध्यक्ष जी को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वह आपको यहां बुलाते...

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से विनती कि थी हमें इस परिस्थिति में विचार रखने से वंचित न करें लेकिन आपने ही यदि हमें यहां आने दिया है तो आप को धन्यवाद और आप विचार करके इस विधेयक पर फिर से विचार करने का अवसर देंगे तो मैं आपको बधाई दूंगा।

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं है, हम यह नहीं कर सकते, यह सरकार का काम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहां आ सके, श्री तेज भान जी का आ सके इसका निश्चय न अध्यक्ष जी ने किया और न उपाध्यक्ष जी ने किया बल्कि सरकार ने निश्चय किया और आप को आज यहां आने का अवसर दिया गया। यह मैंने आपका जो भ्रम था उसको दूर किया ।

दूसरी बात मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि हमारे माधो जी अभी कुछ हमारी डिक्टेटोरियल प्रवृत्ति का उल्लेख कर रहे थे। जहां तक इस बिल का प्रश्न है यह एक ऐसा कानून है जिसके बारे में दो रायें हो सकती हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसके विषय में विपक्ष में भी बहुत से तर्क हो सकते हैं पक्ष में बहुत से तर्क हो सकते हैं, दो रायें हो सकती हैं और दो रायें होना ऐसे विषय पर निश्चित सी बात है और यह एक मानी हुई बात है। उन्हें इस बात का अधिकार है कि जब भी उनको अपनी राय विधेयक के विरोध में रखने का अवसर मिले वह उसे व्यक्त करें लेकिन प्रश्न यह है कि जब बिल यहां अनुज्ञा के लिये पेश हुआ तो उधर से शोरगुल मचाया गया और यह कहा गया कि यह काला कानून वापस करो, हम इसकी अनुज्ञा नहीं देंगे। जबकि विरोधी दल के लोग यह जानते थे कि वह अल्पमत में हैं लेकिन उन्होंने यह सोच कर कि अगर राय लेकर अनुज्ञा के विरुद्ध वोटिंग करायी जायगी तो अनुज्ञा मिल जायगी, उन्होंने सदन को नहीं करने दिया और शोरगुल यहां हुआ जिसकी कि हमारे माधो जी परम्परा की संज्ञा दे रहे थे, वह परम्परा क्या थी आप के लिये लाचारी थी और उस समय श्रीमन्, आप ने सदन को स्थगित किया। अगले दिन फिर, 2 दिन बाद अनुज्ञा का प्रश्न आया, उस समय भी यह सवाल उठाया गया कि शोरगुल में जो वोटिंग लेकर अनुज्ञा दे दी गई थी उसके लिये उधर से कहा गया कि शोरगुल में उस वक्त किसी ने कुछ नहीं सुना इसलिये अनुज्ञा के प्रश्न को फिर रख दिया जाय और फिर वह प्रश्न रखा गया। तो यह चीज कोई हमारी डिक्टेटोरियल प्रवृत्ति की द्योतक नहीं है।

उसके बाद जब पुरःस्थापन का सवाल आया तब भी उस का विरोध किया गया और उस वक्त यहां तक कहा गया कि यह काला कानून वापस लो, सदन नहीं चल सकेगा, शोरगुल भी हुआ और उसके बाद वाक आउट भी हुआ और उधर के लोग बाहर भी गये और उसके बाद इस बिल का पुरःस्थान हुआ। उसके बाद यह बिल यहां पेश हुआ कि उस पर सदन में विचार हो। हमारे विरोधी पक्ष के 2 दल तो पहले ही यहां से इसके विरोध में जा चुके थे लेकिन जो यहां बैठे थे अगर वह भी वहां पर बहस करने को तैयार न हों, अपनी बात कहने को तैयार न हों और अल्पमत शोरगुल मचाकर किसी विधेयक पर होने वाले विचार को हर तरह से वीटो कर दें और विचार हो ही न पाये यह कहां की लोकतांत्रिक और उचित परम्परा है? यदि शुरू से ही यह नीति बरती गई कि इस बिल को यहां आने न दो, इस बिल को डिले करो, इस पर विचार न होने दो, विचार के लिये सदन में उपस्थित न होने दो और शोर गुल मचा कर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दो कि सदन में इस पर विचार ही न हो और यहां का काम ही न चल सके तो ऐसी स्थिति में पीठासीन व्यक्ति को नियमानुसार यह अधिकार होता है कि वह सदन का काम चलाये। उस रोज सदन में मैं भी नहीं था, जायसवाल जी भी नहीं थे और न मैं समझता हूं कि माननीय जयराम जी और माधो जी ही यहां थे।

सदन में कोई नहीं था। राजस्व मंत्री जी की ओर से यह कहा गया, न जाने कितनी बार यहां पर रात के 9–9 और 10–10 बजे तक मामूली से प्रश्नों को लेकर 1 या डेढ़ घंटे का समय बढ़ाया गया। उस रोज हम उठ रहे थे। कहीं यह तय हुआ था, बंशीधर जी की तो राय दूसरी ही है कि यह तय नहीं हुआ था, कि इस बिल को शाम तक समाप्त कर दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान लीजिए तय नहीं हो पाया था। तो राजस्व मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि अगर 1 या 2 घंटे विवाद में लग जाये, जो विवाद उठ खड़ा हुआ था तो कोई हर्ज नहीं है। 2 घंटे या उसके बाद बहस कर दें लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आज नहीं करना चाहते हो तो 5 तारीख को अगले दिन फिर इस पर विचार कर लिया जाय लेकिन शोर हुआ कि इसको 14 तारीख को लिया जाय। फिर 14 को मान्यवर, सिवाय इसके कि जब अवसर हो विचार न किया जाय, हल्ला करने की कोशिश की जाय तो उस पर शोर गुल मचाया जाय तो दूसरा क्या रास्ता था। बिल पेश हुआ, वोटिंग हुयी और वापस हो गया।

यह कहा गया कि वह पास ही नहीं हुआ। दो राय हो सकती हैं, हमारे माननीय जायसवाल जी कहते हैं कि पास नहीं हुआ क्योंकि शोरगुल और हंगामा मच रहा था। जिस किसी चीज को जब चाहे विरोधी दल वाले बहुत आसानी से कह सकते हैं कि शोर गुल था पास ही नहीं हुआ है, तो कैसे काम चलेगा। माधव बाबू यह कहते हैं, यह तो नहीं कहते हैं कि पास नहीं हुआ, कि शोर गुल मचा, हम को फिर से मौका मिलना चाहिये क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, विधान परिषद् से आया है, इसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, हम को फिर से मौका मिलना चाहिये क्योंकि हो सकता है कि हमारे तर्कों से लोगों की राय बदल जाय। यह बिल किस तारीख को आया, इसकी अनुज्ञा के प्रश्न पर कितना हल्ला हुआ, पुरःस्थापन के प्रश्न पर कितना हल्ला हुआ और यह सोचा गया कि इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिये। इसलिये हमारी गल्ती नहीं है। हमने इसे सदन के सामने रखा, इस पर पर बहस हो सकती थी, लोग सदन त्याग कर चले गये : तो अगर वहस उस दिन समाप्त नहीं हो सकती थी तो यह हो सकता था कि इसको दूसरे दिन ले लें लेकिन यह हुआ कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। 1, 2 और 3 बार यही हुआ तो इसमें डिक्टेटोरियल प्रवृत्ति कहां से होती है। हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात आपके सामने रखी इस आशा से कि संभव है कि आपके तर्कों से उसमे सुधार हो सके जहां विरोधी दलों का विरोध करने का कर्तव्य है वहां उनका यह भी कर्तव्य है कि सदन का काम ठीक ढंग से चलता रहे और इस प्रकार की रुकाव सदन के कार्य में नहीं आनी चाहिये। अगर इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं होता तो फिर क्या ? यह बिल उस दिन पेश हुआ, पास हुआ और घोषित हुआ कि यह पास हो गया है। जो परिस्थिति थी उसमें कोई दूसरा चारा नहीं था। अब यह विधान परिषद् से स्वीकार होकर हमारे सामने आ गया है।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) ---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उस दिन लोग बहस करने के लिये तैयार नहीं थे और लोग अगर तर्क नहीं देना चाहते थे, बहस नहीं करना चाहते थे सिर्फ हल्ला करना चाहते थे, रुकावट डालना चाहते थे तो उनके सामने और चारा ही क्या था। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव किया था कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये 6 माह तक परिचालित किया जाय श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम 292 के अनुसार मुझे उत्तर देने का अधिकार प्राप्त था। मैं यह जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि वह संशोधन में मौजूद नहीं था क्या उन्होंने इस बात की जानकारी प्राप्त की है ? प्रक्रिया नियमावली के नियम 292 का पालन किया है और कोई उत्तर देने का अवसर प्राप्त हुआ ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसी बीच में मेरे इन अधिकारों का अतिक्रमण करके सरकार की तरफ से उत्तर देने की प्रक्रिया शुरू हुई और इतना ही हुआ उस पर वोट भी नहीं किया कि यह जनमत संग्रह के लिये जाय या न जाय। तथ्यों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

अभाव में अगर मुख्य मंत्री जी कोई बात कहते हैं तो मैं समझता हूं कि वह सदन को दूसरी तरफ ले जायेगा ।

सही स्थिति क्या है उसकी अगर मुख्य मंत्री जी जानकारी कर लिये होते तो मुझे उम्मीद है कि न यह दिक्कत आपको पैदा होती और न दूसरे की बात कही जाती कि अनुज्ञा के समय क्या किया गया । विरोध पक्ष को अधिकार है कि वह सदन से वाक-आउट करके चला जाय । माननीय सदस्य को भी अधिकार है कि वह वाक-आउट कर सकता है । उस अधिकार का दो दलों ने प्रयोग किया और दो दलों ने बहस में हिस्सा लेकर प्रयोग किया । लेकिन जब बहस करने की इजाजत न रह जाय । खंडों में भी संशोधन थे उनको पेश करने की प्रक्रिया का पालन न होने पाये, ऐसी स्थिति हो तो मैं आज भी बहुत सफाई से कह देना चाहता हूं कि इसीलिये मैंने इसको व्यवस्था का प्रश्न बनाकर प्रश्नों के पूर्व रक्खा कि सदन को यह तय करना पड़ेगा कि आखिर यह सदन नियमानुकूल चलेगा अथवा नियमों के विरुद्ध चलेगा । सबसे पहला सवाल यह था कि प्रश्नों का घंटा हमारे इस व्यवस्था के प्रश्न पर बिताया जाय लेकिन मजबूरी थी और जब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बाद में ले लिया जायगा तो तुरन्त मैंने आज्ञा स्वीकार कर ली । उस शासन की आज्ञा कितने लोग मानते हैं यह सारा हिन्दुस्तान और प्रदेश जानता है । लेकिन संख्या के बल पर यह सरकार तर्कों से रहित होकर विचार विमर्श से भागकर और जिस प्रकार तानाशाही मनोवृत्ति का परिचायक बनी हुई है इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पर सदन को सोचना पड़ेगा कि लोगों के अधिकार जनतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे और इसीलिये मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया ।

श्रीमन्, जायसवाल जी ने जो प्रश्न उठाया विशेषाधिकार का उससे संबन्धित तो उपाध्यक्ष महोदय, पास होने की प्रक्रिया में उस आसन की भी बात आती है अन्यथा यह विशेषाधिकार के दोषी थे और इसीलिये मैंने विशेषाधिकार की बात नहीं मानी । मैं इस बात को नहीं समझता जब तक आप न कहें । लेकिन मेरा यह अधिकार है । अगर संख्या के बल पर सरकार का बिल पास हो और आपकी मजबूरी हो तो उस अवस्था में आप सोचें कि क्या बात रह जाती है । मेरा निवेदन है कि न तो उस दिन यह विधेयक पेश हुआ और न हम लोगों को अवसर हुआ और न यह विधिवत् परिषद् में गया । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आप इसको अवैध घोषित करें और सूचना जो मद नंबर तीन में आयी हुयी है उसको काट दें ।

मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि कोई कयामत नहीं आई हुई है अगर इसमें बहस हो जायगी तो । इसमें मेरा फिर से निवेदन है कि सदन में इस पर विचार होना चाहिये । मुख्य मंत्री जी से इतना विचार विमर्श के लिये चाहते हैं कि उनके तर्क हैं, उनकी बातें हैं तो वही बात हम लोग भी चाहते हैं, मतभेद कहां है । मैं समझता हूं अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विचार हो, हम लोगों ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया है तो इस सदन में उस पर फिर से विचार होना चाहिये और तब दुबारा परिषद् में जाना चाहिए । मुख्य मंत्री जी ने गलत सूचना के आधार पर बातें कही हैं । विरोधी दल पूरा का पूरा इस पर विचार करना चाहता था, बहस करना चाहता था । सत्ताधारी दल अपनी संख्या के बल पर काम करना चाहता था और लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहता था । इसलिये मजबूर होकर विरोधी दल के लोगों को मांग करनी पड़ी कि आज यह बिल पास न किया जाय । मेहरबानी करके इस बिल पर फिर से विचार कराने की कृपा करें ।

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे यह सूचना देनी है कि क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत अपनी शक्ति के प्रयोग में...

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय, अभी आप आगे ना बढ़ें। आपका यह रवैया अव्यवस्था का कारण बन जाता है। एक प्रश्न चल रहा है उस पर आपको व्यवस्था देनी है..

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उस पर व्यवस्था की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

नगर मैजिस्ट्रेट लखनऊ ने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य श्री रूपनाथ सिंह यादव को बन्दी कर लिया जाय। तद्नुसार श्री रूपनाथसिंह यादव, विधान सभा सदस्य को आज दिनांक 9-8-1972 को बन्दी कर लिया गया है और उन्हें इस समय जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया है। और यह सूचना माननीय तेजभान सिंह के बारे में भी है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, सदन के बाहर तो अब भी मैं जेल में हूं। माननीय, 9 अगस्त को सोशलिस्ट पार्टी के ढाई-तीन सौ सत्याग्रहियों ने यहां सत्याग्रह किया...

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरी सूचना यह है (व्यवधान) जो डिवीजन हुआ था उसमें लाबी में एक सदस्य ने...

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

उनको गिरफ्तार किया गया और बिना किसी मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किये हुए जेल भेज दिया गया....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बड़ी आपकी ज्यादती है। मैं सूचना दे रहा हूं....

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हमें वहां कोई सुविधा नहीं है। न वहां सफाई है, न पानी का प्रबन्ध है। 238 लोगों को एक कमरे में बन्द कर दिया गया है। हम तीन लोगों को मुझे, राजनारायण जी को और तेजभान सिंह जी को, अलग कर दिया गया है और बाकी लोगों को अलग। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है...

श्री उपाध्यक्ष—

आपने सीधे मुख्य मंत्री जी को लिखा है। वहां से आपको यहां आने की सुविधा मिली। जो असुविधा है उसके बारे में आप अलग से लिखकर...

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)

आप भी जेल में रहे हैं हमारे साथ। कुछ लोगों को अलग कर दिया गया...

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या कह रहे हैं। क्या आप दोनों मिलकर कहना चाहते हैं...

श्री बांके लाल—

आप यह लड़ाई लड़ चुके हैं कि जेल में एक साथ रखा जाय। माननीय रूपनाथ जी, राजनारायण जी और तेजमान सिंह जी को अलग कर दिया गया है। एक गन्दी कोठरी में बन्द कर दिया गया है। मैंने खुद देखा है। हमारी मांग है कि सब सत्याग्रही एक साथ रहें। आप भी सत्याग्रह में जेल गए थे। तीन-चार सौ लोग थे। सब एक साथ थे। यही मांग है कि सभी सत्याग्रही एक साथ रखे जायं।

एक स्थान पर रखा जाय लेकिन अलग कर दिया गया है और कुछ लोगों को मिलने भी नहीं दिया गया है। उनके साथ नाना प्रकार की यातनायें दी जा रही हैं जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में किया जाता था। इन चीफ मिनिस्टर साहब की हुकूमत में ये सभी यातनायें दी जा रही हैं। हम लोगों ने इसको लिखकर दिया है कि जो राजनैतिक कैदियों को सुविधायें मिलनी चाहिये वे मिले। हमारे नेता जेलों में पड़े हैं और आप रजत जयन्ती समारोह मना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है कि बांके लाल जी हमारे साथ जेल में थे। मुझको उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

बांके लाल जी की शिकायत है कि उनको अलग कर दिया गया है। कानून के इरादे मजबूत हैं। जब उन्होंने सत्याग्रहियों को छोड़ दिया और मंत्री जी के साथ हो गये और उनके साथ उन्होंने फोटो भी खिचवाई।

श्री बांके लाल—

माननीय मैनेजर सिंह हमेशा तो विरोधी दल में थे लेकिन अब तो शासन के साथ है उनको कुछ न कुछ तो कहना ही चाहिये।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मैनेजर सिंह ने कुछ बातें कहीं और उसको कह कर विवाद खड़ा कर दिया है। आप को मालूम है कि 9 अगस्त का दिन जनता का दिन था और उसी दिन गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उसी दिन जनता की कुछ कल्याणकारी मांगों को लेकर हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह सिविल नाफरमानी आन्दोलन आरम्भ किया जिसमें भूमि भवन कर, भूमि विकास कर तथा महंगाई के विरुद्ध आवाज उठाई गई। उसी बीच राजनारायण जी की अध्यक्षता में 250 सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। उन कैदियों के साथ जो व्यवहार होना चाहिये वह नहीं किया जा रहा है। उन लोगों को बिना किसी मैजिस्ट्रेट के सामने किये ही जेलों में भेज दिया गया। फाटक पर अखबार को देखने से मालूम हुआ कि वहां पर जेल मंत्री जी भी पहले से ही पहुंच गये थे और वहां सत्याग्रहियों के साथ चित्र भी खिचवाया। उनके साथ धोखा किया गया है। ये लोग बरसात में भीग गये थे। उनको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया। जो 238 सत्याग्रही हैं उनके रहने लायक वह स्थान नहीं है जिसमें उनको रखा गया है।

यह कहा गया कि वहां पर 8 पाखाने हैं लेकिन उसमें से 6 बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं और केवल दो ही ठीक हैं। 238 आदमियों के लिये केवल दो टट्टियां हैं। उन लोगों को उस दिन रात में दो बजे भोजन दिया गया लेकिन वह भी ऐसा था जो इंसान के खाने के काबिल नहीं था। पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। दो बाल्टियां मौजूद थीं। उसका नतीजा यह हुआ कि इलाहाबाद नगरमहापालिका के सभासद बाबा राम अधार जी को अनशन पर जाना पड़ा। उनको बिस्तर तक नहीं दिया गया। मैं शाम को उनसे मिलने गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका अनशन चल रहा था । वहां पर कोई अधिकारी था जो शायद रिफार्मेट्री स्कूल का था । वहां कोई मुलाकात नहीं हो सकती है क्योंकि कोई अधिकारी वहां पर रहता नहीं है । मैंने कहा था कि उनको सबको एक जगह पर कर दो ताकि कम से कम उनकी तकलीफें क्या है, उनका पता हो जाये और उनके साथ मानवी बरताव हो जाये । उन्होंने चिट्ठी तो ले ली, मगर आज सुबह तक की सूचना यह है कि वहां पर कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है । उनको उसी तरह से रखा जा रहा है ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि 6 अप्रैल को संसद में लाठी चार्ज हुआ था और उसमें राजनारायण जी का पैर टूट गया था । उसकी सिंकाई मोम से होती है और उसके लिये उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है जबकि वे बाहर रहते हैं । उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमारे इलाज की व्यवस्था कर दी जाये, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई । उसी तरह से आंख के लिये कहा गया कि उसके इलाज की सुविधा कर दी जाये । उन्होंने कहा था कि उनका चश्मा खो गया है और आंख की टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी जाये, मगर उसका भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । मैं मैनेजर सिंह जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने धृष्ठता करके सदन में गलत बयानी की है और पूरे प्रदेश में भ्रम फैलाने की कोशिश की है । क्या यह बात सही नहीं है कि राजनारायण जी की तरफ से और दूसरे सत्याग्रहियों की तरफ से हमारे रूप नाथ सिंह यादव तथा तेज भान जी वगैरह की तरफ से बार-बार यह प्रार्थना नहीं की गई है कि उन सब को एक साथ रखा जाये । कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है । इनको अलग-अलग इसीलिये किया गया है ताकि बाकी लोगों पर मन मानी की जा सके । अगर इन सब को एक साथ रख दिया जाता तो जेल से कैदियों की रोटियों की जो चोरी होती है वह नहीं हो सकती थी । उन्होंने सोचा होगा कि अगर राज नारायण जी वगैरह वहां रहेंगे तो उन्हें कायदे के मुताबिक बिस्तर देना होगा और सफाई वगैरह की व्यवस्था करनी होगी । बार-बार दरख्वास्त करने पर इनसे मिलने की भी इजाजत नहीं दी जाती है । वहां पर ऐसा मामला चल रहा है ।

जेल मंत्री जी वहां पर गये थे । हमने बताया था इन लोगों के बारे में, लेकिन जेल प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा । जिस तरह से चलता रहा है उसी तरह से चल रहा है । सभी लोग जेल जाते हैं और पंडित जी ने तो सन् 1920 में ही शुरुआत कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जेल का अनुदान आता है और बुलेटिन पास हो जाता है । कोई बहस नहीं होती है । सन् 1920 से लेकर सन् 1942 तक जो जेल की हालत हो गई थी वही हालत आज भी है, भले ही आप समझ रहे हों कि बड़ा सुधार हो गया है । जेल के सारे कायदे कानून वैसे ही चल रहे है । अगर आप बाहर जायेंगे तो वहां पर फूल भी मिलेंगे, लेकिन बैरक में जब जायेंगे तो देखेंगे कि बिस्तर की क्या हालत है । कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर कि गन्दगी न हो । यहां तक कि चावल में कीड़े मिलते है । खाने के लिये जो अनाज मिलता है उसमें इतनी मिट्टी मिला दी जाती है कि रोटी नीचे उतर नहीं सकती । दाल में डुबकी लगाने पर भी एक दाना नहीं मिलेगा । शुरू-शरू में कोई आदमी कई दिन तक रोटी को नीचे उतार नहीं सकता है । यह हालत चल रही है । अगर आप इसमें कुछ शक शुभा समझें तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों में कोई आदमी वहां जा कर देख ले कि वहां क्या हालत है । उनको स्वस्थ रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । यह बड़ा अच्छा हुआ कि आपने इधर ध्यान दिलाने का अवसर दिया । भाई मैनेजर सिंह ने छेड़खानी कर के सारी चीजें सदन में ला देने का मौका दिया और इत्तिफाक से उस वक्त से जब कि मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना और है ।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 पर विचार एवं पारण के समय अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न—(क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

दूसरी मद लेने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आपके सम्मुख एक प्रश्न किया था। यह तो सारी बहस उस प्रसंग में हो गई । अब व्यवस्था देने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं जानते हैं कि क्या व्यवस्था हो सकती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस सदन में उस विधेयक पर फिर से विचार कर लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

लोकतंत्र है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

लोकतंत्र के नाते ही यह सदन विचार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

लोकतंत्र बहुमत का शासन है । अल्पमत को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये । अवसर आज भी मिल गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह अवसर विधेयक पर थोड़े ही मिला है। यह तो जो अव्यवस्था हो गयी थी उस पर व्यवस्था कायम करने के लिये है। आप ही अपनी व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सदन के फैसले पर कौन सी व्यवस्था दें। कार्य-मंत्रणा समिति में कोई बात हो तब आप हमें पाबन्द करते हैं कि पास कीजिये । असरकारी दिवस है । आप यील्ड कर जाते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब यह बात कही जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है । आप जानते हैं कि कार्य-मंत्रणा समिति में मैं यील्ड नहीं करता । सरकार जो कहती है वह उससे मुकर जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक सवाल आपने उठाया । असरकारी दिवस को कैसे सरकारी दिवस दे दिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

किस दिन को ।

श्री उपाध्यक्ष—

शुक्रवार को ।

श्री बंशीधर पांडेय—

तब राजी होते हैं जब कि दो या तीन दिन ले लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नहीं होते लेकिन और लोग राजी हो जाते हैं ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं यहां पर मौजूद नहीं था । मैं डेढ़ बजे तक था । उस वक्त तक विचार नहीं हुआ था और म चला गया । मैं इस सदन की जानकारी के लिये और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चार बजे के आसपास में आ गया था और मुझे मालूम है कि किस तरह से कार्यवाही की गयी । दूसरी चीज मुख्य मंत्री ने कह दी कि हम विचार करना ही नहीं चाहते थे । हमेशा शोर गुल करने के लिये तत्पर रहते है । मान्यवर, यह बात सही नहीं है । हम चाहते थे कि विचार हो और ठंडे वातावरण में हो और ठीक से सबको अपने अपने विचारों को अभिव्ययक्त करने का मौका मिले । उस दिन, जैसा आपने कहा, शाम को 5 बजे बैठ सकते थे । मैंने निवेदन किया कि 5 बजे के बाद बैठने में जो यहां पर मौजूद थे उन्हें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी । लेकिन और लोग मौजूद नहीं थे तो उन्हें मौका नहीं मिल सकता था । उसी के बाद सूखा का विषय लगा था चर्चा के लिये ।

एक प्रश्न और उसी से जुड़ा हुआ है कि सब लोग जानते थे कि आज की तारीख के बाद सदा स्थगित हो जायगा । ज्यादातर लोग सदन के बाहर अपना कार्यक्रम लगा लेते हैं । उन लोगों को अपनी अपनी गाड़ियों से जाना था । हमने दरख्वास्त की थी कि शनीचर के बजाय 14 तारीख को बहस कर ली जाय और हमारा जो असरकारी दिन है वह ले लिया जाय। हम अपने दिन को खुशी से छोड़ देने के लिये तैयार थे । मान्यवर, मुख्यमंत्री जी क कहन से कि हम विचार नहीं करना चाहते थे और शोर गुल करना चाहते थे गलतफहमी और भ्रम फैलेगा ऐसी परिस्थितियां थीं कि लोगों को रात को और दूसरे दिन बैठने के लिये कहा जा रहा था और इसमें लोगों की मजबूरी थी जिनका पूरा फायदा राजस्व मंत्री उठाना चाहते थे । यह हिटलर का इरादा था । उसने संविधान में संशोधन करके यह अधिकार ले लिया था कि "आई विल मेक ला विदाउट गोइंग टू लेजिस्लेचर आर पार्टियामेंट। वगैरह पार्लियामेंट में जाय हिटलर खुद कानून बना सकता था किसी भी आदमी के सामने सारे तथ्य प्रस्तुत कर दें और देखें कि क्या सचमुच जिस तरह से तीन वाचन किये जाते हैं वे हुये, जिस तरह से अलग अलग खंडों पर वोट लिया जाता है वह लिया । क्या यह सही नहीं है कि उस हल्ले गुल्ले में जो कार्यवाही चली उसको आप नहीं सुन पा रहे थे ।

यह बातें अगर सही हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार भी हिटलर के रास्ते पर जा रहीं है। उसके लिये इस सदन की प्रक्रिया की, किसी चीज की कोई कीमत नहीं रह गयी है । अपने बहुमत के आधार पर, शक्ति के आधार पर जो चाहती है वह करना चाहती है, वही करा लेना चाहती है और उस पर ठप्पा यह पड़ जायगा कि इस माननीय सदन ने इस बिल को पास किया और यह भी जुड़ जायगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने उस बिल को पारित मान करके अपनी सिफारिश के साथ विचारार्थ उस सदन में दिया । अगर यह परम्परा, नजीर, पड़ गयी तो इस सदन की क्या हालत होगी, क्या राय बनेगी ? मैंने शरू में कहा था कि हम लोगों का और इस माननीय सदन की काफी अवहेलना और अवमान हो रहा है और लोग समझते हैं कि सदन के सारे कायदे कानून को तोड़ करके सरकार जो चाहेगी, करा लेगी । सदन का कोई कानून नहीं रहेगा यह भावना प्रदेश में न फैले, आपके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

और अध्यक्ष जी के नाम के साथ कोई आक्षेप इस बिल के संबंध में न हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा और कामना है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप विचार करके यह व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर व्यवस्था मैं नहीं देने जा रहा हूं । आपनें इतना कह दिया है, एक मर्तबा बोलें, दो मर्तबा बोलें....।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर ऐसा ही सोचते हैं तो आपकी उस व्यवस्था के विरोध में हम अपने को उससे असंबद्ध कर लेंगे, लेकिन मान्यवर, आप यह समझते हों कि यह बिल पास हो गया और यह आपका हृदय कहता हो, आपकी अन्तरात्मा कहती हो तो हम उसको मान लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जानते हैं कि व्यवस्था किस चीज पर दी जाती है । व्यवस्था सदन के किसी फसले पर, चाहे वह सही हो या गलत हो, उचित हो या अनुचित हो नहीं दी जाती । कार्य मंत्रणा समिति में आप और सरकार के लोग मिलकर तय करते है । अगर उस दिन यह तय हुआ था कि....

श्री कल्पनाथ सिंह—

कार्यमंत्रणा समिति में....

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर यहां बहस हुई । आपने भी यहां सरकार से जो निवेदन आपको करना था वह करने का मौका आपको मिलता आ रहा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने निवेदन किया था कि प्रक्रिया नियमावली के नियम 292 का जो भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने के अधिकार का जो नियम है तो-उत्तर देने का अवसर उपलब्ध नहीं हो सका । इस तरह से उस प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ । इसीलिये व्यवस्था का प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया कि जब इस नियम का पालन ही नहीं हुआ जब खंडवाइज इस पर विचार हुआ ही नहीं तो यह विधयक पारित कैसे हुआ और फिर यह सदन के सामने आजके एजेंडे की मद नम्बर 3 पर आया कसे ? और जब नहीं आ सकता है तो जो एजेंडे की मद नम्बर 3 है उसको आज की कार्यवाही से निकाल दिया जाय-इसी बात पर आप से हम व्यवस्था चाहते हैं ।

3 अगस्त, 1972 को अविश्वास के प्रस्ताव पर लिखित डिवीजन के परिणाम में शोधन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

3-8-72 को जब अविश्वास के प्रस्ताव पर लिखित डिवीजन हुआ तो एक माननीय सदस्य ने अपने नाम के सामने हस्ताक्षर पेंसिल से उर्द में पहले किये थे । फिर उस हस्ताक्षर को पेंसिल से काट कर नाम के सामने दस्तखत किये । नतीजा यह हुआ कि 257 जो संख्या थी वह कम हो गयी । इसलिये अविश्वास के विरोध में 257 नहीं, बल्कि 256 मत पड़े ।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 पर विचार एवं पारण के समय अपनायी गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरी सूचना यह है कि....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, हम लोगों के अनुरोध और प्रार्थना पर भी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप हमें न्याय नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको तो मौका दे दिया, बराबर मौका आपको मिला । आप बदल तो नहीं सकते हैं । पहले हम सूचना दे रहे इस आइटम पर, खत्म करने दीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक प्रश्न आपके सामने उपस्थित किया गया जिस पर आप से व्यवस्था की प्रार्थना की गयी थी । आप व्यवस्था देते कि आगे यह व्यवस्था देंगे, जब तक यह न कह दें तब तक कैसे....

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का विषय नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अगर आप पहले कह देते कि व्यवस्था कोई उत्पन्न नहीं होती तो हम समझ लेते कि आप व्यवस्था देना नहीं चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहुत पहले से चल रहा है । मैं यह जानता हूं कि आप भूमि विकास कर जैसे विधेयक के विरोधी हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं तो एक दूसरी बात कह रहा हूं । उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष इस पर व्यवस्था दें तब आगे बढें । आपने कहा कि आप तो समझ ही गये होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैं क्या व्यवम्था दूं ? कि पास हुआ या नहीं ? अगर बिधि के हिसाब से एक चीज सदन में रखी गयी और वह पास हुई या आप कहते हैं कि पास नहीं हुई, तो मैं अब क्या कर सकता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह नहीं कहता हूं कि आप कह दें कि पास हो गया।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)

इसी तरह जब इस विधेयक को सदन में रखने की अनुज्ञा देने की बात थी तो कहा गया था कि अनुज्ञा मिल गयी है । लेकिन जब हम लोगों की तरफ से यह बताया गया कि अनुज्ञा नहीं मिली है कि तो अध्यक्ष को आज्ञा देना पड़ी कि फिर से पुरःस्थापित करने और अनुज्ञा के लिये रखा जायगा । जिस आसानी से हम सोच रहे हैं मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप देख लें कि अव्यवस्था के रूप में कानून पास हुआ । अध्यक्ष यहां बैठते इसलिये हैं कि यह देखें नियम और कायदे के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है या नहीं और खंडशः विचार हुआ या नहीं और प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन हुआ या नहीं । वह नहीं हुआ । तो इस बात की व्यवस्था अगर अध्यक्ष नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा ।

स्वाधीनता की रजत जयन्ती समारोह के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे यह निवेदन करना है कि स्वाधीनता के पच्चीसवें वर्ष के अवसर पर जो समारोह दिनांक 14 अगस्त, 1972 को रात्रि में विधान सभा मंडप, विधान भवन, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, उसमें सम्मिलित होने के लिये, यदि आप मोटर-गाड़ी से आयें तो अपनी मोटर-गाड़ी कृपया राज भवन अथवा पोस्ट आफिस की ओर के प्रवेश द्वार से ही लायें, और उसके लिये प्रवेश-पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त करने का कष्ट करें । माननीय सदस्यों को यह भी सूचना मैं दे दूं कि 11.27 बजे विधान भवन के मुख्य अलिन्द पर मुख्य मंत्री, सभापति, विधान परिषद्, उपाध्यक्ष, विधान सभा, सचिव, विधान सभा एवं सचिव, विधान परिषद् द्वारा महामान्य राज्यपाल का स्वागत, 11.30 बजे विधान सभा मंडप में वन्दे मातरम् गायन, 11.32 बजे महामान्य राज्यपाल का सम्बोधन, 11.40 बजे सभापति, विधान परिषद् का सम्बोधन, 11.50 बजे अध्यक्ष, विधान सभा का सम्बोधन, 12.00 बजे स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण और 12.02 बजे राष्ट्रीय गान होगा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस रजत जयन्ती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की विधान सभा का उपहार क्या यही काला कानून होगा । यह कोई खेल तो है नहीं । वह ऐक्ट पास नहीं हुआ । अगर रजत जयन्ती के अवसर पर जनता को यह व्यवस्था दी जायगी तो क्या होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

विधान मंडल के सदस्य उक्त अवसर पर विधान भवन में कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लाये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह भी गलत है कि जिस जनता ने इन प्रतिनिधियों को चुना उनके आदमियों का यहां आना आपने बन्द कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहां बन्द कर दिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

आज कोई दर्शक आया ही नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, एक दफा आपका ऐसा विचार था कि विधान सभा किसी खुली जगह लगा करे और सारी जनता देखा करे कि हमारे जो प्रतिनिधि चुन कर गये हैं वह क्या करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो कह दिया कि एक शीशे का घर बना दिया जाय उसमें आपका विवाद चले। लेकिन यह तो आप करेंगे हम थोड़े ही करेंगे। लेकिन आज की व्यवस्था तो अध्यक्ष जी ने की है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

यह विधान सभा कानून बनाने का स्थान है, नाच गाने का स्थान यह नहीं है।

थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ के नायब दरोगा तथा हेड कान्सटेबिल के विरुद्ध श्री राम बचन द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या आज विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, एक माननीय रामबचन का है। उस पर माननीय अध्यक्ष ने यह आदेश किया है कि इस संबंध में स्थिति जानने के लिये रिपोर्ट मांग ली जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उसे पढ़ कर श्रीमन् सुना तो दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह इस प्रकार है "दिनांक 12-8-72 को मैं थाना निजामाबाद में, थानाध्यक्ष से यह बात करने गया था कि दिनांक 11-8-72 को श्री अजब नारायण सिंह कान्सटेबिल द्वारा भू0पूर्व अध्यक्ष टा0ए0 कमेटी निजामाबाद के साथ किये गये घोर अपमान जनक दुर्व्यवहार के कारण उस कस्बे और जवार में बड़ी उत्तेजना फैल गयी है। आप बीच बचाव करके इसे शांत कर दें।" साथ ही फैले हुए असंतोष का एक और कारण भी मैं थानाध्यक्ष को बता रहा था कि श्री राम नरेश मिश्र नायब दरोगा व उसी थाने के हेड कान्सटेबिल श्री कटेश्वर तिवारी के खिलाफ रिश्वतखोरी का आरोप है, मैं घटना भी बता रहा था। यह दोनों व्यक्ति वहां उपस्थित थे। मेरी बात सुनकर श्री राम नरेश मिश्र नायब दरोगा ने अपने मष्तिष्क का सन्तुलन खो दिया और अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करते हुये यह कहा कि "तुमसे मेरी हैसियत कम नहीं है, तुमसे अधिक पढ़ा लिखा हूं, तुम क्या हो मैं बता दूंगा और समझ लूंगा, मैं किसी विधायक को कुछ नहीं समझता।" इस प्रकार के शब्दों को बकते हुये क्रोधित मुद्रा में मेरा घोर अपमान किया और धमकाया। मेरे जनहित में कर्त्तव्य पालन में बाधा डाली। मेरा घोर अपमान हुआ है और मैं पब्लिक की पूरी बात कह भी न सका। इसलिये मैं विशेषाधिकार व इस अवमान के लिये सदन में प्रश्न उठाने की सूचना देता हूं। इस पर माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि इसके संबंध में स्थिति जानने हेतु रिपोर्ट मंगा ली जाय।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढवाल)—

एक हम लोगों ने दिया था 21-7-72 को···

श्री उपाध्यक्ष—

उसे माननीय मुख्य मंत्री के पास स्पष्टीकरण हेतु भेजा है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

उसमें तो स्पष्ट दो उत्तर दिये गये हैं जिससे संदेह की स्थिति पैदा हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

सचिव मुझे बता रहे हैं कि उत्तर आ गया है पर अभी वह मेरे सामने नहीं है, उसे देख लूंगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

यह बड़ा अहम प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कह तो रहा हूं कि देख लूंगा।

समाजवादी दल के कार्यालय का टेलीफोन काट दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव विधान सभा के विरुद्ध श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

एक हमारा था.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

एक टेलीफोन की सुविधायें समाप्त करने के बारे में था...

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष के आदेशों का श्रीमन्, उल्लंघन हो और कोई उसकी परवाह न करे...

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें उल्लंघन कहां है?

जो आपने दिया है, पूरा इस प्रकार है :—दिनांक 28 जुलाई, 72 के उपवेशन में माननीय श्री अध्यक्ष ने स्पष्ट घोषणा की थी और आदेश दिये थे कि सोशलिष्ट पार्टी विधान मंडल, को मिली हुई टेलीफोन की सुविधा समाप्त न की जाय और उनका सचिवालय तार व टेलीफोन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त इसकी सूचना कर दे। उस स्पष्ट आदेश के बावजूद 8 अगस्त, 72 को उपर्युक्त टेलीफोन काट दिया गया। ऐसा करके श्री अध्यक्ष के सचिवालय मुख्यतया श्री सचिव ने श्री अध्यक्ष के आदेश का उलंघन कर श्री अध्यक्ष और सदन के अवमान का अपराध किया है।

अतः इस प्रश्न को उठाने के लिये श्री अध्यक्ष की सम्मति प्राप्त करें। इसके बारे में सचिव ने तो तुरन्त लिख दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो इसका मतलब यह है कि सचिव और अध्यक्ष का कहीं कोई आदर नहीं रह गया है अन्यथा लिखने के बावजूद कैसे कट गया?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में मुझे पता नहीं था। उस दिन भी चर्चा हुई और इस पर यह अध्यक्ष का आदेश है।

समाजवादी दल के कार्यालय का टेलीफोन काट दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव, विधान सभा के विरुद्ध श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस सदन में स्पष्ट घोषणा हुई। उस आदेश के बावजूद, टेलीफोन कनेक्शन कट कैसे गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो स्थिति है वह मैंने कही। पत्रावली तो मेरे सामने है नहीं। अध्यक्ष ने आदेश दिया कि सचिव देख लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो यह विशेषाधिकार का बनता है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सचिव के खिलाफ तो नहीं बनता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

फिर किसके खिलाफ बनता है ? यह तो अध्यक्ष के आदेशों का अवमान है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन अध्यक्ष ने ऐसा कहा नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो इसका कारण बताया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो वही बता सकते हैं। मैं इसका पूरा प्रकरण नहीं जानता हूं। अगर अध्यक्ष ने कोई आदेश दिया है और उसका पालन नहीं हुआ है तो अध्यक्ष ही उसे देख सकते हैं। यह मेरे सामने नहीं उठेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसे आप देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने आयेगा तो देख लूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जिस दिन से यह कटा है, मैं सम्बन्धित शुक्ला जी से बराबर बात कर रहा हूं और मुझे बराबर आश्वासन मिल रहे हैं। उसके बावजूद ऐसा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, तो आप मिलकर कोई रास्ता निकाल लें। नहीं तो वह आएं तो आप उठाइयेगा, उनके आदेश के बारे में मैं कैसे टिप्पणी करूं। आप के कथन से लगता है कि उन्होंने सदन में घोषणा की है, तो आप उन्हीं की मौजूदगी में कुछ कहें।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 को पारित किये बिना विधान परिषद् के विचारार्थ भेजे जाने के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री के विरुद्ध श्री रामधारी शास्त्री आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहलना के प्रश्न की सूचना

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मैंने विशेषाधिकार का एक दूसरा प्रश्न दिया है, उसके बारे में आपने कृपा नहीं की।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं एक सदन में प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि दिनांक 4 अगस्त, को भूमि विकास कर से सम्बन्धित जो कायवाही हुई है, वह सारी की सारी कार्रवाई निरस्त कर दी जाय और इस प्रस्ताव पर विचार करने की आप अनुमति प्रदान कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक-एक बात खत्म हो जाने दें। (श्री रामधारी शास्त्री से) आप की बात तो आपके नेता कह चुके हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

दूसरा एक हमारा है। हमारा तो डेफिनिट है। आपके पास न पहुंचा हो तो पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो विधेयक के सम्बन्ध में उस पर चर्चा हो गयी। विधेयक के बारे में आप कह रहे हैं। किसी और दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है। अब कैसे स्वीकार किया जाय?

***श्री रामधारी शास्त्री—**

मैं कन्विंस कर देना चाहता हूं, दो मिनट अगर आप सुनने की कृपा करें। संविधान के अनुच्छेद 196 में इस बात का एक्सक्लूसिव राइट विधान सभा की है कि धन विधेयकों से पहल हम विचार करके पारित करें। तब दूसरे सदन को जायं। कार्य सूची में नम्बर 3 पर आ गया कि विधान सभा ने उसको 4 अगस्त को पारित कर दिया। मैं समझता हूं, जसा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा वह पारित नहीं हुआ। स्वयं राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया कि काफी शोरशराबा हुआ। आप मान्यवर, मौजूद थे। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। आप देख लें।

The Deputy Speaker Mr. Vasudev Singh abruptly adjournedthe House at 5.15 p. m....."Seeing the temper of the House, the Deputy Speaker quitely left the chair and the House adjourned to meet at 11 a. m. on August 14."..."The Deputy Speaker however waited long enough for the apposition to melt the Revenue Minister's rigidity. Then at 5.08 p. m. he began the three stages for the passage of the bill."

श्री उपाध्यक्ष—

देश में जितने अखबार हैं सब में छपा है करीब करीब।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामधारी शास्त्री—

सब में दूसरी तरह से छपा है। सबसे रेलेवेंट प्वाइंट यह है—

Due to the noise two or three members, specially Mr J. N. Sinha acted as messenger of the treasury benches and the Deputy Speaker. He would rush to the Deputy Speaker and comelack to convey the step that Deputy speaker was taking and vice versa."

जब इस तरह की बात थी कि एक आदमी आपके पास आता था और बतलाता था कि वह क्या करने जा रहे हैं ट्रेजरी बचेज को बताता था कि यहां आप क्या करने जा रहे हैं, तो यह किसी तरह से पास हुआ नहीं माना जा सकता है। आप स्वयं थे। न खंडों पर बहस हुई। मेरा सबमिशन है कि यह विधेयक पारित नहीं हुआ। जब विधेयक पारित नहीं हुआ तो मिनिस्टर को कोई अधिकार नहीं था कि वह विधेयक को बिना पारित कराये विधान परिषद् में ले जाते। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर और दूसरे लोगों ने इस सदन का अवमान किया है। विधेयक यहां से पारित नहीं हुआ। इस सरकार के द्वारा यह जनतन्त्र का गला घोंटा गया है। इस लिये मैं रेवेन्यू मिनिस्टर के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न की नोटिस देता हूं। चूंकि यह सदन के समक्ष हुआ है इसलिए इस पर अभी विचार करने की आप आज्ञा प्रदान करें।

4 अगस्त, 1972 को उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 से सम्बन्धित हुई कार्यवाही को सदन की कार्यवाही से निकाल देने का प्रस्ताव

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आपने कहा था कि वह खड़े हैं उसके बाद मुझे अवसर देंगे। मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 4 अगस्त, 1972 को जो भी कायवाही इस सदन में भूमि विकास कर के विधेयक के सम्बन्ध में हुई है वह सब की सब इस सदन की कायवाही से निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रस्ताव आप लिख कर दे दें। यह समय के सम्बन्ध में आ जाता है। आपने जो बात कही है उसको मैंने सुना है। वह यह है समय बढ़ाना अथवा घटाना हो तो प्रस्ताव आ सकता है, यह प्रस्ताव आप लिख कर भेज दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस प्रस्ताव को आप अभी ले लें और उस पर चर्चा हो जाय ताकि यह काला कानून हमेशा के लिये समाप्त हो जाय। इसके लेने में हर्ज क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

हर्ज है। कार्य सूची में जो नहीं है उसे नियमानुसार नहीं लिया जा सकता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सारे नियमों को निलम्बित करने का भी नियम है नियमावली में।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमों को निलम्बित करने का नियम है, न कि प्रस्ताव लाने का नियम है।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 को पारित किये बिना विधान परिषद् के विचारार्थ भेजे जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री के विरुद्ध श्री रामधारी शास्त्री आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मेरे विशेषाधिकार की सूचना का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि अध्यक्ष जी ने उसे स्वीकार नहीं किया।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामधारी शास्त्री सदन त्याग कर चले गये)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे भूमि विकास के सम्बन्ध म जो कार्यवाही सदन में चली, उन सबसे हम अपने को असम्बद्ध करते हुए मैं और मेरा दल 10 मिनट के लिये वाक आउट करता है ?

(श्री अनन्तराम जायसवाल समाजवादी दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं पहले एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। पहले उसे आप सुन लें वर्ना बयानों का सिलसिला शुरू हो जायगा। विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है, इसलिये आप उसे पहले सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप बयान हो जाने दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जिस प्रकार सरकार संख्यासुर पर तानाशाही बरत रही है उसके विरोध में मैं दो मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं। आज भी उस काले कानून पर विचार करने के लिये अवसर नहीं मिला। मुख्य मंत्री जी का भी जो रवैया है, उसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कल्पनाथ सिंह संगठन कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

जिला फैजाबाद के ग्राम, जैतपुर टिकरी के हरिजनों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

विद्युत् राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-7-1972 से 30-7-1972 तक नित्य 4 व्यक्ति विधान भवन के सामने सांकेतिक क्रमिक अनशन पर 10 बजे प्रातः काल से बैठते रहे हैं। ग्राम जैतपुर टिकरी, जिला फैजाबाद निवासी अनशनकारियों ने एक आवेदन-पत्र मुझे दिया था। इस आवेदन-पत्र में वर्णित शिकायतों की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग के द्वारा

कराने के आदेश दे दिए गए हैं। अपराध अनुसन्धान विभाग से शीघ्रतापूर्वक जांच पूरी करके रिपोर्ट देने के लियेकहा गया है। उक्त विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

प्रस्ताव में उल्लिखित मामलों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

(1) दिनांक 23–10–1971 को नहीं वरन् 22–10–1971 को श्री मोती, निवासी जैतपुर ने लिखित सूचना दी जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादी तथा प्रयाग हरिजन की मड़ई में आग लगाने की शिकायत की गई थी। इस रिपोर्ट पर एक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 436 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। विवेचना से अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुआ। इस मामले में 21–1–1972 को अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

(2) दिनांक 15–10–1971 नहीं वरन् 25–10–1971 को श्री पूर्णमासी, निवासी टिकरी मजरे, बल्लीपुर ने सूचना दी कि उसी दिन अभियुक्तगण उसके पिता को पकड़ कर ले गए और उसके पिता से 1,000 रुपये का प्रोनोट बना कर निशान ले लिया। इस सम्बन्ध में एक मुकदमा भारतीय दण्ड विधान की धारा 383 के अन्तर्गत अंकित हुआ। अपराध अहस्तक्षेपनीय होने के कारण कोई इसमें कार्यवाही नहीं की गई।

(3) दिनांक 15–11–1971 को किसी हरिजन या अन्य व्यक्ति द्वारा थाना जैतपुर में कोई मुकदमा धारा 147/323/343 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम होना नहीं पाया गया। दिनांक 4–11–1971 को श्री सूर्यबली, निवासी जैतपुर टिकरी की सूचना पर धारा 147/323/342 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया। इसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रार्थी के भाई तथा एक अन्य व्यक्ति को मारने-पीटने और अपनी छावनी पर ले जाकर वहां बैठाये रखने आदि के आरोप लगाये गए थे। विवेचना के परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 27–1–1972 को आरोप-पत्र भेजा गया।

(4) दिनांक 6–12–1971 को श्रीमती चन्द्रावती, निवासी जैतपुर ने लिखित सूचना दी कि उसी दिन उसको तथा उसकी जिठानी को अभियुक्गण ने मारपीट किया और उनके रुपये भी छीन लिये। इस रिपोर्ट पर एक अपराध भारतीय दण्ड विधान की धारा 394 के अन्तर्गत दर्ज किया गया और विवेचना के उपरान्त धारा 323 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत चालान अदालत किया गया।

(5) दिनांक 29–12–1971 को श्री प्रभू निवासी, जैतपुर ने अभियुक्गण के द्वारा वादी की गन्ने की फसल काटकर उसे लगभग 30 रुपये का नुकसान पहुंचाने की सूचना दी जिस पर धारा 427 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध अंकित हुआ किन्तु अहस्तक्षेपनीय होने के कारण उसकी विवेचना नहीं की गई।

(6) दिनांक 31–11–1971 को नहीं वरन् 29–11–1971 को श्री विदेशी, साकिन टिकरी ने सूचना दी कि दिनांक 13–11–1971 को अभियुक्तगण ने उससे मारपीट किया और बांध कर छावनी पर ले गए और वहां भी उस को मारपीट किया गया। इस अपराध की विवेचना, नियमानुसार नहीं की गई।

(7) दिनांक 28–2–1972 को श्री सरजू ने अभियुक्तगण के विरुद्ध उसी दिन उसे मारने पीटने आदि की सूचना दी इस पर धारा 323/508 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा अंकित किया गया। अपराध अहस्तक्षेपनीय था। अतः विवेचना नहीं की गई।

(8) दिनांक 6–5–1972 को श्री लालसा ने सूचना दी कि उसका सगा भाई, हीरा चौबे, ग्राम बल्लीपुर में टोंस नदी के किनारे एक मन्दिर में सोया था। उसी दिन 5 बजे सुबह उसे सूचना मिली कि हीरा चौबे को मन्दिर में जान से मार दिया गया है

[श्री गोस्वामी राधा कृष्ण]

मृतक इस वर्ष प्रधान के चुनाव में खड़ा हुआ था। इस सूचना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अन्तर्गत मकदमा अंकित हुआ जिसकी विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है। दोनों नामांकित अभियुक्तगण दिनांक 8-6-1972 को न्यायालय में उपस्थित हुए और उसी दिन जेल भेजे गए।

इस सम्बन्ध में थाना जैतपुर की पुलिस द्वारा शान्ति एवं व्यवस्था बनाने के लिए श्री मानवेन्द्रसिंह तथा उनकी पार्टी के अन्य 10 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 10-11-1971 को धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत एक रिपोर्ट न्ययालय में प्रेषित की गई जो विचाराधीन है। दूसरी पार्टी के 8 व्यक्तियों के विरुद्ध भी उसी दिन धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत न्यायालय में रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।

इस बात पर पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि ग्राम जैतपुर के हरिजनों को कोई सता न सके।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नित्यानन्द स्वामी, आप कुछ बोलना चाहते थे?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, बाद में कर लूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, नम्बर 6 पर जो है उसके सम्बन्ध में 29-11-1971 को जो आरोप लगाया गया और उसमें जो दिया गया है कि नियमानुसार विवेचना नहीं की गई। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने नियमानुसार नहीं किया उनको अब तक क्या दण्ड दिया गया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जो आरोप लगाया गया है वह पुलिस केस के बतौर नहीं हो सकता था।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच पुलिस द्वारा न कराकर सी0 आई0 डी0 के द्वारा कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इन सब मामलों की जांच सी0 आई0 डी0 को पहले ही दी गई थी।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 7/8 केसेज जो हैं ये रेगुलर क्रम से हरिजनों के साथ होते रहे और उनको किसी तरीके से राहत नहीं मिली। आपने कहा कि अब इसका इंतजाम कर लिया गया है। तो अब तक जो 8 केसेज हुये हैं तो इसके सम्बन्ध में थाने के कर्मचारियों पर आपकोई कार्यवाही करेंगे कि बावजूद आरोपों के कोई कदम नहीं उठाये गये?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, किसी तरह के अत्याचार का प्रश्न इसमें नहीं उठता है। जो रिपोर्ट थाने में दर्ज की जाती है उसमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है और पहले से भी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती है। जब किसी विशेष जानकारी के लिये शासन के पास उसकी रिपोर्ट आती है तो अधिकारियों को विशेष निदेश भी दिये जाते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी यह भी कहते हैं कि इस मामले में मारपीट भी की गई और एक आदमी को बन्द कर के ले जाया भी गया है। इस प्रकार 342 का मुकदमा हो सकता था। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये जो खामियां हैं, उनके सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी जिसे हरिजनों को प्रोटेक्शन मिल सके ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपका जनरल सवाल है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मैं दूसरे तरीके से यह प्रश्न रखना चाहता हूं। इस बात को देखते हुए कि जो नान-काग्नीजिबुल आफेन्सेज हैं उनमें पुलिस दखल-अन्दाजी नहीं कर सकती, क्या माननीय मन्त्री जी सिटी मजिस्ट्रेट को कुछ ऐसे आदेश देंगे जिससे कि ऐसे मामलों पर पुलिस हस्तक्षेप कर सके ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यदि मैजिस्ट्रेट की आज्ञा हो तो पुलिस उसकी जांच कर सकती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि सिटी मैजिस्ट्रेट और परगनाधीश भी अपनी रिपोर्ट उनके पास भेजेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सोसाइटी की सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व शासन के सामने हमेशा रहता है और उसके बारे में वह जागरूक रहता है। इस तरह का अधिकार अधिकारियों को है कि जहां इस तरह की कोई बात सामने आवे तो वे अपना निर्णय लें। इस तरह का कोई निश्चित आदेश देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि हरिजनों की परेशानी उक्त वक्त से शुरू हुई है जब से नये एस० ओ० आये हैं और जब इसके पहले एस०ओ० थे उस वक्त उनको इतनी परेशानी नहीं थी और उनको कोशिश करके वहां से हटवाया गया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसके बारे में इस तरह कोई निश्चित सूचना नहीं है कि पहले क्या स्थिति थी और इस समय क्या स्थिति है। जब यह आरोप आया और उत्तरोत्तर हरिजनों की तरफ से उसी ढंग की शिकायतें आने लगीं तो इन सब चीजों की गम्भीरता को देखते हुए सी० आई० डी० को उसकी जांच की व्यवस्था के आदेश कर दिये गये हैं।

श्री जयराम वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि यह परेशानी जो शुरू हुई, नये एस० ओ० के जमाने में ही शुरू हुई और इसके पहले जो एस० ओ० थे उन्होंने ऐसा इन्तजाम कर दिया था कि हरिजन परेशान न हों ? साथ ही इसकी भी जांच करके कि अगर यह बात सही हो तो फिर उसको ठीक करा देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सम्मानित सदस्य ने जैसा कहा है उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे लेकिन सी० आई० डी० से इन्हीं सब चीजों की जांच करा रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मन्त्री जी ने जितना अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है उससे यही अर्थ निकलता है कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है और पुलिस 107/117 की कार्यवाही करके उन पर अत्याचार कर रही है। उसने उधर के भी 10 आदमियों को फांस लिया है और इधर हरिजन वर्ग के भी 8 आदमियों को फांस कर उनका भी चालान कर दिया है। जबकि 107/117 की कार्यवाही जो होती है वह उस पर होती है जो एग्रेसर हो?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह तो एक प्रशासनिक कार्यवाही है। स्थानीय व्यवस्था को देखते हुए, शांति और सुव्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए, प्रशासन इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करता है। 107/117 कहां लगाया जाय, कहां न लगाया जाय शासन द्वारा इसका निर्देश नहीं दिया जा सकता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

रिपोर्ट में है कि 302 का केस होते हुए भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और उसने सरेंडर किया है, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 302 की रिपोर्ट कब लिखायी गयी और मुलजिमान ने कब सरेंडर किया ? और इसके दौरान 87/88 की कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस बीच 87/88 की कार्यवाही की गयी लेकिन तत्काल मुल्जिम ने सरेंडर कर दिया। उनको अधिकार है कोर्ट में सरेंडर करने का, और इसलिये उन्होंने सरेंडर किया।

श्री त्रिलोक चन्द—

माननीय मन्त्री जी ने जैसा कहा कि 107/117 की कार्यवाही दोनों तरफ होती है शांति भंग होने की स्थिति में। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हरिजनों के खिलाफ कोई शिकायत आयी थी कि उनकी वजह से वहां शांति भंग होने का अन्देशा है और अगर है तो उसको पढ़ कर सुनायेंगे?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

हरिजनों की मजदूरी के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया था जब कि दूसरे वर्ग के लोगों के साथ आपस में वाद-विवाद हुआ और आपस में ढेलेबाजी होने लगी। दोनों तरफ से पुलिस में रिपोर्ट आयी, उसी के आधार पर 107/117 इस रूप में चलाने की आवश्यकता पड़ी।

श्री जयराम वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों ने लिखकर या जबानी इस तरह की शिकायत की है कि जिन मामलों का यहां जिक्र है, इनमें बहुत से मामले ऐसे हैं जो उनके खिलाफ दूसरे जिलों में, कोई मुरादाबाद, कोई आगरा आदि में दायर किया गया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

हरिजन वर्ग के कुछ लोग यहां आये। उन्होंने ऐसी सूचना दी है। इसी पर सी० आई० डी० और स्थानीय अधिकारियों को दे दिया गया है। जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि जो लोग हरिजनों को बार बार पीटते हैं, बेगार लेते हैं और उनके घर जलाते हैं और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उनका आजाद रहना शांति के हित में नहीं है, ऐसे आदमियों के खिलाफ दफा 110 के अन्तर्गत जमानत मुचलके कार्यवाही करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, अगर साक्ष्य मिल जाये कि कौन अत्याचार करता है तो कोई परेशानी न हो। एक तरफ आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ उनकी सफाई में लोग चले जाते हैं। इससे सारी समस्या उलझ जाती है। न्याय के अन्तर्गत मामला आ जाता है तो न्यायापालिकायें अपने ढंग से उसमें काम करती हैं और शासन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब मामला सिद्ध हो जाता है तो किसी को छोड़ा नहीं जाता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मन्त्री जी ने बताया कि जब हरिजन लोग पंचायत कर रहे थे तो ढेले चले और शांति भंग होने का अंदेशा पैदा हो गया तो हरिजन लोग क्या अपनी जगह पर पंचायत कर रहे थे या दूसरे की जगह पर कर रहे थे, जहां ढेले फेंके गये? अगर अपनी जगह पर पंचायत कर रहे थे तो दूसरी पार्टी ने एलीगेशन किया तो किस आधार पर यह मामला 107/117 दोनों के ऊपर दर्ज हुआ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मेरे कथन पर भ्रम किया है। इम्पलाईज और इम्पलायर दोनों एक जगह पर बैठ कर पंचायत कर रहे थे और मजदूरी का प्रश्न था। दोनों में तू तू मैं मैं हो गई और संघर्ष की स्थिति आगई। इसलिये दोनों पार्टियों पर 107/117 का मुकदमा चलाना पड़ा।

श्री जयराम वर्मा—

मान्यवर, पुलिस ने जो रिपोर्ट की है और जिस मीटिंग का हवाला मन्त्री जी दे रहे हैं जिसमें ढेले-बाजी हुई क्या वह उस रिपोर्ट को पढ़ कर सुनायेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह रिपोर्ट हरिजनों के द्वारा हुई है लेकिन वे ऐसे ही अपराध हैं जो पुलिस द्वारा हस्तक्षेपनीय नहीं है, बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस कुछ नहीं कर सकती और जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर ऐसे अभियोग नहीं थे कि उनमें पुलिस कुछ कर सके। अब उन शिकायतों के आधार पर ही सी० आई० डी० की इन्क्वायरी हो रही है और जो तथ्य आयेंगे उन के आधार पर ही कार्यवाही होगी।

श्री जयराम वर्मा—

क्या यह सही नहीं है कि हरिजनों पर दूसरे पक्ष के लोग जुल्म करते हैं और उन्होंने जबरदस्ती खेतों पर काम कराने के लिये ले जाते हैं? मैंने इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भी मुख्यमन्त्री जी के पास भेजे तो क्या उन पर कोई कार्यवाही हुई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब जब शिकायतें आई हैं उन पर फौरन निर्देश दिये गये और आवश्यक कार्यवाही की गई, जांच की जाती है और किन्हीं केसेज में सब तथ्य प्रकट नहीं हो पाते, सबूत नहीं मिल पाता तो उन केसेज में बिना आरोप के सिद्ध हुए कैसे कार्यवाही की जाय, यह प्रश्न सामने आ जाता है।

श्री जयराम वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन हरिजनों के अनशन करने से पहले किस तारीख में क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह पूरा विवरण जो मैंने अभी आप के सामने पढ़ा उस में बताया गया है कि जिस तारीख को जो रिपोर्ट हुई उस पर उसके बाद तत्काल कार्यवाही की गई और उसके आधार पर हुई पुलिस कार्यवाही का पूरा विवरण वक्तव्य में दिया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि ऐसे अपराध जैसे मारपीट और आग लगाने के हैं और जो पुलिस द्वारा हस्तक्षेपनीय नहीं होते उनमें अमूमन पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकती? लेकिन क्या मन्त्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि ऐसे शोरेपुश्त लोगों के खिलाफ जाब्ता फौजदारी की दफा 110 की कार्यवाही और गुन्डा ऐक्ट की मातहत क्यों कार्यवाही नहीं की जाती?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसके लिये भी आवश्यक सबूत, तथ्यों और प्रमाण की आवश्यकता होती है क्योंकि जिनके ऊपर दफा 110 या गुन्डा ऐक्ट की कार्यवाही चलायी जाती है वह लोग कोर्ट में बचाव में जाते हैं, 110 अगर शासन चलाता है तो उसे सबूत पेश करना पड़ते हैं और उस की सफाई का अधिकार रहता है। तो इस प्रक्रिया के लिये जब तक सारी तैयारियां न हो जाय, सारी आवश्यकतायें पूरी न हो जायें तब तक न तो आवश्यकता ही महसूस होती है और न केसेज को आगे अदालत में ले जाने से लाभ ही होता है।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

उन्होंने कहा कि अपराध जिस तरह के हैं उससे हस्तक्षेपनीय अपराध नहीं बनते लेकिन में मन्त्री जी से कहूंगा कि यदि किसी भी आदमी को कोई डर या भय दिखाये या जबरदस्ती अपने लाभ के लिये किसी को ले जाय तो वह दफा 384 में हस्तक्षेपनीय अपराध होता है, जबरदस्ती किसी से काम लेना भी हस्तक्षेपनीय अपराध है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूं लेकिन मन्त्री जी ने अभी कहा था कि चूंकि वह हस्तक्षेपनीय अपराध है इसलिये हम उसमें कार्यवाही नहीं कर सकते। तो क्या मन्त्री जी इन धाराओं के अन्तर्गत अगर कोई ऐसा अपराध बनता है तो कार्यवाही कराने का प्रयत्न करेंगे?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

जब इस प्रकार का कोई आरोप लगाया जाता है और उस की पुलिस में रिपोर्ट होती है तो पुलिस उस की जांच में साक्ष्य और प्रमाण देखती है और वास्तविकता मालम करने की कोशिश करती है अगर वास्तविकता का का पता लग जाता है तो संबधित धारायें लगाकर कार्यवाही की जाती है। खाली रिपोर्ट कर देने से ही जुर्म एस्टेब्लिश नहीं हो जाता यह सारे प्रश्न प्रमाण और सेवा के सामने आते हैं।

श्री राज मंगल पांडेय—

शायद माननीय मंत्री जी ने मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की। मेरा मतलब यह है कि जो उन्होंने कहा कि ये अपराध ऐसे हैं जिनमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जब पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की तो इसमें कागनिजिबुल और नौन-कौगनिजिबुल का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करने की सोचेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जिस तरह की रिपोर्ट तत्काल मिली उसी प्रकार से दर्ज की गयी है । इसमें आगे कार्यवाही करने का कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो धारा 110 जाब्ता फौजदारी की है और गुंडा ऐक्ट भी है । इनमें सबूत की कोई आवश्यकता नहीं होती है । तो जब इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो जिले के अपने अधिकारियों को एक सामान्य आदेश देने की कृपा करेंगे कि वे धारा 110 और गुंडा ऐक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य को शायद जानकारी नहीं है कि धारा 110 में अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो सबूत और सफाई की आवश्यकता होती है। तभी कोई निर्णय कोर्ट के द्वारा होता है।

जहां तक गुंडा ऐक्ट का प्रश्न है, कई केसेज हाई कोर्ट में गये और उनमें सरकार के विरुद्ध निर्णय हुए हैं जिनमें उनको मुक्ति मिल गयी है, शासन के प्रयास के बावजूद भी।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

देश और प्रदेश में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की शिकायतें हमेशा आती रहती हैं और उन मामलों पर निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि यदि हरिजनों के बारे में कोई शिकायत आये तो सरकार प्रदेश में एक आयोग का गठन करेगी जो उनके मामलों की जांच किया करे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इन्हीं सब समस्याओं को लेकर, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके और वास्तविकता सामने आ सके, सरकार से मान्यता प्राप्त सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने का निर्देश हो गया है । उनकी रिपोर्ट आने पर ही आगे कार्यवाही संभव हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी इजाजत से एक बात कह दूं । एक ऐसी ही हरिजनों के बारे में याचिका आयी थी। याचिका समिति में हमने उस पर विचार किया। आई0 जी0 और गृह सचिव की भी राय हुयी कि कुछ धाराओं को, मुझे याद नहीं कौन-कौन संज्ञेय अपराध माना जाय । हरिजनों को कोर्ट में जाने से रोका गया, बलपूर्वक, डिग्री करा ली गयी । बहुत से चिटिंग केसेज हरिजनों पर बंबई आदि से चलाये गये । तो मेरा ख्याल है कि सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिये । इनके बारे में बहुत से मामले उठ रहे हैं, यह सदन भी उत्तेजित हो जाता है और लोक सभा भी उत्तेजित हो जाती है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

याचिका समिति ने अच्छा लिखा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी के पूर्व की बात है । कानून में तब्दीली हो। धारा 110 से काम नहीं चल सकता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक दिन हम को भी बुला ल तो हम कन्विन्स कर देंग।

श्री उपाध्यक्ष—

बहस हो गयी है। हमारी रिपोर्ट भी हो गयी है। आख्या गयी है और हमारे सेक्रेटरी भी थे, वे जज भी थे। उन्होंने भी जो जो धारायें उपयुक्त थीं, उन सबको संज्ञेय अपराध करने को कहा।

श्री जयराम वर्मा—

मान्यवर, हरिजनों की कोई ज्यादती और किसी तरह उनकी तरफ से ऐसी कार्यवाही का सबूत नहीं मिलता है जिससे दूसरी पार्टी को कोई मौका हो कहने का। लेकिन 107/117 की कार्यवाही दोनों पक्षों के खिलाफ की गई है। क्या मंत्री जी गौर करेंगे कि जो कार्यवाही उनके खिलाफ है उसको वापिस लेंगे और धारा 107/117 की एक तरफा कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा और कोई अन्याय नहीं हो पायेगा इतना तो मैं आश्वासन दे सकता हूं और जल्दी ही आवश्यक जानकारी प्राप्त कर जो कदम आवश्यक होगा उसको उठाऊंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी इस हकीकत को स्वीकार करेंगे कि हरिजनों के साथ अन्याय इसलिये जाता है कि उनके अनुपात के हिसाब से या नहीं के बराबर पुलिस सेवा में उनको अवसर दिया गया है और यहां पर स्पष्ट घोषणा भी की गई है कि कांसटेबुली या हेड कांस्टेबुलरी में उनकी संख्या के अनुपात से स्थान दिये जायेंगे, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। क्या मंत्री जी आइंदा के लिये आज से आश्वासन देंगे कि हरिजनों और पिछड़ों को अनुपात के हिसाब से पुलिस सेवा में भरती किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है।

श्री त्रिलोकचन्द—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट हुई है, उसमें हरिजनों की ओर से किसी विधायक का भी नाम दिया गया है कि वे भी इन्वाल्व्ड हैं। जो दारोगा जी मौजूद हैं वे हरिजनों को आज भी दबा रहे हैं। इसको ध्यान में रखकर उनका ट्रांसफर तत्काल करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, उसमें एक सम्मानित सदस्य का भी नाम है लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी सी० आई० डी० को जांच दे दी गई है। जब तक जांच की निश्चित रिपोर्ट न आ जाय तब तक किसी के बारे में नामांकन करना या आरोप लगाना, यह तो माननीय सदस्य कर सकते हैं, मुझे किसी पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार काफी दिनों से हो रहे हैं। माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा कि जबरिया बेगार लेना भी एक अपराध है धारा के अनुसार। यदि ऐसा है तो रिपोर्ट लिखाने के बावजूद भी क्यों कार्यवाही नहीं की गई ? जो आरोपित सदस्य हैं वे किस दल के हैं यह भी मैं जानना चाहता ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, केवल रिपोर्ट लिखा देना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है । उसके लिये साक्ष्य की भी आवश्यकता होती है । किसी के खिलाफ रिपोर्ट पर क्या उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही हो जायेगी बिना साक्ष्यों के इन सब चीजों को भी सामने रखना पड़ेगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, हम लोगों ने सत्याग्रह किया, हम तो गांधीवादी हैं । सत्याग्रह में तोड़ फोड़ नहीं करते । झूठ छाप दिया गया है कि सत्याग्रहियों ने टेलीफोन तोड़ दिया, पत्रावली फेंक दी । तो मैं यह कह रहा हूं कि जहां इनको जरूरत पड़ती है वहां दूसरा केस बना देते हैं और जहां सही केस हरिजनों का है वहां रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है ।

स्वतन्त्रता संग्राम की रजत जयन्ती समारोह में स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों को आमन्त्रित करने तथा ताम्र-पत्र पाने वाले व्यक्तियों को सदन की दीर्घाओं में बैठने की अनुमति देने का सुझाव

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, एक मिनट मुझे दे दें । एक कंट्रोवर्सी अखबारों में चल रही है । स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जो सम्मानित करने हम जा रहे हैं उसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है । यू० पी० सी० सी० ने एक पत्र सरकार को लिखा है कि आपने अमुक-अमुक आदमी को जो दस-दस और पंद्रह-पंद्रह साल जेल में रहे, उनको छोड़ दिया है । जैसे बलिया के मारतन्ड जी का नाम है । श्रीमन्, 25 साल बाद हम प्रदेश में स्वतंत्रता के संग्राम के सेनानियों का सम्मान करने जा रहे हैं । अगर कुछ प्रमुख लोग छूट जाते हैं तो वह उचित नहीं है । आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है—

"The confidential list of freedom fighters by U. P. Rajat Jayanti Celebration Committee on the basis of the recommendations of the D.M.s has touched off a grave political controversy in the State."

तो जो लोग छूट गये हैं क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी कि उनको वायरलेस से बुला लिया जाए और सम्मानित कर दिया जाय ?

दूसरी बात, आज श्रीमन्, आपने दीर्घायें खाली करा दीं । कोई हंगामा तो था नहीं । कम से कम रात्रि के लिये तो सम्मानित सदस्यों के पास पर एक-एक, दो-दो को आने दें, कम से कम जिन लोगों को ताम्र-पत्र मिलने वाले हैं और दूर-दूर से आये हैं, उनको आने दें । तो सरकार प्रश्न सरकार से संबंधित है और दूसरा आपसे ही संबंधित है । इनका स्पष्टीकरण हो जाय । ऐसा न हो कि बड़े-बड़े प्रमुख सेनानी बैठे रहें और केवल 250 लोगों को ताम्र-पत्र देकर कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली जाय । सरकार बता दे कि क्या ऐसा पत्र रमेन्द्र वर्मा, पी०सी०सी० के जनरल सेक्रेटरी ने भेजा है और श्री चन्द्र शेखर, एम०पी० ने भेजा है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

जहां इस रजत जयन्ती के अवसर पर हम आजादी की लड़ाई के सेनानियों को सम्मानित करने जा रहे हैं वहीं सरकार ने यह मुनासिब क्यों नहीं समझा कि गोवा को मुक्त कराने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

लिये हमारे देश के जो लोग गोआ गये और पुर्तगीज जेलों में बन्द रहे और अत्याचार सहे, उनको भी सम्मानित किया जाय । ऐसे सैकड़ों लोग हमारे प्रदेश में हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिये । अब इस समय सम्भव न हो तो रजत जयन्ती तो पूरे वर्ष भर मनायी जायेगी, 26 जनवरी को इनका सम्मान किया जा सकता है या किसी और अवसर पर किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

सरकार का जवाब तो आना चाहिये । वैद्य जी बैठे हैं ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

सरकार अपना विचार तो प्रकट कर दे कि उनका क्या विचार है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया । उनको बयान देना होगा तो देंगे ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)--

इस प्रदेश के प्रत्येक स्वतंत्रता के सेनानी को ताम्र-पत्र दिया जाएगा, इस रजत जयन्ती वर्ष के सिलसिले में तारीखबार तारीख तय करके । इस समय सूबे से सेंटर में कुल 125 लोग भेजे गये हैं और 250 यहां बुलाये गये हैं । यह टोकन है । हर जिले में मीटिंग की जायेगी और प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को ताम्र-पत्र दिया जायेगा । इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है ।

गोआ के सेनानियों का प्रश्न आल इंडिया प्रश्न है । यह हमारे अकेले तय करने का नहीं है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

अगर हम गोवावालों के लिये भी कर दें तो अन्य प्रदेश वाले भी इसको करेंगे ।

समोधपुर, जिला जौनपुर के गांधी स्मारक कालेज में पुलिस तथा पी० ए० सी० की तैनाती के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

उपाध्यक्ष महोदय, गांधी स्मारक कालेज, समोधपुर, जौनपुर के प्रबन्धकों में से दो पार्टियां बन गई हैं, दोनों पार्टियों में पारस्परिक झगड़ा है तथा दोनों ने कालेज के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का दावा किया है । एक पार्टी ने अपने गिरोह के साथ कालेज को जुलाई, 3,1972 को घेर लिया जब कि दूसरा गिरोह कालेज में पहिले से ही प्रविष्ट था और मुकाबला करने को तैयार था । इन परिस्थितियों में जिला पुलिस अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट को सूचना मिलने पर हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया । फल स्वरूप पी0ए0सी0 तथा स्थानीय पुलिस की तैनाती कर दी गई और जुलाई, 5,1972 को जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, पुलिस सर्किल आफिसर ने समस्या का शांतपूर्ण ढंग से हल निकालने का प्रयास किया, परन्तु दोनों दल अपने-अपने दावों पर अडिग रहे । अतएव जुलाई 6,1972 से 10 दिन के लिये कालेज को बन्द करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया गया । चूंकि उसी कालेज के प्रांगण में डिग्री कालेज भी है उसे भी जुलाई

9,1972 के आदेश द्वारा बन्द कर दिया गया । जिलाधीश ने अपने दिनांक जुलाई 6, 1972 के आदेश द्वारा सह जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त कर दिया परन्तु इस नियुक्ति के विरुद्ध कालेज की प्रबन्धक की एक पार्टी द्वारा उच्च न्यायालय में जिला अधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध एक याचिका दाखिल की गई जिस पर न्यायालय ने यह आदेश दिया कि कि मामले का निर्णय होने तक जिला अधिकारी, जौनपुर कालेज के प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । न्यायालय के आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रशासक की नियुक्ति के आदेश निरस्त कर दिये गये । चूंकि मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये उनके निर्णय के उपरांत ही शासन द्वारा हस्तक्षेप संभव हो सकेगा । कालेज से पी०ए०सी० दिनांक अगस्त, 7,1972 से हटा ली गई है और सिविल पुलिस सुरक्षा हेतु बाहर लगी है । लड़ाई का अन्देशा इस समय कम है । विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन के कोई संकेत नहीं हैं परन्तु कुछ विद्यार्थियों का दल बन्दी में सम्मिलित होना स्वाभाविक है । वर्तमान में श्री माधोसिंह और वंश बहादुर आदि के दल का विद्यालय पर कब्जा चल रहा है और श्री ठाकुर प्रसाद उच्च न्यायालय आदि में मुकदमें लड़ रहे हैं ।

दोनों विद्यालय इंटर दिनांक जुलाई 16,1972 से और डिग्री कालेज दिनांक 18/19 जुलाई, 1972 से विधिवत् कार्य कर रहे हैं । प्रवेश हो गये हैं और इस समय अस्थायी शांति प्रतीत होती है । जिलाधिकारी सतर्कता से मामले पर दृष्टि रख रहे हैं जिससे कोई अग्रिम घटना न घटने पाये ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के जो बयान में कहा गया कि प्रबन्धकों की दो पार्टियां बन गई थीं । उनमें से झगड़े से पूर्व किस पार्टी का कालेज पर कब्जा था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इससे पहले ठाकुर प्रसाद थे । इसमें रंगबहादुर और बंश बहादुर के बीच मामला चल रहा था । इसमें से एक दल तो विद्यालय में बैठा था तभी ठाकुर प्रसाद भी पहुंचे फलस्वरूप आपस में झगड़ा चल पड़ा । इस कारण से जिलाधिकारियों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और वहां पर पी०ए०सी० को भेजना पड़ा । वहां का प्रशासन भी जिला विद्यालय निरीक्षक को लेना पड़ा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी इसको बतायेंगे कि जौनपुर में ऐसी फिजा पैदा की जा रही है कि वहां पर झगड़ा हो और जो प्राइवेट कालेजेज हैं उनका मैनेजमेंट खुद ले लिया जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी तो कोई सूचना नहीं है लेकिन यह मालूम है कि इन दोनों ही पार्टीज में भयंकर संघर्ष चल रहा है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दल इस वक्त वहां बैठा हुआ है उसको कोई कांग्रेस की सपोर्ट हासिल है और उसको रोके रखने के लिये ही पी०ए०सी० वहां पर लगाई गई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसा तो कोई बात नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव जिला जौनपुर)—

यह मामला हाईकोर्ट में गया है। जो दोनों पार्टियां हैं उनमें कौन-कौन से लोग है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जब वहां की स्थिति गम्भीर हुई और जिलाधीश ने यह निर्णय लिया कि वहां कालेज बन्द करके उसका अधिकार एसोशिएट इंस्पेक्टर आफ स्कूल को दे दें। उसके बाद श्री ठाकुर प्रसाद वगैरह गये। उन्हीं की कमेटी के दूसरे पदाधिकारी वहां पर पहले से जमे बैठे हैं। झगड़ा हाई कोर्ट में गया और उसके निर्णय की प्रतीक्षा हो रही है। वहां पर पुलिस इसलिये खड़ी है ताकि वहां पर शांति बनी रहे। पी० ए० सी० हटा ली गई है। दृष्टिकोण यही है कि स्कूल शांति से चलता रहे। हाईकोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं सरकार से यह जानना चाहता था कि जब वहां पर एक दल विधिवत् तरीके से स्कूल का प्रबन्ध कर रहा था तब फिर गैरकानूनी तरीके से एक दल वहां क्यों पहुंच गया ? उसको वहां बिठाने के लिये किस कारण जिलाधिकारियों ने पी० ए० सी० और पुलिस को लगाकर सुरक्षा प्रदान की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को अपने से ज्यादा समझदार मानता हूं। एक बल वहां अपने दल बल के साथ बैठा है और दूसरा दल कब्जा करने के लिये पहुंच गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर यहां पर कोई अजनबी आदमी आकर बैठ जाये तो आप उसे यहां पर कब्जा करने देंगे ? उस आदमी को यहां पर बैठने का कौन-सा औचित्य प्राप्त है ? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किस आधार पर वहां पर संरक्षण दिया, यह मैं जानना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि सरकार के कुछ लोगों का इसमें हाथ है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह आरोप कि पुलिस ने बिठाला, सरासर असत्य है और सच से परे है। मैनेजमेंट कमेटी का अपना झगड़ा था। एक दल अपने फौज कांटे के साथ मौजूद था और दूसरा दल अपने फौज कांटे के साथ पहुंच गया। जिला विद्यालय निरीक्षक के एसोशिएट इंस्पेक्टर को वहां का अधिकार दे दिया लेकिन हाईकोर्ट में अब वह मामला है। हम तो केवल सुरक्षा का दृष्टिकोण देख रहे हैं। हाईकोर्ट जिसके पक्ष में निर्णय दे देती है उसी का अधिकार होगा।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

पुलिस और पी० ए० सी० की तैनाती के पूर्व कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी या नहीं ? और अगर प्राप्त हुई थी तो वह क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रबन्ध समिति के झगड़ों में तो अन्त तक आपस में फैसले करने की कोशिश होती रहती है। ये पुलिस में शिकायत थोड़े ही करते हैं, ये तो दिवानी और हाईकोर्ट में जाते हैं। प्रशासन का तो यही दृष्टिकोण है कि वह संघर्ष पर नजर रखे और वहां पर शांति व्यवस्था कायम करे। ऐसा न हो जाये कि स्थिति काबू से बाहर हो जाये और माननीय सदस्य सदन में खींचातानी शुरू कर दें। माननीय सदस्य को तो प्रशंसा करनी चाहिये उस काम के लिये जो कि हमने किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सारी लड़ाई शासन की ओर से ही चलाई जा रही है । विधिवत् चुनी हुई मैनेजिंग कमेटी थी । उसको रद्द करने के लिये उतारू हो रहे हैं और इसलिये पुलिस के बल पर सारी कार्यवाही कर ली । मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं थी उस समय जबकि वहां पर पुलिस और पी०ए०सी० को लगाया गया। उन लोगों को संरक्षण दिया और उस कालेज में बिठाया जिनको कि कोई अधिकार नहीं था । उसी के प्रांगण में डिग्री कालेज भी था । जब पुलिस लगा दी तो डिग्री कालेज को क्यों छोड़ दिया ? इसके पीछे कौन सा औचित्य था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं माननीय सदस्य के कथन पर तो आपत्ति नहीं कर सकता हूं । मैं तो यह नहीं समझता हूं कि ये तथ्य से इंकार कर सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं इस कथन को चैलेंज करता हूं और मांग करता हूं कि कल बैठ जाऐं, आज बैठ जाएं और इस पर सदन में चर्चा हो । सरकार के कुकृत्यों की कलई खुल जायगी। जायसवाल जी ने कहा कि पूरे जौनपुर जिले में एक अभियान चलाया गया है कि इनके लोगों के हाथों में स्कूल हों। झगड़ा कराकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस के जरिये कब्जा दिला दो। इस अभियान का और ऐसे लोग जो सरकार में बने बैठे हैं जिनका इस सारे षडयंत्र के पीछे हाथ है पर्दाफाश हो जायेगा।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में केवल एक ही स्पष्टीकरण है कि दोनों दल ऐसी स्थिति में आ गये थे कि शासन से हस्तक्षेप न होता तो फिर सदस्यगण दूसरे प्रकार की मांग करते। इसलिए शासन को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया था।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

एक कानूनी बात है। मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। जैसा कि इनके वक्तव्य से मालूम हुआ कि वहां पर दो पार्टियां हैं और दोनों अपना अपना प्रतिनिधित्व मांगती हैं इस बात को अलग रख दें। आपने कहा कि इन्हीं चीजों को हटाने के लिए एक एसोशिएट इंस्पेक्टर को बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर वहां नियुक्त कर दिया। इस पर आपका यह भी कहना है कि हाई कोर्ट ने उसको बेकेट कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आदमी मुकर्रर किया गया था उसको हाईकोर्ट ने वैकेट कर दिया तो उसकी जगह हाईकोर्ट ने अपन आर्डर में कोई इन्टेरिम आर्डर भी दिया ? और अगर कोई इन्टेरिम आर्डर दिया तो उसकी कंप्लायेंस के लिए सरकार ने क्या किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, हाईकोर्ट का केवल यह आदेश था कि जिला को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और प्रबन्ध समिति जैसी वहां चल रही है वैसी चलने दी जाय। साथ ही यह कि वहां शान्ति व्यवस्था कायम करने का जरूर प्रयास करें। हमको नियुक्त करने का अधिकार नहीं रह गया। हाईकोर्ट ने कोई इन्टेरिम आदेश नहीं दिया। जैसी व्यवस्था चल रही है ? वह चल रही है। सुरक्षा के लिए पी० ए० सी० जरूर बाहर लगी हुई है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जो प्रबन्ध समिति चल रही थी उसे सुचारू रूप से काम नहीं करने दिया और उन्होंने दूसरे लोगों को बिठाया। जब हाईकोर्ट का आदेश हो गया तो पुरानी समिति काम करती इसके लिये कौन सी व्यवस्था आपने की ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो हाईकोर्ट...

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन्होंने अभी कहा कि पुरानी समिति को काम करने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहते हैं कि ठाकुर प्रसाद जी ने हाईकोर्ट...

श्री कल्पनाथ सिंह—

वही तो प्रबन्धक थे । हाईकोर्ट ने उनके हक में कह दिया कि पुरानी समिति को काम करने दिया जाय ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

आप अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। जो है उसको कायम रखा जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या रिपोर्ट दी थी उसे पढ़कर सुना दें ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यहां पर उसका प्रश्न इसलिए नहीं उठता...

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं हैं। सह निरीक्षण का है, कलक्टर का है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य सुनने की अनुकंपा न करेंगे तो कैसे कह पाऊंगा । जिलाधीश की आज्ञा से एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट इन्स्पेक्टर हुये थे। जब हाईकोर्ट ने बैकेट कर दिया तो वह हट गये ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने यह कहा था कि यह मामला शिक्षा विभाग का है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जब रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी या शासन को भेजी कि कौन सी शिक्षा कमेटी है, किसका अधिकार होना चाहिये। यह तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट होनी चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने या कलेक्टर ने कोई रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक से मांगी कि दो प्रबन्ध समिति हैं या एक है, क्या स्थिति है ? अगर हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समय तो यहां कोई रिपोर्ट नहीं है इस सम्बन्ध में। यहां तो शान्ति व्यवस्था और पुलिस क्यों लगायी गयी, वह जो प्रश्न सामने आया उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मन्त्री जी की जानकारी में यह चीज लाई गयी है कि विधान सभा सदस्य माननीय पारसनाथ ने सरकार को मिलकर या लिखकर यह सूचना दी है कि आपकी तरफ बैठे हुये माननीय सदस्य, सूर्यनाथ सिंह इस तरह का झगड़ा पैदा करके एक के बाद दूसरी कमेटी के चेयरमैन बनते जा रहे हैं। और पहले जब वह किसी कमेटी के अध्यक्ष थे उसके सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कुछ आरोप थे जिसकी वजह से वह वहां हटाये गये थे, लेकिन सरकारी शक्ति के बल पर एक के बाद दूसरी कमेटी में वह बैठते चले जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है ।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में हैजे तथा चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ तथा सूखा से प्रायः जन स्वास्थ्य की विशेष समस्यायें उत्पन्न होती हैं। सन् 1971 में अत्यधिक वर्षा से हुई बाढ़ के फलस्वरूप हैजा तथा टायफाइड जैसे संक्रामक रोगों के प्रकोप पर नियन्त्रण पाने निमित्त विशेष प्रबन्ध एवं प्रयास किये गये थे । इस वर्ष अत्यधिक गर्मी पड़ने तथा यथा समय वर्षा न होने से देश के अधिकांश भाग में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसके फलस्वरूप इस प्रदेश के अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 43 जिले हैजा, गैस्ट्रो, डिसेन्ट्री तथा इस प्रकार के अन्य संक्रामक रोगों के प्रकोप से प्रभावित हुए हैं। इन बीमारियों के प्रसार का एक कारण यह भी है कि इस वर्ष देश में अनेक राज्य गैस्ट्रो से ग्रसित हैं। विशेष रूप से दिल्ली, हरियाना तथा मध्य प्रदेश के कई जिले जिनकी सीमायें उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगी हुई हैं इस रोग से अक्रान्त रहे । इस कारण उन प्रदेशों से भी संक्रमण का आगमन हुआ ।

(इस समय 2 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए)

अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रदेश में हैजे से 848 व्यक्ति रोग ग्रस्त हुये हैं उनमें 257 की मृत्यु हो गई। गैस्ट्रो रोग के आंकड़े एकत्र करने में कठिनाई हुई क्योंकि यह रोग इस समय अधिसूचित नहीं है, फिर भी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गैस्ट्रो से 7,925 व्यक्ति रोग ग्रस्त हुए हैं जिनमें से 2,264 की मृत्यु हुई। रोग की इन घटनाओं में बीमारी की तीव्रता में बड़ा अन्तर रहा है। कहीं कुछ रोगी केवल एक दो दस्त होकर ठीक हो गए उस के विपरीत अन्य कुछ रोगियों में हैजे के स्पष्ट चिन्ह डायरिया, राइस-वाटर स्टूल, डिहाइड्रेशन तथा कै-दस्त पाये गये। इस प्रकार रोगियों को विशेष चिकित्सा परिचर्या द्वारा निरोग करने के भरसक प्रयास किये गये हैं ।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोग पर नियन्त्रण करने तथा उससे ग्रस्त व्यक्तियों को विशेष चिकित्सा सहायता देने की दिशा में हर सम्भव प्रयास किये गये हैं। जुलाई, 1972 के अन्त तक कुल 22,59,716 हैजा निरोधक टीके लगाये गये हैं तथा 82,047 कुओं में विसंक्रमण हेतु दवा डाली जा चुकी है ।

राज्य स्तर पर हैजा के प्रकोप सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त सूचनाओं पर तत्कालिक कार्यवाही सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संक्रामक रोग शाखा में एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसमें निरन्तर कुछ कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। जिला तथा क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्थित रूप से हैजा नियन्त्रण कार्य को संचालित कराने के

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

लिए सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अन्तर्गत दस रोग नियन्त्रक दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल दो या तीन जिलों में रोग नियन्त्रक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहेगा। इसके अतिरिक्त अब तक 10 चिकित्सा अधिकारी तथा 85 सहायक एपीडेमिक अधिकारी रोग ग्रस्त जिलों में अन्य जिलों से भेजे गये हैं। जिला स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा स्वच्छता निरीक्षकों आदि की सेवायें भी उक्त महामारी की रोकथाम के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं। कुओं के विसंक्रमण के लिए अतिरिक्त श्रमिक लगा दिये गये हैं।

इस समय स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा रोग नियन्त्रक कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और समस्त विभागीय अधिकारियों को यह आदेश दिये जा चुके हैं कि किसी भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी को केवल बीमारी के कारण छुट्टी देने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाय। जो अधिकारी तथा कर्मचारी छुट्टी पर थे उन्हें तुरन्त ड्यूटी पर वापस बुलाने के लिए आदेश दिये जा चुके हैं।

उपरोक्त प्रयासों को सक्रिय रूप से सफल बनाने निमित्त जिलों की दवाओं आदि की आवश्यकता की यथा सम्भव पूर्ति करने निमित्त 47,85,000 एन्टी कालरा वैक्सीन मात्राएं (डोजेज) तथा 1,478 ब्लीचिंग पाउडर के ड्रम (50 किलो प्रति ड्रम) के अब तक भेजे जा चुके हैं। उक्त दोनों दवाइयों के अतिरिक्त निम्नलिखित दवायें भी विभिन्न जिलों को वितरित की जा चुकी हैं—

दवा का नाम	भेजी गई दवा की मात्रा
1—कैपसूल्स एन्ट्रोस्ट्रैप	74,900
2—कैपसूल्स टेट्रा साइक्लिन	2,04,700
3—कैप्सूल्स इन्टेरटोपान फोर्ट	29,800
4—टेबलेट एट्रोवायोफार्म ग्रुप	10,73,000
5—टेबलेट एक्वामिन	1,29,820
6—टेबलेट सीक्वुल	64,500
7—सल्फागुनाडाइन	46,55,500
8—डेक्सट्रोस और सोडियम क्लोराइड 5 प्रतिशत सोल्यूशन (घोल) बोतलों में	9,147
9—नार्मल सेलाइन सोल्यूशन (घोल) बोतलों में	5,519
10—केओलीन पाउडर (किलोग्राम में)	3,131
11—गैमेक्सीन 50 प्रतिशत (50 किलो ग्राम के ड्रम में) ..	1,263

इस अभियान में कालरा वैक्सीन तथा ब्लीचिंग पाउडर की विशेष मांग रही है जिसकी पूर्ति अपने साधारण साधनों से सम्भव नहीं थी। अतः स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के सौजन्य से सेंट्रल इंस्टीट्यूट, कसौली (हिमांचल प्रदेश) से दस लाख मात्रा कालरा वैक्सीन तथा किंग्स इंस्टीट्यूट मंडी (मद्रास) से 5 लाख कालरा वैक्सीन मात्रा तार द्वारा मंगाया गया है। ब्लीचिंग पाउडर के 2300 अतिरिक्त ड्रमों की भी व्यवस्था की गई है। जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को कुल 50,100 रु० की अतिरिक्त धनराशि सामान्य प्राविधान के अतिरिक्त एपीडेमिक ग्रान्ट के रूप में प्रयोजन हेतु वितरित की गई है।

ध्यानाकर्षण नोटिसों में उल्लिखित जिलों में रोग के बारे में अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	जिले का नाम	हैजा		गंस्ट्रोइंट्राइटिस		हैजा निरोधक टीकों की संख्या	कुओं में दवा डाली गई
		रोगग्रस्त	मृत्य	रोगग्रस्त	मृत्य		
1	2	3	4	5	6	7	8
1—मिर्जापुर		..	..	567	102	98,774	5,227
2—सुल्तानपुर		..	..	790	241	1,14,355	18,204
3—बस्ती	..	443	121	..	..	98,606	1,493
4—गोरखपुर	..	..	..	172	54	63,308	1,020
5—बदायूं	..	..	..	67	26	11,600	240
6—इलाहाबाद	..	65	38	285	140	1,07,018	नहीं है ।
7—बलिया	..	..	..	354	93	88,310	1,640
8—एटा	..	..	..	57	27	17,552	184

प्रदेश के रोग से प्रभावित सभी जिलों के विषय में वस्तुस्थिति संलग्न तालिका में दी गई है । रोग की रोकथाम के लिए दवाओं के वितरण तथा टीका लगाने की व्यापक कार्यवाही की गई है । इस दिशा में निरन्तर प्रयास जारी है ।

चेचक की स्थिति—कुछ माननीय सदस्यों ने जिला बस्ती, बदायूं, इलाहाबाद तथा एटा म चेचक की स्थिति जाननी चाही थी । बस्ती में चेचक का कोई भी प्रकोप नहीं रहा । शेष तीन जिलों में रोग ग्रस्तों तथा मृतकों की संख्या जनवरी से जुलाई, 1972 तक निम्न प्रकार रही—

क्रम-संख्या	जिले का नाम	रोग-ग्रस्तों की संख्या	मृतकों की संख्या	चेचक-टीकों की संख्या जो लगाये गये
1	बदायूं	926	198	2,07,089
2	इलाहाबाद	90	22	2,00,113
3	एटा	127	25	1,48,137

रोग की रोकथाम के सम्बन्ध में यह कहना है कि ऐसे जिले जहां बीमारी का प्रकोप नहीं था, वहां की जिला सर्वेलेंस टीमें रोग से प्रभावित जिलों में रोग नियन्त्रण हेतु भेजी गई। इसके अतिरिक्त इन प्रभावित जिलों में अतिरिक्त वैक्सीनेटर की भी नियुक्ति की गई और उनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में टीके लगाये गए, जिससे रोग पर यथासम्भव नियन्त्रण हो सके। उक्त रोग की रोकथाम की कार्यवाही के समुचित प्रबन्ध एवं मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारी तथा क्षेत्रीय सहायक निदेशक एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ ने भी इन जिलों का दौरा किया ।

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विभाग प्रदेश में फैल रहे हैजे व चेचक के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रयत्नशील है और रोग निरोधक कार्यवाही पूरी तेजी से जारी है ।

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

प्रदेश के 12 जनपदों में कालरा बीमारी की पुष्टि नहीं हुई, शेष जनपदों में बीमारी की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है

क्रम-सं०	जनपद का नाम	क्रमिक योग				कालरा निरोध के टीके	विसंक्रमण किये गये कुएं
		गैस्ट्रोइन्टाइटिस		कालरा			
		ग्रसित	मृत	ग्रसित	मृत		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा ..	22	9	..	..	2,363	..
2	अलीगढ़	10	4	1	1	2,829	334
3	इलाहाबाद	285	140	65	38	1,07,018	..
4	आजमगढ़	29	5	..	..	93,106	..
5	बहराइच	603	210	..	..	1,19,437	6,357
6	बलिया	354	93	..	..	88,310	1,640
7	बांदा	132	57	16	12	74,072	2,331
8	बाराबंकी	71	34	..	..	62,558	7,642
9	बरेली	73	26	..	..	1,653	..
10	बस्ती	..	..	443	121	98,006	1,493
11	बदायूं	67	26	..	..	11,600	240
12	चमोली	33	16	..	..	30,145	..
13	देहरादून	23	3	..	..	31,246	..
14	देवरिया	29	8	..	..	11,000	..
15	एटा	57	27	..	..	17,552	184
16	इटावा	53	13	..	..	12,475	..
17	फैजाबाद	759	176	10	1	1,08,647	12,790
18	फर्रुखाबाद	196	52	..	..	3,06,51	2,820
19	फतेहपुर	72	27	..	..	1,00,637	1,075
20	गोरखपुर	140	38	47	15	32,260	2,772
21	गोंडा	..	..	6	2	22,51,128	..
22	गोरखपुर	172	54	..	..	63,708	1,020
23	हमीरपुर	19	7	..	..	2,907	..
24	हरदोई	132	47	18	8	28,289	..
25	जौनपुर	285	62	..	..	28,994	2,173
26	झांसी	196	55	..	..	24,425	..
27	कानपुर	587	192	..	..	79,556	1,393
28	लखीमपुर-खीरी	92	24	..	..	27,597	..
29	लखनऊ	256	1	105	..	88,386	..

1	2	3	4	5	6	7	8
30	—मेरठ	48	12	..	..	..	..
31	—मिर्जापुर	567	102	..	..	98,774	5,227
32	—मथुरा	..	..	12	2	..	..
33	—मुरादाबाद	398	109	..	..	..	..
34	—नैनीताल	..	..	1	0	3,650	..
35	—पिथौरागढ़	15	0	..	..	814	..
36	—प्रतापगढ़	857	238	..	..	79,102	..
37	—रायबरेली	47	2	124	57	1,35,414	7,933
38	—शाहजहांपुर	39	10	..	..	4,521	613
39	—सीतापुर	109	24	..	..	13,778	..
40	—सुल्तानपुर	790	241	..	..	1,74,355	18,204
41	—टेहरी	80	18	..	..	8,242	..
42	—उन्नाव	368	76	..	..	86,173	5,600
				--	—	15,800	206
43	—वाराणसी	60	18	अन्य	..	33,936	..
	योग ..	7,925	2,264	848	257	22,59,716	82,047

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

वक्तव्य से ज्ञात होता है कि दो रोगों से अधिक लोग मरे हैं और आपने दोनों ही रोगों के लिए ही एक दवा का प्रयोग किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस रोग से अधिक संख्या में लोग मरे हैं उसकी रोकथाम के लिए आपने किस दवा का प्रयोग किया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

दोनों रोग लगभग एक से ही हैं। पहले डायरिया का प्रकोप होता है, उसके बाद रोगी कालरे की स्थिति में आता है। इसलिए जो औषधि हैजे के लिए दी जाती है वही औषधि इस रोग में भी दी जाती है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बदायूं जिले में 15 जून तक कितना ब्लीचिंग पाउडर और कितने वैक्सीन के इन्जेक्शन पहुंचे और जिन गांवों में अधिक मौतें हुई हैं वहां पर क्या स्वास्थ निरीक्षक ने कोई कैम्प लगाया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

टीमें बराबर घूम रही हैं और हर जगह से जानकारी हासिल करके उचित कार्यवाही कर रही हैं और जहां जितनी दवा की जरूरत होती है वह भेजी जाती है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि 15 जून तक कितनी दवायें बदायूं जिले में भेजी गयीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इतनी विस्तृत सूचना नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैंने जो नोटिस दिया था उसमें स्पष्ट रूप से कुछ गांवों के बारे में लिखा था कि वहां हैजे का प्रकोप है और तमाम लोग मर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन गांवों के बारे में सरकार को सूचना कब मिली और सरकार ने रोकथाम के लिये क्या-क्या कार्यवाही की तथा वहां कितनी मौतें हैजे से हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जैसे ही सूचना मिली, 32,260 व्यक्तियों के टीके लगाये गये। सम्भवतः जून में हमें सूचना मिली थी और तभी प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी थी।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। अपने नोटिस में ही मैंने लिखा है जो नियम 51 में दिया है। मैंने स्पष्ट लिखा था कि यह ब्लाक और 2 टाउन एरिया में क्या स्थिति है। उसके बारे में मन्त्री जी का क्या उत्तर है। अगर है तो बता दें, नहीं तो वह कहें। निश्चित सूचना देने के बाद क्या आज मन्त्री जी इस स्थिति में हैं कि उसका निश्चित उत्तर दें सकें।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

मेरे पास जिला स्तर की सूचना है। ब्लाक स्तर की सूचना की आवश्यकता है तो उसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता---

जो कल्पनाथ सिंह जी ने नोटिस दिया है, क्या उसमें ब्लाक स्तर और टाउन एरिया की सूचना मांगी गई है या नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

मेरे पास जिला स्तर की सूचना है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आपने श्रीमन्, ठीक सवाल किया है। आप उसे स्वयं देख लें, जिससे स्थिति साफ हो जाये। सरकार गलतबयानी कर रही है। आप उसे देखकर सरकार के खिलाफ कार्यवाही करें। सरकार तथ्यों को छिपाने में माहिर हो गई है।

श्री अधिष्ठाता ---

आपका जो नोटिस है उसमें स्पेसफिक तौर पर यह पूछा गया है यदि आपके पास सूचना नहीं है तो आप एकत्र करके फिर से दें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, इसी प्रकार से टालमटोल कर टालू मिक्स्चर पिलाने की कोशिश की जाती है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

माननीय सदस्य का यह कहना कि टालू मिक्सचर की बात है, यह टालने का प्रश्न नहीं है। हम जो सूचना मंगाते हैं जिला स्तर पर मंगाते हैं, और सारे जिले की मंगाते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा गोरखपुर की गोला टाउन एरिया और उसके समीप में जो मृत्युयें हुई हैं उसकी जानकारी हमें मिली है, वह 11 रोगी हुए और जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई।

श्री अधिष्ठाता—

जितनी सूचना आपने पढ़ी है, क्या उसके अतिरिक्त सूचना आपके पास नहीं है ? यदि नहीं, तो आप आश्वासन दें कि आगे दी जायगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मन्त्री जी ने कहा ब्लाक स्तर की सूचना की आवश्यकता हो तो उसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी । मैं पूछता हूं कि माननीय सदस्य चाहते नहीं तो लिखकर क्यों भेजते हम तो चाहते ही हैं। अगर न चाहते तो झख मारने के लिए नोटिस छोड़े देते ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

गोला टाउन एरिया के समीप 5 रोगी हुए, 2 की मृत्यु हुई और बड़हलगंज में 11 रोगी हुए, इसमें से तीन की मृत्यु हुई।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह बिलकुल सोलह आने निराधार सूचना है। मन्त्री जी फिर से इसकी जांच करावें और गलत सूचना देने वाले अधिकारी को दंडित करें ।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

मिर्जापुर में हैजे की बीमारी निरन्तर बढ़ती जा रही है। कल भी अधिकारियों से बातचीत किया तो बताया गया कि दवायें वहां कम हैं। क्या मन्त्री जी वहां जल्दी ही दवाएं भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां, भेज रहे हैं।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

मन्त्री जी ने जैसा अपने वक्तव्य में कहा है, यह रोग हरियाणा, मध्य प्रदेश में बहुत विस्तृत रूप से फैला। उन प्राविन्सेज में कितनी मृत्यु हुई, कितना भयंकर रोग फैला । हरियाणा और मध्य प्रदेश से जो लगे हुये क्षेत्र हैं, उनमें अन्य जिलों से मृत्यु कम हुई है। क्या यह रिपोर्ट जो है यह जिलों से भेज कर मंगाई है या यहीं सेक्रेटरिएट में बैठकर बना दी गयी है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सेक्रेटेरिएट में तो कोई आंकड़े रहते नहीं हैं जिससे रिपोर्ट बन जाय। रिपोर्ट बनाने के लिए और कोई सूचना देने के लिए जिला स्तर से ही जानकारी करनी होती है। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में मृत्यु के आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन जो व्यक्ति रोग से प्रभावित हुये हैं—वह इस प्रकार हैं—7 हजार 156 व्यक्ति हरियाणा में, 7 हजार 234 पंजाब में और 4 हजार 603 व्यक्ति मध्य प्रदेश में रोग से प्रभावित हुए। इतनी सूचना प्राप्त कर ली है और विशेष सूचना वहां से नहीं मिल सकी । जितनी प्राप्त हुई है उसकी जानकारी मैंने सदन को दे दी ।

श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जौनपुर जिले के लोग हैजे और गैस्ट्रो के रोग से प्रभावित हुए और अब भी हैं जिससे सैकड़ों मौतें हुई हैं, और इसकी रोकथाम इसलिए नहीं हो सकी कि वहां दो स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानान्तरण काफी समय तक शासन के

[श्री रामसागर]

विचाराधीन रहे, पहले स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध इस किस्म की लापरवाही के अनेक गम्भीर आरोप थे, शासन ने उनका ट्रांस्फर करके निरस्त कर दिया, क्या माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हुए, इस प्रकार के स्वास्थ्य अधिकारी को वहां से हटाएंगे और किसी योग्य स्वास्थ्य अधिकारी को वहां नियुक्त करके रोग की रोकथाम करवाएंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय सदस्य अगर लिख कर देंगे तो विचार किया जायगा। लेकिन जौनपुर के सम्बन्ध में शासन सतर्क है और कार्यवाही कर रहा है। 28 हजार 994 व्यक्तियों को टीके लगाये गये हैं और 2 हजार 173 कुओं में दवाई डाली गयी है। यदि और आवश्यकता होगी और माननीय सदस्य सूचित करेंगे तो व्यवस्था की जायगी।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

बस्ती जिले के सम्बन्ध में मंत्री जी को लिख कर दिया गया और मंत्री जी ने आदेश दिया की तुरन्त दवाओं का इंतजाम किया जाय कि वहां दवायें और इंजेक्शन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाये और हरैया ब्लाक में किरतीपुर गांव में परसों 4 आदमियों की मृत्यु हुई, दवा पूरी तरह से नहीं पहुंच पायी। तो क्या मन्त्री जी बस्ती जिले में अधिक से अधिक दवाओं और इंजेक्शनों को भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय सदस्य ने सूचना दी थी वहां व्यवस्था की गयी और आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति की जायगी। वहां 98 हजार 6 व्यक्तियों को टीके लगाये गये और 1 हजार 493 कुवों में दवा डाली गयी। इसके अलावा और उपाय जो होंगे किये जायेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में कितने लोग हैजे और गैस्ट्रो से मरे और दूसरे जो मरने वाले लोग हैं इनमें से एक को भी टीका नहीं लगा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैंने अपने वक्तव्य में यह सूचना दी है। फिर चाहेंगे तो पढ़ दूंगा। जो लोग मरे हैं उनको टीके नहीं लगे हैं, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिनके टीके नहीं लगे हैं, अगर माननीय सदस्य इसकी सूचना देंगे तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरी सूचना देने का प्रश्न नहीं है। जितने लोग मरे हैं इनमें से एक को भी टीका नहीं लगाया गया है। इसकी जानकारी स्वयं मंत्री जी करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

जो मरे हैं उनमें से किसी के भी टीका नहीं लगाया गया और लापरवाही रही इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी कर लेंगे।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह सारी जानकारी बड़ी मुश्किल है। मरने वाले यहां हैं नहीं। घर वालों से ही पता लगाया जा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी तो वहां जा नहीं सकते जो पता लगा लें ?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी सही स्थिति की जांच करा लेंगे ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जांच करा लूंगा । जहां तक मेरे जाने का सवाल है मैं हर माननीय सदस्य के साथ जाने को तैयार हूं अगर कोई इसके लिये तैयार हो तो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह हंसी मजाक का सवाल नहीं है । मरने वालों को टीके लगे अथवा नहीं इसका कोई न कोई रिकार्ड ग्राम स्तर पर अथवा जिले स्तर पर अवश्य होगा और शासन को उसकी बाबत आसानी से मालूम हो सकता है कि टीके लगे अथवा नहीं लगे और लोग लापरवाही से तो नहीं मरे दूसरे अच्छा भोजन नहीं मिलता है, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है इसलिये भी यह मर्ज फैलता है । जब इसकी संभावना थी तो प्रकोप होने से पहले व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जब गर्मी समाप्त होती है और वर्षा ऋतु प्रारम्भ होती है तो स्वास्थ्य विभाग का नियम है कि कुवों की सफाई की जाय और कीटाणु निरोधक दवा डलवाई जाय । यह प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया था । मरने वालों को टीके लगे हैं अथवा नहीं लगे हैं इसकी अवश्य जानकारी प्राप्त कर लूंगा ।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

मिर्जापुर, प्रतापगढ़ तथा रीवां के बीच में है जहां इन दोनों स्थानों पर हैजा फैला हुआ था । मिर्जापुर में दवाइयां खत्म हो गयीं और अधिकारियों ने लिखा कि टीका लगाने की वहां दवा नहीं है क्या सरकार इलाहाबाद से वहां दवा भिजवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जहां से मांग आती है वहां उसके लिये व्यवस्था हम करते हैं और जहां आवश्यकता होगी वहां दवाइयां भेजी जायेंगी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

उत्तर में यह बताया गया है कि यह बीमारी दिल्ली और हरियाणा में फैली और हरियाणा के बार्डर पर उत्तर प्रदेश के तीन जिले मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर लगते हैं लेकिन वहां एक भी कुवें में दवा नहीं छिड़की गयी जैसा कि सूची में दिये गये आंकड़ों से विदित होता है और न किसी के टीके लगाये गये तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रदेश में जब भी संक्रामक रोग फैलता है तो सभी जिलों के लिये आदेश भेज दिये जाते हैं । बहुत से जिलों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है इसलिये उनके बारे में सूची में सूचना नहीं दी गयी है । बहुत जल्दी उनके भी आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे । लेकिन कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर सतर्कता बरतने के लिये आदेश न दिये गये हों और दवाइयों की व्यवस्था न की गयी हो ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

2264 मृत्यु गेस्ट्रो से, 257 कालरा से और 245 चेचक से मृत्यु हुई । स्वाभाविक रूप से जो मृत्यु हुई उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि समय पर दवा न दिये जाने के कारण अथवा टीका न लगाने के कारण उपचार न किये जाने के कारण कहां-कहां पर यह बीमारी फैली है ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

श्रीमन् इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है । जिन-जिन जिलों में इस रोग का आक्रमण हुआ है उन-उन जिलों में जिन स्वास्थ्य सेवकों द्वारा उपेक्षा बरती गई है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इलाहाबाद जिले में मेरी सूचना के पहले ही कई लोग मर गये थे । मेरी सूचना के अनुसार फूलपुर, सोराव तहसील में 50 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मंत्री जी ने जो सूचना दी है वह गलत है । क्या मंत्री जी इसकी पुनः जांच करवायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, मेरे पास जुलाई तक की सूचना है और संभवतः जुलाई के अन्तिम सप्ताह की सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई । इस बीच की सूचना प्राप्त कर ली जायेगी और उसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि गांवों में जितने कुवें हैं उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिनको शुद्ध पेय जल का स्रोत माना जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

यहां पर प्रश्न यह नहीं है । यह आपका प्रश्न बीमारियों से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, अधिकांश लोग गन्दे पानी पीने से इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और तभी बीमारी फैलती है । तो जब तक उसके मूल कारण का पता नहीं चलेगा तब तक उसकी रोकथाम कैसे हो पायेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, इस मूलभूत कारण का पता लगा लिया जाता है और इसलिये शासन ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि जिससे स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्थानीय निकाय, ग्राम सभा तथा टाउन एरिया को शुद्ध पेय जल की व्यवस्था हेतु अनुदान एवं ऋण दिया जाता है । इसमें कोई शक नहीं कि कुछ काल के बाद कुवों का जल अशुद्ध हो जाता है और उसी की रोकथाम के लिये ब्लीचिंग पाउडर और अन्य औषधियों का प्रयोग किया जाता है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मान्यवर, मैंने नियम 51 का नोटिस दिया था.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बदायूं जिले में सरकार की ओर से वाटर वर्क्स का काम शुरू हुआ है किन्तु आज तक भी वहां सरकार की ओर से क्लोरीन प्लान्ट नहीं दिया गया जिसकी वजह से वहां पर शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, वाटर वर्क्स की व्यवस्था नगरपालिका करती है । मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भूल से यहां पर कर दिया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आपके विभाग की ओर से किया जाता है और आपका विभाग ही क्लोरीन प्लान्ट देता है नगरपालिका को। नगरपालिका आपको लिखते-लिखते थक गया किन्तु अभी तक नहीं मिला है....

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न इस समय यह नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब पानी अशुद्ध मिलेगा तो बीमारी फैलेगी।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी को इसकी सूचना नहीं है। यह दूसरा ही प्रश्न है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पर्वतीय जिलों में बद्रीनाथ-केदारनाथ और गंगोत्री चम्नोत्री यात्रा मार्गों पर आमतौर पर कोई व्यवस्था अच्छी नहीं रहती है। क्या मंत्री जी पेय जल और अन्य आवश्यक सुविधा इन मार्गों पर करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, यात्रा के समय में पूर्ण व्यवस्था की जाती है और हर प्रकार से स्वास्थ्य सम्बन्धी जितनी भी आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति की जाती है। साथ ही वहां पर शुद्ध पेय जल की भी व्यवस्था है। माननीय सदस्य को यदि कहीं से कोई शिकायत मिली हो तो वे बतायें।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं तहसील के ग्राम अब्दुलागंज में कालरा से कितने लोगों की मृत्यु हुई और आपके स्वास्थ्य निरीक्षक वहां कब पहुंचे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

श्रीमन्, मैंने नियम 51 का जो नोटिस दिया है उसी में सारी बातें लिखी हुई है कि हैजे से अब्दुलागंज ग्राम में 20 आदमी मर गये विभाग की लापरवाही के कारण, फिर इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

आपका प्रश्न दूसरा हो गया है।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से ही स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं और बडे पैमाने पर यह मर्ज फैला है और वक्तव्य से यह भी स्पष्ट होता है कि दवा आदि के देने में देर और लापरवाही वगैरह हुई है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आयन्दा इस मर्ज को फैलने और लोगों को मरने से बचाने के लिये वे कोई ऐसी परमानेंट योजना बनाने पर विचार करने के लिये तैयार हैं ताकि आयन्दा यह महामारी न फैले और लोगों की जाने न जायें ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

स्वास्थ्य विभाग इस मामले में सतर्कता बरतता है और जब रोग फैलने की आशंका होती है या ऋतु परिवर्तन होता है, तो उसके रोकथाम का प्रयास पहले ही से कर दिया जाता है, जैसे कुओं की सफाई, लोगों को टीके वगैरह लगाना, इसके अलावा रजत जयन्ती के उपलक्ष में इस बार यह फैसला किया गया है कि प्रत्येक गांव सभा में, प्रत्येक टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, नगरपालिका व महापालिका में विशेष रूप से सफाई हो और उसके लिये पुरस्कार भी घोषित किया गया है। जैसे कोई भी गांव सभा जो स्वच्छता में सबसे अच्छे नम्बर पर होगी उसे 5 हजार रुपया दिया जायेगा। इसी तरह से टाउन एरिया को 10 हजार, नगरपालिका को 50 हजार, महापालिका को ढ़ाई लाख दिया जायगा। यह सब इसीलिये किया जा रहा है कि गांव सभा से लेकर महापालिकाओं तक हमारे नगरों की सफाई हो जाय और यदि माननीय सदस्य और भी कोई सुझाव देगें तो शासन उन पर भी सहानुभति पूर्वक विचार करेगा। इसके अतिरिक्त मैं आपकी आज्ञा से एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। अभी जो माननीय सदस्य ने बदायूं के सम्बन्ध में सूचना के लिए कहा था वह सूचना मेरे पास उपलब्ध है। ग्राम अब्दुल्लागंज में इस रोग से 18 व्यक्ति ग्रसित हुए जिनमें से 5 की मृत्यु हो गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लोगों को समय के अन्दर जो दवा वगैरह नहीं मिली इसका कारण क्या यह नहीं है कि आपने यहां एक सेन्ट्रल मेडिकल डिपो स्टोर कायम किया हुआ है जिसकी वजह से मौके पर समय से दवायें नहीं पंहुच पातीं ? जब मौके पर आवश्यकतानुसार दवायें नहीं पंहुच पातीं तो डाक्टर अपनी च्वायस की दवा नहीं दे पाते और इसीलिये इसको तोड़ने का फैसला किया गया था लेकिन आपने फिर उसको रिवाइव कर दिया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह रोग पहले दूसरे प्रदेशों में फैला। इस प्रदेश के निकट के प्रदेशों में जब यह रोग फैला तो उसकी जानकारी हमको देर से मिली। लेकिन जैसे ही इस प्रदेश में रोग फैलने की सूचना हमें मिली, हमने तुरन्त ही दवायें व दूसरी आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध किया तथा दूसरे प्रदेशों से भी मंगायी और इस बात का प्रयास किया कि रोग पर काबू पा लें। मुझे आशा है कि भविष्य में इस रोग का आक्रमण: यहां अधिक न हो सकेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन् मेरे प्रश्न का जवाब मंत्री जी से मिल गया हो तो मुझे बैठने के लिये कह दें लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है तो कृपा करके मंत्री जी से मेरा जवाब दिलवा दें।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि...

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

आपने कई माननीय सदस्यों को 3/3 बार मौका दिया है। लेकिन मैं शुरू से खड़ा हुआ परन्तु आपने मुझे एक बार भी मौका नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठिये।

श्री उमानाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के जलालपुर ब्लाक की विकास क्षेत्र समिति ने अपनी 12 तारीख की मीटिंग में खेद प्रकाशित किया है कि जलालपुर ब्लाक में एक भी व्यक्ति के टीका नहीं लगवाया गया और न कुंओं में दवा छिड़की गई, और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के स्थानीय डाक्टर 20 रुपये लेकर मरीज को दवा देते हैं और अगर कहीं उनको जाना होता है तो बीस रुपये मोटर के लेते हैं ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और दवा भेजने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, इसकी जानकारी की जायेगी ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुंओं की सफाई करने के लिये कितने कुंओं में ब्लीचिंग पाउडर डाला गया और कितने दिन तक वे साफ रहेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिनेटरी इन्सपेक्टर्स जो कुंओं में दवा डलवाते हैं वह बता सकते हैं क्योंकि यह टैक्नीकल जानकारी है ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

श्रीमन्, ब्लीचिंग पाउडर डलवाने से हैजे का प्रकोप नहीं रोका जा सकता है और कुंओं की सफाई बहुत जरूरी है और गांवों में 90 प्रतिशत लोगों को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता है तो क्या वे कुंओं की सफाई का प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठिये ।

ग्राम रिकुवारेडीह, थाना मऊ, जिला आजमगढ़ के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा पुलिस की साजिश से हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम रिकुवारेडीह, थाना मऊ, जिला आजमगढ़ में गैर हरिजन वर्ग के लोग ठाकुर, ब्राम्हण तथा अहिर-खेतिहर कृषक हैं तथा हरिजन वर्ग के लोग अधिकांश रूप में मजदूरी करते हैं । कुछ समय पूर्व से हरिजन लोगों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर गैर हरिजन लोगों के यहां काम करना बन्द कर दिया था जिसके कारण गैर हरिजन वर्ग के लोगों की खेती का काम सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा था । इसी मामले के सम्बन्ध में दिनांक 25 जुलाई, 1972 को सांयकाल हरिजन बस्ती से मिले हुए देवस्थान पर दोनों वर्गों के लोगों की पंचायत हुई जिसके अन्त में दोनों वर्गों के बीच उत्तेजना पूर्ण बातचीत हुई और आपस में मार पीट हो गई ।

मारपीट की इस घटना के सम्बन्ध में गैर हरिजन वर्ग के लोगों की ओर से दुर्ग विजय सिंह, ग्राम प्रधान रेकुवारेडीह ने थाने पर दिनांक 26 जुलाई, 1972 को सुबह साढ़े आठ बजे रिपोर्ट लिखाई जिसमें 58 व्यक्तियों को नामांकित किया । रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायत में मजदूरी का मसला तय नहीं हो पाया जिस पर नामांकित अभियुक्तों ने बेतहाशा ईंटें व लाठी

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]
चलाई जिससे कुछ व्यक्तियों को चोंटे आई । अपराधियों ने राजकुमार सिंह के पम्पिग सेट को तोड़ दिया और अपने खपरैल तोड़कर गलत मुकदमें में फंसाने की धमकी दी । इस रिपोर्ट के आधार पर थाना मऊ पर अपराध संख्या 281, धारा 147/336/323/324/427/506, भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत कायम हुआ ।

इसी घटना के सम्बन्ध में हरिजन वर्ग के लोगों की ओर से बाल चन्द्र ने थाने पर दिनांक 26 जुलाई, 1972 को 2 बजे दिन में एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें 11 अभियुक्तों का नामांकित किया गया । इस रिपोर्ट में सूचना दी गई कि मजदूरी के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर नामांकित अभियुक्तों ने वादी और अन्य हरिजनों को पंचायत में ही लाठी डंडा आदि से मारना शुरु कर दिया और बाद में अभियुक्त दौड़ते हुए चमरौधे में घुसे और वहां भी लोगों को जिनमें स्त्रियां भी सम्मिलित थीं, मारा-पीटा और लोगों के घरों को लाठी डंडा से पीटा जिससे मड़इयों को क्षति पंहुची । वादी ने यह भी लिखा था कि अभियुक्तों ने उसके घर में घुस कर सामान तोड़ा फोड़ा और बहुत सा सामान उठा भी ले गए । इस रिपोर्ट के आधार पर थाने पर अपराध संख्या 281 ए, धारा 147/148/323/324/427/379, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम हुआ ।

दिनांक 26 जुलाई, 1972 को ही श्री कृष्णानन्द शुक्ल साकिन दक्खिन टोला, मऊ आजमगढ़ ने थाना मऊ पर 8.30 बजे रात्रि को इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि ग्राम रेकवारेडीह की घटना की सूचना पाकर श्री अब्दुल वाकी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वादी तथा 3 अन्य सहयोगियों सहित दिनांक 26 जुलाई, 1972 को ग्राम रेकुवारेडीह जानकारी करने पंहुचे । वहां से जब ये लोग लौट रहे थे तो उन पर 30-35 आदमियों ने लाठियों और ढ़ेलों से हमला किया जिनमें से नामांकित 11 को पहचाना गया । कुछ दूर पर थाना इन्चार्ज और पुलिस की टुकड़ी मौजूद थी । पुलिस की टुकडी वहां पंहुची जिससे वादी तथा उसके साथियों की जान बची । इस रिपोर्ट के आधार पर थाने पर अपराध संख्या 283, धारा 147/336, 323/427 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया ।

तीनों मुकदमों में जांच हो रही है । अपराध संख्या 281 के सम्बन्ध में न तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न किसी ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है । अपराध संख्या 281 ए में नामांकित ग्यारह अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है और जमानत पर मुक्त हो गए हैं । अपराध संख्या 283 में नामांकित अभियुक्तों में से 9 ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया और जमानत पर छूट गए । शेष 2 अभियुक्त फरार हैं जिनके विरुद्ध जाफ्ता फौजदारी, की धारा 87/88 के अन्तर्गत रिपोर्ट दी गई है ।

गांव में स्थानीय पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 की एक टुकडी तैनात है और गैर हरिजन वर्ग के 23 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/117, जाफ्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट दी गई । ग्राम रेकुवारेडीह में स्थित सामान्य है और किसी हरिजन को घर से बाहर निकलने में कोई भय नहीं है । पुलिस महानिरीक्षक को आदेश भेज दिये गये हैं कि ये जिला आजमगढ़ विशेष कर ग्राम रेकुवारेडीह के हरिजनों तथा दलित वर्ग के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करा दें और यह सुनिश्चित कर लें कि उनके प्रति किसी प्रकार की ज्यादती न होने पाये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

जो रिपोर्ट लिखाई गई उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि अपराधियों ने राज कुमार सिंह के पम्पिग सेट को तोड़ दिया और अपने खपरैल को तोड़कर गलत मुकदमें में फंसाने की धमकी दी । और जो हरिजनों ने रिपोर्ट लिखाई है उसमें भी स्वीकार किया है और यह तथ्य दिये गये ह कि नामांकित अभियुक्तों ने वादी और अन्य हरिजनों को पंचायत में ही लाठी डंडों आदि से मारना शुरु कर दिया और बाद में अभियुक्त दौड़ते हुये चमरौटी में घुसे और वहां भी लोगों को

जिनमें स्त्रियां भी सम्मिलित थीं, मारा-पीटा और लोगों के घरों को लाठी डंडों से पीटा जिससे मड़इयों को क्षति पंहुची । वादी ने यह भी लिखा था कि अभियुक्तों ने उसके घर में सामान तोड़ा-फाड़ा और बहुत सा सामान उठा भी ले गये । जब यह रिपोर्ट आ गई तो इसको देखते हुये क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मुकदमा जो दायर किया गया है वह दफा 379 में कायम किया गया है जो जमानती दफा है जब कि यह मुकदमा इन 11 आदमियों के खिलाफ डकैती में कायम होना चाहिये था । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन दिये गये तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा डकैती के अपराध में क्यों नहीं कायम किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उस समय जिन परिस्थितियों में और जो आरोप सामने आये और उन के हिसाब से जैसा उचित समझा गया थाना अध्यक्ष ने दफा कायम करके कार्यवाही की । उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया गया लेकिन वह 11 अभियुक्त अदालत में हाजिर हो गये और अब उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जो तथ्य रिपोर्ट में दिये गये हैं उनके आधार पर साफ तौर पर डकेती का मुकदमा बनता था तो अबतक अगर उनको जानकारी नहीं है तो क्या अब वह इसकी जानकारी कराने की कृपा करेंगे कि इन अभियुक्तों पर डकैती का मुकदमा न कायम कर के महज दफा 379 में चोरी का ही मुकदमा क्यों कायम किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनका कहना है कि जब उन लोगों के बीच में आपस में समझौता न हुआ तो संघर्ष और मारपीट हुई और वह लोग चमरौटी की तरफ दौड़ते हुये चले गये और वहां से कुछ सामान भी उठा ले गये । अब डाके या चोरी में क्या अन्तर समझा गया और कारण से कौन दफा लगायी गई इस सम्बन्ध में पूरी स्थिति की जांच के लिये आई० जी० को आदेश दिये गये हैं और उनसे कहा गया है कि वहां विशेष सतर्कता बरती जाय।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मुझे कुछ ऐसा मालूम हो रहा है कि मंत्री जी को स्वतः ही शायद चोरी में और डकैती में फर्क कम मालूम हो रहा है ....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह श्रीमन्, इनको मालूम

श्री राज मंगल पांडे —

अगर उनकी ही बात क मान लिया जाय अगर किसी के घर के 11 आदमी जाकर तोड़ते हैं और घर में घुसते हैं और घुस कर सामान उठा ले जाते हैं तो इस को अगर चोरी कहते हैं तो फिर डकैती किस को कहेंगे । ऐसी स्थिति में इन तथ्यों के आधार पर निश्चित ही डकैती का मुकदमा कायम होना चाहिये था और अगर वह नहीं किया गया तो उसके लिये दरोगा खुद वहां का दोषी है और उसने जान बुझकर जुर्म को कम किया है ताकि मुलजिमान की इमदाद हो सके । प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी इस जानकारी के बाद भी क्या उस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हैं जिसने डकैती का मुकदमा न दायर करा के दफा 379 चोरी की दफा लगाई है ?

श्री अधिष्ठाता—

इन्हीं तथ्यों को जानने के लिये तो मंत्री जी ने बताया महानिरीक्षक को लिखा गया है कि वे स्वयं उनकी जानकारी प्राप्त कर लें ।

श्री राज मंगल पांडेय—

माननीय मंत्री जी उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने उसे 379 में लिया है ताकि मुसलमानों की जमानत वगैरह हो सके जबकि यह डकैती का मामला था ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

माननीय सदस्य को मैं पहले जानकरी दे चुका हूं कि किन परिस्थितियों में थानाध्यक्ष ने ये आरोप लगाये थे । घटना की पूरी जानकारी करने के लिये आई० जी० पुलिस को आदेश कर दिया गया है । वे इस बात की भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या थानाध्यक्ष ने जुर्म को मिनिमाइज करने की चेष्टा से ऐसा किया है । उनकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजमंगल पांडेय—

जिन चीजों को माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि मिनिमाइज किया होगा । इसका तो प्रश्न नहीं है । यह 395 में होना चाहिये था तो अगर 395 में उन्होंने मुकदमा दायर नहीं किया है तो उनके विरुद्ध सीधी कार्यवाही होनी चाहिये थी । इस तरह का तो प्रश्न जब उठता जब यह मामला दफा 395 में न बनता होता ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अभियुक्तों ने लूटपाट की तो इसमें कितनी धनराशि की क्षति की शासन को रिपोर्ट प्राप्त हुयी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

रिपोर्ट में तो यह लिखा गया है कि उनकी मड़इयां तोड़ी गयी और उनका बहुत सा सामान उठा कर ले गये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तीन मुकदमों में जो 281, 182 और 283 के अन्दर हैं उनमें से 382 के अन्दर तो यह कहा गया कि 11 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसपर्मण कर दिया है । 283 में नामांकित अभियुक्तों में से 9 ने न्यायालय में आत्मसपर्मण किया और जमानत पर छूट गये । शेष 2 अभियुक्त फरार हैं जिनके विरुद्ध जाप्ता फौजदारी की धारा 87/88 के अन्तर्गत रिपोर्ट दी गई है । 281 के अन्तर्गत कहा गया कि न तो कोई गिरफ्तारी हुयी है और न किसी ने न्यायालय में आत्मसपर्मण किया है । जहां तक अत्याचार का प्रश्न है यह तो नहीं होना चाहिए लेकिन जब मुकदमों की तफतीश का सवाल हो तो एक पक्ष की गिरफ्तारी हो और दूसरे की नहीं, क्या यह भी आपके आदेश हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस तरह के आदेश न तो शासन कभी दे सकता है और न उचित ही है कि किस को गिरफ्तार किया जाय और किसको न किया जाय । यह तो देखने की बात है । एक तरफ एक वर्ग है जो पीड़ित है, निःसहाय है वीकर सैक्शन आफ दि सोसाइटी है । एक तरफ पुलिस है उनका भी अपना दृष्टिकोण होता है कि रिपोर्ट में वास्तविकता क्या है, उसके आधार पर ही कार्यवाही होती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

या तो इस मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगा दें कि हरिजनों के खिलाफ मुकदमा झूठा है, सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गयी है और जब तक वह मुकदमा कायम है तब तक जो पुलिस की कार्यवाही है, उसके अन्दर कोई अन्तर नहीं होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

वे यहां से आदेश नहीं दे सकते हैं कि फलां को गिरफ्तार कर लो ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तो श्रीमन्, इस मामले को खत्म कर दें और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाय लेकिन जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं लगती तब तब कार्यवाही होगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य को गम्भीरता से देखें कि एक तरफ तो हरिजनों ने यह रिपोर्ट लिखकर दी कि हमारे घर में घुसकर हमारा सामान ले जाया गया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर 395 दफा लगनी चाहिये थी डकैती की पर वह लगा दी 379—चोरी की। जैसाकि वक्तव्य में है कि सवर्ण लोगों ने न्यायालय में आत्मसपर्पण कर दिया और हरिजन अभी तक आत्मसमर्पण नहीं कर सके जैसा कि मंत्री जी को भी अनुभव होगा कि पुलिस इस कोशिश में रहती है कि अभियुक्त मिलें तो उसके साथ मारपीट करने का मौका मिले। यह अमूमन पुलिस का काम रहता है और इसीलिये हरिजन डर की वजह से अभी तक न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके हैं । इतने तथ्य होते हुये भी....

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूं। इतने तथ्य होते हुए भी माननीय मंत्री जी को हरिजनों के लिये फाइनल रिपोर्ट लगवाने में क्या आपत्ति है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य के इतने लम्बे वक्तव्य के बाद मेरे समझ में नहीं आया कि फाइनल रिपोर्ट लगाने के आदेश देने का अधिकार शासन को नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 281-ए में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है तो उसके बाद फौरन पुलिस आपकी पहुंची कब ? और उसके बाद गिरफ्तारी करने की कोशिश की या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जुर्म नं0 281 लिखा गया उसके बाद 281 ए लिखा गया है। उस पर तत्काल कार्यवाही पूरी हो गई । वे आत्मसमर्पण कर गये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, पुलिस कब गांव में पहुंची तथा आत्मसपर्मण कौन-सी तारीख में किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

आत्मसमर्पण 28-7-72 को उनको जेल भेज दिया गया और 26-7-72 के दो बजे शाम की रिपोर्ट है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस कौन-सी तारीख को गांव में गई थी ?

श्री अधिष्ठाता—

इसके बाद प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि इस गांवके अलावा और बहुत से गांवों में पुराने जो जमीदार हैं वे निहायत ही नामुनासिब और कम मजदूरी दे रहे हैं जिसकी वजह से इन गांवों में झगड़े हो चुके हैं और और गांवों में भी झगड़े होने के अन्देशे हैं। क्या सरकार मुनासिब मजदूरी दिलाने के लिये कोई कदम उठा रही हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जहां-जहां से ऐसी सूचनायें आती हैं उन पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय राज मंगल पान्डेय जी के सवाल के तारतम्य में जो आपने बयान दिया था उससे साबित होता है कि 395 का जुर्म था और उसको घटाकर दरोगा ने लिखा जिससे साबित होता है कि वह एक्यूज्ड पार्टी से सांठ किये हुए हैं। क्या इस प्रश्न की निश्चित रूप से जांच कराने के लिये आई0 जी0 से कहेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

आई0जी0 पुलिस को निश्चित आदेश दे दिये गये हैं कि इस पूरे मामले की तफसील से जांच करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट की यह स्लिंग है कि अगर मुकदमा कायम हो और नामजद मुलजिम हो तो अवश्य गिरफ्तार किया जाय। तो इस मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

26 को 2 बजे रिपोर्ट लिखायी गयी। 28 को वह आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो माननीय सदस्य किस तरह गिरफ्तार करवाना चाहते हैं।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि आजमगढ़ के एक एम0पी0 और दो विधायकों को जो कि हरिजन हैं शैल्टी दिया गया है और इसलिये दिया गया है कि वह खतरे में है। दूसरी बात, पार्लियामेन्ट के मेम्बर रामधन जी के ससुर का कत्ल कर दिया गया और वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई तो प्रधान मंत्री ने सीधे आजमगढ़ के डी0 एम0 को लिखा। हरिजनों की सारी सुविधायें आप इस 15 अगस्त को देने की बात कर रहे हैं, सस्ते गल्ले की दुकानें, मकानों के लिये जमीन, बिजली वगैरह। आजमगढ़ जिले में हालत यह है कि जनप्रतिनिधियों को जान का खतरा है, उनको शैल्टी दिये गये हैं, तो साधारण हरिजन की हालत क्या होगी ? और बावजूद लिखे जाने के भी थानेदार का ट्रांसफर नहीं हो सका है। यह क्या यह सही नहीं है कि प्रधान मंत्री ने आई0 जी0

और मुख्य मंत्री से कहा है और आजमगढ़ के जिलाधीश को जब टेलीफोन किया है तब उस थानेदार का ट्रांसफर हुआ है ? तो केवल यहां ही नहीं, केवल मुरादाबाद, फैजाबाद और बहराइच में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में सरकार क्या कर रही है हरिजनों के लिये ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इनका मतलब है कि क्या मुख्य मंत्री जी किसी हरिजन को गृह विभाग का मंत्री बनायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

माननीय जायसवाल जी वरिष्ठ साथी है और एक पार्टी के नेता हैं वे वह मुख्य मंत्री जी को सलाह दे सकते हैं ।

जहां तक माननीय पांडे जी ने कहा कि विधायकों को शैडो दिये गये, तो उन लोगों ने कहा कि वह हरिजनों की सुरक्षा और अधिकार के लिए लड़ते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, उनको खतरा है, उनके इस खतरे को देखते हुए उनकी मांग पर शैडो दिये गए । माननीय सदस्य का यह आरोप तथ्य से परे हैं कि प्रधान मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया रामधन जी के मामले में । मेरे सामने जैसे ही मामला आया मैंने मुख्य मंत्री जी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि कार्यवाही करो । एस० पी० का स्थानान्तरण हुआ, सी० आई० डी० को जांच दी गयी, संबंधित चारों थानेदार जिनके बारे में रामधन जी को संदेह था उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी । उसमें न तो केन्द्र का हस्तक्षेप हुआ, न प्रधान मंत्री का । हो सकता है माननीय सदस्य ने उस सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये हों ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

26 तारीख को 2 बजे घटना की रिपोर्ट हुई, 28 को सरेन्डर हुआ, 27 तारीख को थानेदार ने आन दि स्पाट जाकर गिफ्तारी की कार्यवाही नहीं की । दूसरे, 395 की बजाय 379 में कनवर्ट किया । इन चीजों को सामने रखकर थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और अगर कार्यवाही में डिले हुई तो मुकामी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

26 तारीख को जब रिपोर्ट हुई तो 27 को पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही प्रारम्भ की और उनकी सतर्कता के कारण ही अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेन्डर किया । दूसरे मामले में, 282 में, 9 ने सरेन्डर किया और 2 के खिलाफ 87-88 की कार्यवाही हुई । तो पुलिस अपने ढंग से कार्य कर रही है । अगर उन्होंने जुर्म को मिनीमाइज करने की कोशिश की है और यह सिद्ध हो जाता है, यह आई० जी० की रिपार्ट आ जाती है तो अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे यहां आजमगढ़ के अन्तर्गत तीन विधायकों और एक एम० पी० को शैडो दिया गया है और वे लोग रूलिंग पार्टी के हैं या किसी और दल के हैं ? बाकी दल के जो लोग हैं उनके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यह तो आप ही लोगों की कृपा है कि वे लोग सत्तारूढ़ हैं । उनको हरिजनों के लिये काम करना पड़ता है फिर भी उनके लिये खतरा पैदा हो गया है लेकिन जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं उनके लिये भी जब कभी कोई खतरा पैदा होता है तो शासन उनकी सेवा के लिये भी सदा तत्पर रहती है ।

श्री भाभी यादव—

वे जो एम०एल०एज या एम०पी० हैं वे सत्तारूढ़ दल के हैं और हरिजन ही हैं लेकिन दूसरे दल के विधायकों को भी खतरा है। जो सत्ता रूढ़ दल हैं उनको खतरा है तो दूसरे हरिजन जो हैं उनके विषय में क्या कहा जाय। हाय रे हमारी सरकार कि उसके शासन में इस तरह से लोगों के जान माल का खतरा पैदा हो गया है और खासतौर से हरिजनों को। क्या सरकार आजमगढ़ के हरिजनों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देगी?

(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हरिजनों का सामान उठा ले गये और उनकी झोपड़ियां भी नष्ट कर दीं। उसमें कितने रुपयों का नुक्सान हुआ और उस नुक्सान के एवज में सरकार ने क्या व्यवस्था करने का विचार किया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

कोई उन्होंने निश्चित नुक्सान के बारे में नहीं बताया है केवल यही कहा है कि हमारे गांव चमरौठी में घुस आये और झोपड़ियां नष्ट करके सामान उठा ले गये। यही लिखवाया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने यह बात भी स्वीकार कर ली कि 395 के बजाय 379 में मुकदमा कायम किया गया। 27 तारीख को मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसने यह बयान दिया कि कितने का नुक्सान हुआ कितने का माल उठा ले गये या कितनी कीमत की झोपड़ियों को नष्ट कर दिया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समय जांच चल रही है, 11 आदमी सरेन्डर हो गये हैं। जैसे ही जांच पूरी हो जायेगी वैसे ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

पुलिस तो मौके पर गई उसने क्या किया? उसने तो यह देखा होगा कि कितनी झोपड़ियां नष्ट की गई और किन-किन लोगों का कितना कितना सामान चला गया है। लोगों को मारा पीटा गया, लोगों को चोटें आई होंगी या महिलायों के शरीर पर चोटें पाई गई होंगी। इसको बताने में मंत्री जी को क्या आपत्ति है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सभी की डाक्टरी हुई है और वे रिपोर्ट हैं। जांच चल रही है जैसे ही यह पूरी हो जायेगी सरकार सख्ती के साथ उस पर ऐक्शन लेगी। 11 आदमियों ने सरेन्डर किया है। अभी तो चल ही रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

प्रश्न यह था कि कितने हरिजनों को कितनी-कितनी चोटें आई। मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि डाक्टरी मुआइना हुआ है। फिर बता दें कि कितनी चोटें आई हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

जब से इनका शासनकाल आया है तब से हरिजनों पर आये दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो आपका ही शासनकाल है । आप भी शासन में हैं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

हरिजनों पर आये दिन अत्यचार हो रहे हैं । मार-पीट, खेतों पर कब्जा करना, घर से निकाल देना, गांव से निकाल देना यह सब रोजाना हरिजनों पर हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न पूछ लें ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

ये सब चीजें हो रही हैं भूतपूर्व जमीदारों द्वारा और उन लोगों के द्वारा जो कि गुन्डे कहलाते हैं । दरवाजा बन्द करके गरीबों को लूट रहे हैं । आप उनके विरुद्ध क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अधिष्ठाता महोदय, उनका दोष यह है कि उन्होंने अपनी समझ का इस्तेमाल न करके जगजीवन बाबू के नाम पर वोट दिया और क्योंकि आज गंगा प्रसाद जी उधर बठे हैं इसलिये यह सब हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, गंगा प्रसाद जी के प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उनको नेक राय यही है कि उधर से इधर आ जायें ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जहां इस तरह की सूचना मिलती है तत्काल कार्यवाही की जाती है । न ही किसी के साथ फेवर किया जाता है और न ही किसी के साथ ज्यादती की जाती है ।

(श्री हिम्मत सिंह की बात सुनाई न देने पर)

श्री अधिष्ठाता—

हिम्मत सिंह जी, आपका माइक काम नहीं कर रहा है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मेरी सूचना यह है कि निर्मम मारपीट की गई है । आप यह क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि फलां-फलां के कितनी चोटें आई थीं ?

श्री अधिष्ठाता—

अलग-अलग कितनी चोटें आईं । इसमें नेगी जी के प्रश्न का भी उत्तर आ जायगा ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

12-13 रिपोर्ट्स हैं । लिखा है ब्लन्ट आब्जेक्ट ।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं सिर्फ चोटें जानना चाहता हूं ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

धरमू के स्वेलिंग.....

श्री अधिष्ठाता—

आप सिर्फ चोटें बता दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

चोटें, एक दो, तीन, चार करके नहीं लिखी हैं। मामूली स्वेलिंग जैसे खरोंच की तरह की लिखी है। अन्त में लिखा है सिम्पिल इनजरी।

(इस समय 4 बजकर 4 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री मोती लाल देहलवी—

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिन लोगों ने हरिजनों को मारा है उनका संबंध शासक कांग्रेस से है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है।

श्री हबीबुर्रहमान—

यह मामला मेरे क्षेत्र का है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप जानकारी कर लें।

श्री हबीबुर्रहमान—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट से यह जाहिर है कि गांव क अन्दर पुलिस इंस्पेक्टर के मौजूद रहते हुए कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ और दूसरी तरफ क्या मंत्री जी को यह भी मालूम है कि 7 तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी की एक बहुत बड़ी सभा वहां पर हुई और उसमें बाकायदा यह कहा गया कि वे तबक्वारी जंग छेड़ना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को सामने रखकर मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि वहां अमन व्यवस्था को कायम रखने के लिये वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ताकि इस तरह की चीजें न होने पायें?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, अपने इस वर्ग संघर्ष की घोषणा करने और किस तरह से अपनी बात को कहते हैं तो यह अपने-अपने अधिकार की बात है। किसी को बोलने की रोक-टोक नहीं है। लेकिन जहां आवश्यकता समझी जाती है शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये कार्यवाही की जाती है। पुलिस वहांपर यद्यपि चार फर्लांग पर थी और जैसे ही सूचना मिली वह तत्काल वहां पहुंची। सबने इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस ने वहां जाकर शान्ति व्यवस्था कायम की। पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। जहां कहीं कमी होने की शिकायत मिलेगी तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यसूची की संख्या 11.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव इस विषय पर दिया था। ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई नोटिस स्वीकार कर लिये जाते हैं तो सब के सब नत्थी कर लिये जाते हैं लेकिन मेरा नोटिस उसमें नत्थी नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष——

आप चाहते हैं कि आपका नाम भी जोड़ दिया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी——

मेरी नोटिस मंगा लीजिये । हर नोटिस में कोई विशेष बात होती है ।

श्री उपाध्यक्ष——

नोटिस तो हमारे सामने नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी——

ऐसी प्रक्रिया कर लें कि दूसरे नोटिस भी जोड़ दिये जाया करें ।

ग्राम मछरुई, जिला मुरादाबाद में अग्निकाण्ड से हरिजनों के जल जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)——

प्राप्त सूचना के अनुसार 11 मई, 1972 को लगभग 11 बजे दिन में ग्राम मछरुई, थाना हसनपुर, जिला मुरादाबाद, में आकस्मिक आग लग गई जिसके फलस्वरूप 3 लड़कियां तथा एक लड़का झोपड़ी के अन्दर जलकर घटनास्थल पर मृत्यु को प्राप्त हुए । लड़के की आयु 5 वर्ष और लड़कियों की आयु क्रमशः 11 वर्ष, 4 वर्ष और 7 वर्ष थी । एक महिला जिसकी आयु लगभग 74 वर्ष थी जख्मी होकर सदर अस्पताल, मुरादाबाद, भेजी गई परन्तु शाम को 5 बजे जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । इस प्रकार इस अग्निकाण्ड में 5 जानें गई । इसके अतिरिक्त 4 पशु भी जल कर मर गये ।

इस ग्राम में अधिकतर हरिजन रहते हैं । यह ज्ञात नहीं हो सका कि आग कैसे लगी । जांच से यह सिद्ध नहीं हुआ कि इस अग्निकाण्ड में 10 हरिजनों की जानें गईं अथवा यह आग किसी सवर्ण हिन्दू के द्वारा लगाई गई थी । इस दुर्घटना के पहले जिला मुरादाबाद के किसी थाने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आशय की रिपोट नहीं लिखाई गई कि उनको आशंका थी कि हरिजनों के मकान जला दिये जायेंगे । आग लगने के बाद भी जनपद मुरादाबाद के किसी थाने पर किसी व्यक्ति ने इस आशय की रिपोर्ट अंकित नहीं कराई कि हरिजनों के मकान जला दिये गये हैं । केवल 11–5–72 को श्री महाराम पुत्र नन्हुआ जाटव, निवासी मछरुई ने अचानक आग लगने की रिपोर्ट लिखाई थी और उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आग लगने में कोई शक शुभा नहीं है ।

इस ग्राम की कुल जनसंख्या 573 है जिसमें 306 जाटव और बालमीकी अनुसूचित जाति के व्यक्ति है और 267 मुसलमान हैं । इस जनसंख्या में कुल 131 परिवार है जिसमें से 64 परिवार अनुसूचित जाति के है तथा 67 परिवार मुसलमानों के है । इस ग्राम में सवर्ण हिन्दू जाति का कोई परिवार नहीं रहता है । इसलिये भी यह आरोप कि स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों को जलाया गया निराधार है ।

अग्नि काण्ड से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 285 बताई जाती है और इस अग्निकांड के फलस्वरूप लगभग 38,570 रुपये का नुकसान होने का अनुमान है । प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता दी गई । अहेतुक सहायता के रूप में 8,000 रुपये की धनराशि आवंटित की गई जिसमें से 4,500 रुपये की धनाराशि तत्काल बांट दी गई और शेष बाद में दी गई । साथ ही 10,000 रुपये की धनराशि तकाबी के रूप में वितरण हेतु की गई और 15,000 रुपये की धनराशि गृह निर्माण हेतु देने का प्रस्ताव है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी दुखद घटना है। मैं जानना चाहता हूं कि जब इस घटना की सूचना शासन को या जिलाधिकारी को मिली तो पुलिस अधीक्षक मौके पर जांच के लिए गये और यदि गये तो किस तारीख में गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

11 तारीख को यह आग लगी, तत्काल जैसे ही सूचना मिली तहसीलदार मौके पर पहुंचे। दूसरे दिन एस० डी० ओ० पहुंचे और तीसरे दिन जिलाधीश पहुंचे और इस तरह तत्काल पहुंच कर उन्होंने कार्यवाही प्रारंभ की और जो कार्यवाही करनी थी वह की।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जो रिपोर्ट उन्होंने आज सदन में प्रस्तुत की है, यही रिपोर्ट जब लोकसभा में यह विषय विवाद के लिये आया तो पेश की गयी थी, क्या यह सही है और केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है और दोबारा जांच के लिये आपसे आग्रह किया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

न तो कोई रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है और न दोबारा आदेश जांच के हुए है। जो तथ्य हैं जांच के उनकी पूरी जानकारी तो मैंने वहां को दे दी है। यह घटना केवल एक दैवी प्रकोप थी। 11 तारीख को आग लगी जबकि पछवा बड़ी भयंकर चल रही थी। जहां से आग लगी पश्चिम, की सारी झोपड़ियां जल गयीं, जोकि मिट्टी की दीवारों और फूस की बनी थीं, और आग कंट्रोल के बाहर हो गयी, कंट्रोल न हो पायी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

इसी घटना के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती बाजपेयी ने एक बयान जो कि इन हरिजनों के संबंध में दिया है, उसमें कहा है कि इन हरिजनों को जाटों ने जला दिया। आपने अपने बयान में कहा है कि वहां सवर्ण हिन्दुओं के घर नहीं है, लेकिन चूंकि जाट बैकवार्ड कहलाते है, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस गांव में जाटों की भी आबादी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैंने एक स्पष्ट विवरण दे दिया कि केवल जाटव, बाल्मीकी और मुसलमानों के अलावा इस गांव में और दूसरी कौम के लोग ही नहीं है। जाटों का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

गृहमंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि यह जो जांच हुई है किसके द्वारा हुई है और क्या मंत्री महोदय ने इस गांव की स्वयं जांच करने की कोशिश की है ? जबकि ऐसा दर्दनाक कांड हो गया तो मंत्री जी को स्वयं जाना चाहिये था, क्या स्वयं गये है या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैं तो नहीं गया, लेकिन वहां के लोग आये थे और सामुदायिक विकास मंत्री बलदेव सिंह आर्य जी से मिले थे उन्होंने सारी घटना बतलायी कि किस प्रकार दैवी प्रकोप से आग लगी थी और सारी कहानी उन्होंने स्पष्टरूप से सुनाई है।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले तो रिपोर्ट किसीने नहीं लिखाई, लेकिन बाद में उस गांव के निवासियों में से किसी ने कोई ऐसी बात कही है या कह रहा है कि सवर्ण हिन्दूओं ने या किसी ने आकर आग लगायी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, आज भी कोई ऐसी जानकारी नहीं आयी है। यह जरूर है कि कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं जिनको यह संदेह हुआ कि ऐसी बात है और उन्होंने यह प्रश्न उठाया। जो हरिजन थे और जो पीड़ित संवर्ग आया था उसने माननीय बलदेव सिंह आर्य से कहा कि हमारी सहायता कीजिये, यह दैवी प्रकोप से आग लगी है और इतनी बड़ी घटना हो गयी ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह देखते हुए कि इस घटना को लेकर इस सदन में ही नहीं, लोक सभा के अन्दर भी गम्भीर प्रश्न उठाये गये हैं, क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि कुछ लोग पोलिटिकल मोटिवेशन से उस घटना को जो इस गांव में ढाई महीने पहले हो चुका है इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे है और ऐडमिनिस्ट्रेशन की मरम्मत की जाय ताकि उनके खिलाफ कोई जानकारी हो तो उस पर कार्यवाही न हो सके ? क्या मंत्री जी ऐसा प्रयास करेंगे कि ऐसी गलत खबरें आइंदा न फैलने पायें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, वास्तविकता से परे रहकर ही इस प्रश्न को उठाने का प्रयास किया गया है, लेकिन शासन भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने रख रहा है। इसलिये सारी चीजों का स्पष्टीकरण होता जा रहा है। इसलिये किसी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने निश्चित यह पूछा कि वास्तविकता से परे हो कर एक प्रश्न लोक सभा में उठा दिया गया और कांग्रेस की अध्यक्षा तक को उसमें घसीटा गया। तो जो लोग खासतौर से जिले के ऐडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करने के लिये इस तरह का खेल खेल रहे हैं उनके खिलाफ माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की गलत बातों को न फैलाया जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो इस तरह की गलत अफवाहें फैलाने का प्रयास करेंगे शासन को अपने-आप उनके खिलाफ कार्यवाही करनी ही पड़ेगी और आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करवायेंगे। लेकिन इस समय तो स्थिति अपने आप स्पष्ट होती जा रही है और जो आरोप लगा रहे हैं वह भी तथ्यहीन है और उसमें कोई बल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को कोई चिट्ठी श्रीमती बाजपेयी अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी की इस विषय में प्राप्त हुई है कि हरिजनों के घरों को जला दिया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसा कोई पत्र मुझे नहीं प्राप्त हुआ।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

इसकी जांच के लिये पत्रकारों का एक दल गया था और उसने साफ-साफ लिखा है, जो अखबारों में भी छपा है, कि यह कहना बिल्कुल झूठ है कि सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों के घर फूंके हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंग ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका तो जवाब वह दे चुके।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

इस मामले में नत्थू नाम का एक व्यक्ति जो घनौरा में रहता है वह चन्द आदमियों को यह बहका कर यहां ले आया तुमको शासन से कुछ रुपये प्राप्त हो जायेंगे इसलिये उसने घटना को तोड़ मरोड़ कर रखा। तो क्या उस व्यक्ति के खिलाफ जो बहका कर कुछ लोगों को यहां ले आया और लीडर बना उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल क्या है ?

श्री नौनिहाल सिंह—

सवाल मेरा यह है कि मंत्री जी को क्या यह जानकारी है कि जिस आदमी ने यह मामला उठाया है यह घनौरा का रहने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो उन्हीं लोगों के किराये का पैसा लेकर यहां आया और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह रखा कि सवर्ण हिन्दुओं ने आग लगा दी। और क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यहां लोग आये। किसी के द्वारा लाये गये या अपने आप आये, यह अपनी जगह पर है। लेकिन बलदेव सिंह आर्य से जब वे मिले, जो कि उस क्षेत्र में काफी काम करते हैं, तो उनसे जिन्होंने यह नहीं कहा कि किसी ने उनके घर जलाये उन्होंने अधिक से अधिक सहायता की मांग की और शासन अधिक से अधिक सहायता देने के लिये प्रयत्नशील है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

यह बिलकुल निर्विवाद साबित हो चुकी है कि इस प्रश्न के ऊपर कुछ विवाद हुआ यहां भी और लोक सभा में भी कि क्या आग लगायी गयी या दैवी प्रकोप से यह आग लगी। जब मन्त्री जी को यह मालूम हो गया कि दैवी प्रकोप से आग लगी और कुछ लोगों ने यह कह कर कि आग लगायी गयी, ऐसी एक खुराफात की, चाहे उस आदमी का नाम भी आया हो तो क्या मन्त्री जी ने यह कोशिश की कि उस शख्स के खिलाफ, जिसने यह गलत खबर फैलायी, कोई कार्यवाही कर सकेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वैसे तो अनेक तरह की बातें कह दी जाती हैं लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है, उन तथ्यों को लोग स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तविकता क्या है तो कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कोई जानबूझ कर अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जानकारी मिलने पर कार्यवाही भी हो गी।

श्री राम बिलास पांडेय—

श्रीमन्, बार-बार यह कहा गया कि माननीय बलदेव सिंह जी आर्य ने यह कहा, उन्होंने वह कहा, क्या उनसे ही केवल सफाई लकर आज हरिजन को तबाह किया जा रहा है। आज हर जगह हरिजन तबाह हो रहा है। अभी 3 हरिजन सदस्यों को शैडो मिला है क्योंकि उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था। फिरोजाबाद के दंगे के बाद अब जाफर साहब जायेंगे जांच करने के लिये क्या इससे प्रोत्साहन उन लोगों को नहीं मिलता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कृपया पूछें।

श्री राम बिलास पांडेय—

में यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से कब तक आखिर हरिजन तबाह होता रहेगा और आर्य जी की राय के अतिरिक्त भी क्या अन्य कोई उचित कार्यवाही इस सम्बन्ध में मन्त्री जी करेंगे या उन्हीं की राय को अंतिम मान लेंगे? यह बड़े अफसोस की बात है कि आज जब 14 और 15 अगस्त की रात को हम स्वतंत्रता की रजत जयन्ती मना रहे हैं, उस वक्त हरिजनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। उनको सवर्ण लोगों से शंका नहीं है। वहां पर मुसलमानों और जाटों की भी आबादी है। तो क्या मन्त्री जी इसकी फिर से कोई जांच करायेंगे?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

माननीय सदस्य ने अपनी तरफ से कुछ तथ्य फिर से जोड़ दिये। जाटों की कोई आबादी वहां नहीं है। मैंने यह भी नहीं कहा कि आर्य जी की राय से कोई काम हो रहा है। मैंने यह कहा था कि आर्य जी के पास उन लोगों का एक समुदाय मिलने के लिये आया था और उनसे उनकी बात हुई। किसी भी हरिजन ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया कि किसी ने उनके मकानों को जलाया। उन्होंने कहा कि 11 बजे अचानक आग लगी और यह दैवी प्रकोप था।

श्री राम बिलास पांडेय—

माननीय जगजीवन राम जी भारत के सुरक्षा मन्त्री रहे हैं मगर उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया इसलिये आज भी हरिजनों को प्रवेश में तबाह किया जा रहा है।

(व्यवधान)

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री चन्द्र भान शर्मा—

लोक सभा में भी मान्यवर, यह प्रश्न उठाया गया था और यहां भी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा माननीया बाजपेयी जी ने उठाया। तो जिन लोगों ने भ्रामक प्रचार किया है उन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही सरकार करेगी?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

माननीया बाजपेयी जी लखनऊ में बैठी हैं, कोई भी माननीय सदस्य या व्यक्ति जाकर उनको घटना के बारे में सूचना दे सकता है और वे कार्यवाही कर सकती हैं। (व्यवधान)

श्री नौनिहाल सिंह—

जिन लोगों ने गुमराह किया है क्या उनके विरुद्ध मन्त्री जी कोई कार्यवाही करेंगे?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

में इजाजत नहीं देता हूं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री जी इस प्रकार की जांच करवायेंगे कि इन परिवारों के साथ अन्य परिवार वालों की दुश्मनी है। क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि उनकी सवर्ण से या किसी अन्य जाति वालों से कोई मुकदमेंबाजी या दुश्मनी रही है, जिसके कारण यह बात निगाह में आई है कि दैवी आपदा के अतिरिक्त भी उसका और कोई कारण हो सकता है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वहां पर छोटा तबका, मजदूर है। उसमें कोई परस्पर मतभेद, मुकदमेबाजी या वैमनस्य नहीं है। एक दैवी घटना अचानक हो गई है।

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

(अगला विषय लेने पर) मान्यवर, यह बड़ा अहम मसला है, हम पीटे जा रहे हैं, जलाये जा रहे हैं। मैं इसलिये एक चीज की मांग करूंगा, आज हम 14–15 अगस्त की रात्रि में स्वतंत्रता-दिवस की रजत जयन्ती का एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, किन्तु हमारे विषय को अपूर्ण छोड़ा जा रहा है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आये दिन पूरे प्रदेश में हरिजनों को कहीं जलाया जाता है, कहीं पीटा जाता है, कहीं बन्द किया जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए वह कोई ऐसी कमेटी बनावें, जो इस तरह की घटनाओं की बराबर जांच किया करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं प्रश्नों की अनुमति नहीं देता हूं। एक भ्रमात्मक, निराधार विषय को लेकर इतनी चर्चा हुई है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक सर्वश्री मोती लाल देहलवी, भगेलू-सिंह, जगन्नाथ खन्ना, शिवप्रसाद पांडिया, बनारसी राम, शिव दास, रामधारी शास्त्री, राम किंकर व बांकेलाल जी की कि रिफार्मेटरी जेल, लखनऊ में बन्दी 250 सोशलिस्ट सत्याग्रहियों का जीवन खतरे में, यह प्रश्न अस्वीकार किया है। माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के विषय में आर्थिक विषमता पर दिया है, इसे भी माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार किया है। श्री हुकुम सिंह परिहार ने चक सेना बांच राजस्थान के टूट जाने तथा आगरा जिले की किरावली तहसील की दो बंधियों के टूट जाने से आगरा जिले में बाढ़ के विषय पर दिया है, इसे भी अस्वीकार किया गया है। सर्वश्री चन्द्रभान शर्मा, शम्भूनाथ चौधरी और मोहम्मद असरार अहमद ने चीनी के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में दिया है, इसे भी अस्वीकार किया गया है। सर्वश्री अनन्तराम जायसवाल और रामधारी शास्त्री ने जीवन उपयोगी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा उसके विरोध में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सत्याग्रह विषय पर दिया है, इसे भी अस्वीकार किया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैंने नियम 56 में दिया था चीनी के दाम कितनी पराकाष्ठा पर पहुंच गये हैं, इससे ज्यादा आवश्यक और लोक महत्व का प्रश्न क्या हो सकता है। यह चीनी बाजार से गायब हो गई है। देहातों में बिलकुल नहीं मिल रही है, लखनऊ में तो किसी तरह 4 रुपये किलो मिल रही है। इससे भ्रष्टाचार पनपता है और साधारण आय वालों का जीवन दुर्लभ हो रहा है। यह सरकार का नैतिक कर्तव्य था कि वह मूल्य वृद्धि रोकती, वह इसके लिये कोई कमेटी बनाती जो इसका समाधान निकालती। सरकार असफल रही है, इसे कार्यस्थगन में आप स्वीकार करें और इनसे कहें कि यह वक्तव्य दें।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

जो मेरा प्रस्ताव था.....

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के बारे में जो हो उसके बारे में ही आप कहें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आज रजत जयन्ती मनाई जा रही है। गांधी जी ने इस देश में हमें सत्याग्रह का रास्ता बताया था। गांधी जी के मार्ग का अवलम्बन करके 9 अगस्त को ढाई सौ से अधिक लोग जेल में डाल दिये गये। अंग्रेजी राज्य में भी इस तरह का खाना नहीं दिया गया होगा। मान्यवर यह रोटी मैं जेल से लाया हूं जो रोटी सत्याग्रहियों को दी जा रही है। सब की सब कच्ची, जिसको मान्यवर, नहीं खा सकते।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, स्वामी जी को अभी खिलवाइये।

श्री मोतीलाल देहलवी—

इस रोटी को खाकर आधे से ज्यादा लोग बीमार हो गये हैं। बीमार को कोई दवा दी नहीं जा रही है। डाक्टर वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि रोटी स्वामी प्रसाद सिंह के पास भेज दी जाय। वह चख कर बतायें कि कैसी है।

*श्री मोती लाल देहलवी—

उन्हें मालूम था कि सत्याग्रहियों का मामला उठेगा इसलिये न तो माननीय जेल मन्त्री हैं न माननीय जेल उप मन्त्री हैं। सुबह से अभी तक उनके दर्शन इस सदन में नहीं हुए हैं। यह है दाल जो वहां बनाई जाती है। इसको देख कर कोई माननीय सदस्य यह नहीं बता सकते कि यह दाल कौन सी है। इसमें बदबू आ रही है। इस लिये मैं दाल भी लेकर आया हूं जो खिलायी जा रही है। यह छः-छः घंटे तक चढ़ी रहती है, उसके बावजूद वह पकती नहीं है। यह कई साल की है। मान्यवर, आज रजत जयन्ती मनायी जा रही है। इस अवसर पर जब गांधी जी के मार्ग का अवलम्बन किया सत्याग्रहियों के साथ इस तरह का क्रूर, घृणित और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। माननीय राजनारायण जी का पैर सूजा है। मैं खुद देख कर आया हूं। राजनारायण जी जब-जब जेल गये हैं उनको यह सहूलियत मिली है कि वह अस्पताल में जा कर पैर का सेंक कराते रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया, कि हम को बलराम-पुर अस्पताल में जाने दिया जाय। हम अपने पैरों का सेंक करवा लें। उनको जवाब दिया गया कि आपके पर का सेंक यहीं होगा। आज के दिन तक पर का सेंक नहीं हुआ। म समझ नहीं पा रहा हूं।

इस आजादी के पर्व में क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पर आजादी को लेने के लिये जो लोग जेल गये हैं यातनायें सही हैं। आज वह लोग आजादी के पर्व के अवसर पर रूपनाथ यादव जैसे लोग, तेजभान सिंह जैसे लोग आज जेल में पड़े हुए हैं और उनको इस तरह से खाना खिलाने पर बाध्य किया गया है। हमने कोशिश की कि जेल अफसरों से बात करें। हमने जेल अफसरों को टेलीफोन मिलाया। जेल अफसरों के यहां घंटी होती रही, टेलीफोन नहीं उठाया। हमने माननीय मुख्य मन्त्री जी से सम्पर्क किया। उनको सारी स्थिति बतायी पंडित जी इस रजत जयन्ती के अवसर पर सत्याग्रहियों के साथ गांधी जी का मार्ग अवलम्बन करने वालों के साथ, इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। हमको उन्होंने वचन दिया कि हम देखेंगे, प्रबन्ध करेंगे। आज तक हमारे पास सूचना है, माननीय मुख्यमन्त्री जी के वचन देने के बावजूद भी अभी तक वहां पर कोई इंतजाम नहीं किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल देहलवी]

मान्यवर, इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार विरोधी पक्ष को खत्म करना चाहती है, यह सरकार विरोधियों को किसी न किसी तरह से मार देना चाहती है। यह हमारा आरोप है कि जिस सरकार के मुख्य मंत्री यह बचन दें कि वह पानी तथा खाने का इन्तजाम करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी इन्तजाम नहीं किया गया यह उस सरकार के लिय शर्म की बात है। मजूमदार को काबू में यह सरकार नहीं कर पाई तो पुलिस की हिरासत में उसे मरवा दिया। सारा देश इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि डाक्टर लोहिया अपनी मौत से नहीं मरे, उनके विरोध को समाप्त करने के लिये उनको मारा गया। यह बात आपसे छिपी नहीं है। प्रधान मंत्री के एक मात्र विरोधी राजनारायण को भी खत्म करने के लिये जान से मार देने की साजिश चल रही है। शेम, शेम। सारा देश इस बात को भी जानता है कि बहुत ही साधारण, सरल प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को भी खत्म किया गया कुर्सी के लालच में। यह साजिशें, हरकतें, विरोध पक्ष को खत्म करने के लिये देश में की जा रही हैं। सरकार जानती है कि गोली से मारा नहीं जा सकता इसलिये लोगों को सत्याग्रहियों को कच्चा खाना खिला कर मारा जा रहा है।

(श्री मोती लाल ने सभी वस्तुओं को जिनको उन्होंने सदन में प्रदर्शित किया था श्री उपाध्यक्ष को उनकी चेयर पर जा कर समर्पित किया)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मैंने भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था कि चीनी की कीमत 100 रुपये कुंटल बढ़ गयी है। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गयी है इस पर सरकार को अपने विचार व्यक्त करने चाहिये थे। चीनी का मसला बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। किन परिस्थितियों में यह कीमत बढ़ी है और सरकार सरकार उस कीमत को कम करने के लिये क्या प्रयास कर रही है इसकी जानकारी हमको मिलनी चाहिये थी।

कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज सत्याग्रहियों के साथ जेल में निरंकुश व्यवहार यह सरकार कर रही है। उन पर अत्याचार यह सरकार करवा रही है। और सत्याग्रहियों पर झूठे मुकदमें चलवाये जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। 25 वर्ष देश को आजाद हुए हो गये लेकिन देश से अत्याचार अभी तक खत्म नहीं हुआ। अत्याचार तथा अन्याय बढ़ता जा रहा है। मुख्य मंत्री ब्राम्हणवाद तथा पैर पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं। समाजवाद के नाम पर ब्राम्हणवाद का प्रचार किया जा रहा है। देश द्रोहियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिल रहा है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि अजीत प्रताप सिंह जो कभी पुलिस तथा अंग्रेजों की खुशामद किया करते थे आज जब वह मंत्री की कुर्सी पर बैठ गये हैं तो प्रतापगढ़ जिले के अन्दर खूब अत्याचार तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज प्रतापगढ़ के कलेक्टर ने और एस० पी० ने कितना भ्रष्टाचार फैलाया है। मान्यवर, आज 25 वर्ष के समय के बीत जाने के बाद भी सत्याग्रहियों के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है, यह सोचा तक नहीं जा सकता है।

श्री त्रिवेणीराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य इलेक्शन का भाषण दे रहे हैं या इस विषय पर बोल रहे हैं जो हमारे सामने है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यदि इस प्रकार की परम्परा हाउस में बना दी जायेगी तो यहां पर गाली-गलौज होना भी शुरू हो जायेगा।

कुंवर तेजभान सिंह—

मान्यवर, सरकार की तरफ से सत्याग्रहियों के अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है, कहीं पर लाठी चलवाई जा रही है, मुकदमे चलवा रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन्दिरा जी का समाजवाद क्या घूसखोरी और शराब-बाजी तथा गुंडेबाजी करने से आयेगा ? आज कितना भ्रष्टाचार सरकार में व्याप्त है, जन-जन में व्याप्त है, लोग कराह रहे हैं । हुकूमत करने वाले लोगों से पूछा जाय कि सत्याग्रहियों के साथ क्या बर्ताव आज तक किया गया है । कितने जुल्म ढायें जा रहे हैं । गुंडों और शराबियों के संगठन बनाये जा रहे हैं । बड़े अफसोस का विषय है कि आज भारत के कोने-कोने में गुंडों और शराबियों का बोलबाला है, लोग कराह रहे हैं, घूसखोरी चल रही है, धोखेबाजी हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो आप बोल चुके । कृपया आप अब बैठ जायें । जो बात परिहार जी ने कही है उसे मैं सरकार के पास भिजवा देता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं, उनके सामने रोटी रखी है वे देख लें । साफ बात तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल टेलीफोन पर हमें वचन दिया था किन्तु अब तक उस वचन का कोई पालन नहीं किया गया है । ऐसी हालत में इस रजत जयन्ती के अवसर पर हम लोग किस तरह से शामिल हो सकते हैं किस तरह से उनका भाषण हजम कर सकते हैं । आज शाम तक यदि सत्याग्रहियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया तो जिस तरह से आप रजत जयन्ती मनाना चाहते हैं, नहीं मना सकते हैं । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके सामने रोटी रखी है, दाल रखी है, लौकी रखी है, तेल रखा है, वे किसी डाक्टर को बुलाकर उसको दिखा लें । वे अपने दिल पर हाथ रखकर निश्चय करें, आखिर उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ जेल में रहे हैं, उन्होंने कभी इस तरह की रोटी, दाल, लौकी और तेल का इस्तेमाल किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मंत्री को देख कर आप अपनी बातों को फिर से दोहरा रहे हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

ऐसी बात नहीं है श्रीमन् । मेरा निवेदन है कि आज शाम तक उनके लिये उचित व्यवस्था करना जरूरी है । उन सत्याग्रहियों के साथ मनुष्य की तरह व्यवहार किया जाय । मेरा आग्रह है कि अगर इस तरह की रोटी उनको दी जायेगी तो तमाम सत्याग्रही बीमार ही जायेंगे या कोई बड़ी बीमारी लेकर जेल से बाहर आयेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका यह भी सुझाव है कि सब सत्याग्रही आज छोड़ दिये जायं ?

श्री मोती लाल देहलवी—

जी नहीं, मेरा ऐसा कोई सुझाव नहीं है ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, देहलवी जी ने कल शाम को मुझे टेलीफोन किया था । कल रविवार भी था जब उन्होंने मुझसे वहां के इन्तजाम के सम्बन्ध में शिकायत की कि रोटी, खराब है, दाल खराब है, तेल खराब है और कोई आफिसर वहां देखने के लिये नहीं है, तो मैंने कल रात को ही आदेश

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

दिया और आज सुबह ही जेल के आई० जी० को मैंने बुलवाया और उनको सुधार स्कूल भेजा और कह दिया कि वहां जाकर आप सारी चीजों को चेक कर लें और जांच करके बतलावें कि ऐसा क्यों है ? और सारी चीजों को देख सुन कर ठिकाने का इन्तजाम करें । उसी समय कारागार मंत्री से भी मैंने कहा और आज वे खुद जेल विजिट करने के लिये गये होंगे । सम्भवतः वे डिस्ट्रिक्ट जेल व सुधार स्कूल में भी गये होंगे । जो भी इस तरह की कमियां पायी जायेंगी उनके लिये समुचित कार्यवाही की जायेगी, मान्यवर ।

* श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा । हमारे माननीय देहलवी जी ने और तेजभान जी ने बड़ी सेवा की कि सारे तथ्यों को इस सदन के सामने रखा जो भविष्य में भी लोगों को प्रभावित करेगा । मुझे बड़ा दुख है कि सारे समाज में एक अव्यवस्था-सी है । जब जेल में सत्याग्रहियों के साथ, पोलिटिकल प्रीजनर्स के साथ ऐसा व्यवहार है तो 37 हजार कैदी जो आज जेलों में बन्द हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा मैं नहीं कह सकता । एक बात मैं आप के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने कह दिया कि वे इसकी जांच करावेंगे । अब कब जांच होगी, कब तक जांच करावेंगे, कब तक सुधार हो सकेगा, इसके बारे में न कह कर सरकार की तरफ से हर प्रश्न का एक ढला ढलाया जवाब मिल जाता है कि जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जायेगा । पता नहीं जो फाइल यहां से चली है वह कब तक वहां पंहुचेगी, जिस तरह से सचिवालय में वर्षों का समय फाइल को यहां से वहां जाने में लग जाता है, यह मैंने इसलिये कहा कि हमारी गति क्या है, इस पर ध्यान दें । अगर इसी तरह से देरी होती रही तो सुधार का समय कब आवेगा ।

हमारे माननीय तेजभान जी ने जो कुछ कहा--उसको एक लाइन में ही मैं कह दूं कि जो सोच कर वे इधर से उधर गये और बड़े दुख से साथ उन्होंने सारी बातें सदन के सामने रखीं कि हमारा शासन कितना [illegible] है, यहां की शासन प्रणाली कितनी दूषित है, यहां का जो दुःशासन है उसको मैं इस तरह [illegible] कह दूं जो रहीम कवि ने कहा है---"रहिमन अंसुअन नेन ढरि, हिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारे गेह ते, क्यों नहिं दुख कहि देत ।" जैसे आंसुओं के द्वारा ही हृदय का सारा दुःख [illegible] हो जाता है उसी तरह से प्रशासन के सम्बन्ध में थोड़े शब्दों में उन्होंने अपने भाव को प्रकट कर दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे तमाम विषयों को अपने सामने रखें ताकि भविष्य में ऐसी गति न होने पावे । कृपा करके आप इस पर ध्यान दें, जिससे जेल में रहने वालों की स्थिति में सुधार हो सके । आप उनको यह न समझें कि वे मक्खी, व कीड़े मकोड़े हैं ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

मान्यवर, बाढ़ ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया है लाखों आदमी बाढ़ में घिरे हुये हैं और दो तहसील नष्ट हो गई है । हेलीकाप्टर और सेना की मदद ली गई है । इतना ही नहीं बहुत से आदमी मर गये हैं और लोगों के खाने-पीने का कोई प्रबन्ध नहीं है । हजारों पशु मर गये हैं । चारा नहीं है । आगरे जिले की अधिकांश जन संख्या बाढ़ से प्रभावित है और जो सरकारी सहायता मिली है वह नगण्य है । उससे इतना भी संकेत नहीं मिलता है कि वहां कोई व्यवस्था हो सकेगी । भरतपुर का चिकसाना बांध टूट गया है । और लोग कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने तोड़ दिया है । इससे आगरे का सारा हल्का डूब जायेगा । इसके अलावा एक और बांध तैरामोरी टूट गया है । मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि मुख्य मंत्री जी से इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिला दीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

बांध टूट गया है, जो स्थिति पैदा हो गई है उसके सम्बन्ध में आप का जो प्रश्न है उसको मैं सम्बन्धित मंत्री के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज देता हूं और समय नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मान्यवर, यह ऐसी मामूली चीज नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी को सारे तथ्य मालूम हैं । वे सदन को बतायें कि क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले सुनें । आप धीरे और माइक से जरा हट कर बोलें ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मुख्य मंत्री जी बतायें कि ये क्या प्रबन्ध कर रहे हैं। इसमें बहुत से आदमी मर गये हैं। लाखों आदमी मर रहे हैं । वे बतायें कि किस तरह से आदमियों को निकालेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं । जैसी भी बाढ़ की स्थिति हो लेकिन अब समय नहीं है कि उस पर बहस हो ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

श्रीमन्, लाखों आदमी घिरे हुये हैं वे बतायें कि कैसे निकालेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, भरतपुर रियासत है उसका बांध टूटा है । उससे राजस्थान और भरतपुर में तो बहुत नुकसान हुआ है । हमारे आगरे में भी पानी आ गया है । उससे हमारे आगरे के सीकरी और फतेहपुर में पानी भर गया है । जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 250 गांव भरतपुर में बांधों में दरार पड़ जाने से प्रभावित हुए हैं । इनमें 90 गांव ऐसे हैं जो पानी से घिरे हुए हैं । इन गांवों की आबादी लगभग 22 हजार है । 50 देशी नावें सहायता के लिये भेजी गई हैं परन्तु वे अधिक कुछ कर न सकीं । फौजी सहायता ली गई परन्तु वे राजस्थान में व्यस्त थे इस कारण उनकी सहायता कम भी मिल पाई और आने में कुछ समय भी लगा । कल सांयकाल 4 सैनिक नावें उस क्षेत्र में पहुंच गई हैं और कार्य कर रही हैं । इन सभी नावों द्वारा कल तक 1200 व्यक्तियों और 400 पशुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। आगरा-बम्बई सड़क पर आगरा से 18 मील दूर सारी नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और आवागमन के योग्य नहीं रहा है । कलेक्टर को प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने के लिये निर्देश दे दिया गया है । आवश्यक सामग्री का वितरण भी उन्होंने प्रारम्भ कर दिया है । अब तक 2 व्यक्तियों के मरने की खबर है । उनको नीचे लिखी धनराशि आवंटित कर दी गई है—

(1) अहेतुक सहायता	1 लाख रुपया
(2) प्रकीर्ण व्यय	20 हजार रुपया
(3) गृह निर्माण अनुदान	2 लाख रुपया

उनमे यह भी कहा गया है कि यदि और धन की आवश्यकता हो तो वे औचित्य देते ये प्रस्ताव भेजें ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

प्रधान मंत्री के सचिवालय से जानकारी चाही गई थी । उनको मैंने उपरोक्त जानकारी दे दी है । मेरी श्री बिशन नारायण टंडन से फोन पर बात हुई थी ।

प्रधान मंत्री ने भी एक लाख रुपया अपने विवेकाधीन कोष से सहायता के लिये भेज दिया है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

श्रीमन्, यह रिपोर्ट बिल्कुल अधूरी है और 2 की ही नहीं बल्कि कम से कम पचासों आदमियों के मरने की खबर है, हजारों पशु वहां मर चुके हैं और वहां का जिलाधीश बिल्कुल निकम्मा है, जो खबर यह आप के पास आई है वह बिल्कुल झूठी है, वहां कोई व्यवस्था ठीक नहीं की गई । वहां बहुत आदमी भूख से मर रहे हैं और यह 2 लाख की सहायता बहुत कम है । लाखों आदमी बाढ़ से घिरे हैं । जो रिपोर्ट दी गई है वह बिल्कुल गलत है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सहायता को बढ़ायें और वहां के लोगों और पशुओं को बचाने के लिये युद्ध स्तर पर काम करें ।

उत्तर प्रदेश बेकारी निवारण विधेयक, 1972

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बेकारी निवारण विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेकारी निवारण विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(नहीं की संख्या अधिक होने की घोषणा से पहले ही)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि विरोधी दल को यह एक ही राइट है, अच्छा हो कि वह इस को पुरःस्थापित होने दें और इस पर विचार हो जाय उसके बाद जैसा सदन चाहेगा वह तो होगा ही ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, लोकसभा में भी ऐसी व्यवस्था है कि जो प्राइवेट मेम्बर्स के बिल होते हैं वे पेश हो जाते हैं और उन पर विचार हो जाता है । यह बात दूसरी है कि विचार के बाद वह मंजूर हो या न हो । मैं चाहता हूं कि उसी परम्परा को कायम रखा जाय और इस बिल को पेश होने दिया जाय बाद में तो जो सदन का मत होगा वही होगा । पुरःस्थापन के समय प्राईवेट मेम्बर्स के बल पर आपत्ति नहीं होना चाहिये ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

आपत्ति तो अनुज्ञा प्राप्त करने के वक्त भी नहीं की जाती लेकिन यहां वह की गई लोक सभा में कभी अनुज्ञा के समय आपत्ति नहीं की जाती इसलिये आप के लिये लोक सभा की बात करना तो कबूल ही है वैसे आप बिल रखना चाहते हैं तो रख दें बाकी इस दिशा में सरकार की ओर से तो कार्यवाही स्वतः ही की जा रही है । वह रखना चाहते हैं तो स्वीकार कर लिया जाय अनुज्ञा दे दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं दोबारा रखे देता हूं । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेकारी निवारण विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यदि उस समय भी उदारता दिखाई होती तो इसी तरह से भूमि विकास कर विधेयक भी पास हो गया होता ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसी प्रकार का सौजन्य यदि उस समय त्रिपाठी जी ने दिखाया होता तो जरूर स्वीकार हो जाता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बेकारी निवारण विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1332 पेर)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत केवल 3 सूचनायें मिली थीं । इनमें किसी को स्वीकार नहीं किया है ...

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

हमारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव था जो बहुत ही आवश्यक था । यह सब लोग जानते हैं और सारे प्रदेश की जनता जानती है कि आज जीवन उपयोगी सभी वस्तुओं के दाम बेहद अधिक बढ़ रहे हैं । यह मसला ऐसा नहीं है कि इसके लिये खाली व्यापारी या मिल मालिक ही दोषी हैं बल्कि सरकारी नीतियां ऐसी हैं कि जिन के कारण सभी जीवन उपयोगी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं ।

पिछले हफ्ते में लोहे के दाम बढ़ गये, चीनी के दाम बढ़ गये हैं, डालडा के दाम बढ़ गये हैं, कपड़े के दाम बढ़ गये हैं, अनाज के दाम बढ़ते जाते हैं । सब चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं । तो यह बिल्कुल एक निश्चित घटना है । अगर इस पर चर्चा का मौका मिल जाय तो हो सकता है कि विरोध पक्ष से और सरकारी पक्ष के कुछ सुझाव आ जायं जिनसे इन बढ़ी हुयी कीमतों पर कुछ रोक लग जाय । आज कहीं पर बन्द हो रहा है कहीं पर सिविल नाफर्मानी हो रही है, जनता का रोष फूट रहा है और अगर यह सिलसिला चलता रहा तो बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी । 19 तारीख को लखनऊ बन्द हो रहा है, इलाहाबाद पहली तारीख को बन्द हुआ था, गोरखपुर में भी बन्द होने जा रहा है । बहुत लोग इस महंगाई से पीड़ित हैं । हर आदमी चाहेगा कि इस विषय पर चर्चा हो जाय । 9 तारीख को हमारा सत्याग्रह शुरू हो गया था और मैं यह समझता हूं कि जो पूंजीपतियों से पैसा वगैरह लिया गया था, वह तो उनको अदा हो गया होगा, गिरानी है, तो अगर अदा हो गया है तो मेरी प्रार्थना है कि अब अधिक बोझ जनता पर न डाला जाय ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, यह पार्टी का विषय नहीं है, सरकार की नीतियों से इसका सम्बन्ध है और हमने देखा है कि सरकार अपने दोष को छोटे व्यापारियों पर मढ़ती है और आम तौर से यह कहा जाता है कि व्यापारी भाव बढ़ा रहे हैं । मेरा कहना है कि अगर वे भाव बढ़ा रहे हैं तो उन्हें आप सजा दीजिये । चूंकि यह सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का परिणाम है अतः मेरी प्रार्थना है कि यह सदन इस विषय पर पूरे दिन चर्चा करे । आप कृपया मुख्य मंत्री जी से बात कर लें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग तय कर लें, मुख्य मंत्री जी तो सदन में बैठे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं तो केवल प्रार्थना ही कर सकता हूं लेकिन ये इस बात से सहमत होंगे कि आज गरीब आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है । आज इस प्रदेश के अन्दर जो मध्यम वर्ग है और जो गरीब है जिस पर आप लगातार टैक्स का टैक्स लगा रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ गये हैं, डालडा के दाम बढ़ गये हैं, आटे गर्जे कि हर चीज के दाम बढ़ गये हैं, उन पर आप भूमि भवन कर भी लगा रहे हैं और भूमि विकास कर भी लगा रहे हैं, रोडवेज का किराया भी आपने बढ़ा दिया है, बिजली के दरें भी आपने बढ़ा दी हैं, सिटी बोर्ड ने हाउस टैक्स भी बढ़ा दिया है, केन्द्र के भी टैक्स बढ़ गये हैं, यह पिस रहा है । मैं निवेदन कर रहा था और आपको भी अनुभव होगा कि आज प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ी मांग हो गयी है कि किस प्रकार से इस मंहगाई का निराकरण हो । तो मेरी प्रार्थना है कि मंहगाई के विषय पर सदन में चर्चा हो जाय ताकि उसके निराकरण के लिये कुछ सुझाव भी आ जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये मुख्य मंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि कब तक सदन चलेगा तब हम इसको देखेंगे । अब नियम 51 में...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, इसको तो निपटा लें ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको बाद में निपटा लेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि आज माननीय मुख्य मंत्री तुरन्त अनुज्ञा के लिये तैयार हो गये । उस दिन भी अगर ये सदन में रहे होते तो मुझे विश्वास था कि समय मिल गया होता । उस दिन तो शर्मा जी जिद कर गये ।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मैंने तो समय दे दिया था लेकिन आप ही नहीं माने थे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, महंगाई के बारे में जो मैं अभी कह रहा था, यह बात बहुत जरूरी है और कई जगहों से सूचना आई है कि चीनी, कपड़े, लोहे आदि के दाम बहुत बढ़ गये हैं और मेरा विचार है कि इस विषय पर इधर के और उधर के माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो मेरी प्रार्थना है कि

जीवन उपयोगी चीजों के बारे में सदन में चर्चा हो जाय । सब लोग चाहते हैं तो इसके लिये हम लोग रजत जयन्ती के बाद किसी तारीख को बैठ जायं, बहुत सी चर्चायें शेष हैं । इस विषय पर पहले हो जाय और फिर और ले ली जाय । आज तो रात को सेशन हो रहा है । इसके बाद मुख्य मंत्री जी कोई तारीख तय कर दें । इस पर 2–3 दिन बहस हो जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें लेने पर ।

श्री बंशीधर पांडेय—

(मान्यवर, आप पूछ रहे थे मुख्य मंत्री से टाइम देने के लिये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

पूछूंगा । अगर कोई प्रस्ताव आयेगा तो देखा जायेगा ।

पहली सूचना श्री चन्द्रभान शर्मा ने दी है कि इन्जीनियरिंग वर्क्स शामली (मुजफ्फरनगर) में 13 जुलाई, 1972 से मालिकों द्वारा गैर कानूनी तालाबन्दी कर दी गई है । इसको आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार के पास भेज दिया जायेगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफरनगर)—

मान्यवर, इस इन्जीनियरिंग वर्क्स के अन्दर 166 आदमी काम करते हैं । दो शिफ्टें चलती हैं। 29 आदमी एन्रोल किये हैं मालिकों ने । वर्कर्स ने अपनी यूनियन बनाई । मालिकों ने 13 तारीख को बगैर किसी नोटिस के तालाबन्दी कर दी । इस पर लेबर आफिसर, मेरठ को लिखकर दिया गया कि देख लिया जाय कि कितने आदमी काम करते हैं और कितनी शिफ्टें हैं । वहां पर तालाबन्दी करने के बाद ही लेबर इन्स्पेक्टर गया । लगातार लेबर आफिसर से बातें इस बारे में की जा रही हैं लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा है । मालिकों ने अखबार में यह भी नोटिस निकाल दी है कि जो आदमी 15 तारीख तक वापिस नहीं आयेगा उनको डिस्मिस कर दिया जायगा । बड़ी गम्भीर स्थिति है मान्यवर, इस मामल में सरकार को मदाखलत करनी ही चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको श्रम मन्त्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दें और क्या कर सकते हैं ?

दूसरी सूचना सर्वश्री जयराम वर्मा, शम्भूनाथ चौधरी, मो० असरार अहमद, सुरेन्द्र विक्रम, चन्द्रभान शर्मा तथा बन्शीधर पांडेय ने दी है कि न्याय पंचायतों के पंचों के चयन के लिये परामर्श-दात्री समिति के गठन के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन होना चाहिये । तो यह नियमों से सम्बन्धित चीज है । इस पर वक्तव्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, यह नियमों से सम्बन्धित जरूर है और विधान सभा क्षेत्र में न्याय पंचायतों के पंचों के चयन के लिये परामर्शदात्री समिति गठित होती है तो पहले से जो नियम थे उसके सम्बन्ध में, जिला मैजिस्ट्रेट उसके अध्यक्ष होते थे, एम० एल० ए०, जिला परिषद् के अध्यक्ष उसके सदस्य होते थे और एक व्यवस्था यह भी थी कि उस विधान सभा क्षेत्र में जो विधान परिषद् का सदस्य रहता हो वह उसका सदस्य होगा । लेकिन जहां सदस्य नहीं रहता हो वहां सरकार एक व्यक्ति हर एक विधान सभा क्षेत्र के लिये नामजद करेगी यह व्यवस्था थी । अब एक व्यवस्था यह भी दी गई है कि उस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का सदस्य भी उसका

[श्री जयराम वर्मा]

मेम्बर होगा यानी पांच विधान सभाओं की चयन समितियों का लोक सभा का मेम्बर सदस्य हो जायगा। इसलिये कोई जगह नहीं रहती है। जहां लोक सभा का मेम्बर उसका सदस्य न रह जाय और राज्य सभा का भी सदस्य जो उसके क्षेत्र में रहता हो, सदस्य हो जायगा। तो सरकार ने पहिले से व्यवस्था कर रक्खी थी कि हर जगह उसका बहुमत बैठे और अब इसमें लोक सभा के सदस्यों को भी शामिल करके ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई क्षेत्र नहीं हो सकता है जहां पर विरोधी दल का बहुमत हो, हर जगह अब रूलिंग पार्टी का बहुमत होगा। इस तरह की क्या जरूरत थी कि अधिकार ले लिया जाय कि कहीं पर उनकी मरजी के खिलाफ न्याय पंचायतों में पंच न आने पायें। यह बड़ी अनुचित बात है। इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये थी।

लेकिन इस सम्बन्ध में जो आदेश जारी हुए हैं जिसकी प्रति हर विधायक के पास भेजी गई है उसमें दूसरी चीज लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि न्याय पंचायतों के सरपंचों के चुनने के लिये एक परामर्श दात्री समिति होती है। इस तरह पंचों के चयन के लिये संशोधन किये गये हैं। लेकिन जो आदेश जारी हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि न्याय पंचायतों से सरपंच के चयन के लिये तो बिल्कुल उल्टी बात आदेश में भेजी गयी है और हर एक विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य को इसकी कापी भेजी गयी है। नियम तो कुछ बनाया है और आदेश बिल्कुल उसके खिलाफ है। इससे बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। इसलिये सरकार को इसके सम्बन्ध में वक्तव्य देना जरूरी है और जब तक वक्तव्य न हो जाय तब तक परामर्शदात्री समिति का गठन नहीं होना चाहिये और न्याय पंचायतों के पंचों का चुनाव नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से बयान आज ही जाना चाहिये क्योंकि अगर हाउस न बैठा और पंचों का चुनाव हो गया तो ठीक नहीं होगा। जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैंने मन्त्री जी को भी बता दिया कि इस तरह का आदेश कैसे चला गया।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, हमारे यहां जो न्याय पंचायतें हैं वह न्याय की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद तहसील, जिला जज, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि राजनैतिक हस्तक्षेप से न्याय को अलग रखेंगे और दूसरी तरफ न्याय पंचायतों के लिये चुनाव में आप कहते हैं कि लोक सभा के सदस्य होंगे, एम० एल० ए०, एम० एल० सी० होंगे। लोक सभा के सदस्य होने से बहुमत किस दल का रहेगा यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर न्याय पालिका में हस्तक्षेप करना था तो मन्त्री जी यहां से पंचों को नामिनेट कर देते। अब तो योग्यता पर चयन नहीं हो पाए गा, बहुमत वाले का चयन होगा और उसी आधार पर न्याय पंचायत का गठन होगा। तो कैसे न्याय होगा ? मैं तो समझता हूं कि सबसे पुरानी प्रणाली अच्छी थी। कोई कमेटी न होती, जनता चुनकर भेजती और निष्पक्ष रूप से वह सरपंच को चुन लेते। अब तो इस सरकार ने बिलकुल ही हस्तक्षेप कर दिया है कि एक ही दल के लोग जा पायेंगे। उनसे न्याय की आशा कैसे की जा सकती है ? न्यायपालिका में यह स्तक्षेप है। मैं वर्मा जी से सहमत हूं। इस पर स्पष्टीकरण आना बहुत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मोहन लाल कपूर ने किसान इण्टर कालेज, मुहिउद्दीनपुर, जिला मेरठ के प्रधानाचार्य की प्रबन्धक द्वारा सेवा समाप्ति के विषय में दिया है। इस सम्बन्ध में वक्तव्य स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रिंसिपल को अपने लिये न्याय पाने के उपचार हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, वहां तो कम से कम एक हजार लड़के हड़ताल पर हैं और 20 भूख हड़ताल पर हैं। जनता में बड़ा रोष है। रात में बैठ कर तय कर लिया कि प्रिंसिपल को निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रबन्ध समिति ने कुछ किया होगा। इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के यहां मामला जाएगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

वहां पर कानून और व्यवस्था की हालत भी खराब हो रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायं)—

मान्यवर, यह नियम 13 जुलाई को गजट हुए और 22 जुलाई तक आपत्तियां मांगी गयीं, लेकिन आपत्तियां आने से पहले ही 17 तारीख को जी० ओ० कर दिया कि फाइनल हो गए।

श्री मोहन लाल कपूर—

आप कृपा करके इसको मन्त्री जी के पास भेज दें जिससे सफाई हो जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, वह 14 दिन तक सदन में नहीं रखा गया जो नियम के विपरीत है लिहाजा सरकार इसमें कोई वक्तव्य दे दें।

श्री मोहन लाल कपूर—

आप इसको मन्त्री जी के पास सफाई के लिये भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष—

हम उसको भेज रहे हैं।

अब आइटम नम्बर 16 वां रह गया है। यह आइटम लिया जाय या नहीं क्योंकि समय का हमको ध्यान रखना होगा। आधे घंटे की चर्चा है। कुछ सदस्यों ने आप ही की तरफ के यह कहा था कि यह नहीं लिया जाय तो ठीक है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाय।

सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

अब मुख्य मन्त्री जी आगे का कार्य-क्रम बता दें विधान सभा के बारे में।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

आज तो हम इसको अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करना चाहते हैं लेकिन इसको जल्दी ही बुला लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टाइपिस्टों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के आदेश के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

आज के बाद यह सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित होगा।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अब मान्यवर, थोड़े से समय के लिये प्रश्न 16 भी ले लिया जाय। मान्यवर, आप भली-भांति जानते हैं कि हमारे प्रदेश में आज करीब 3 करोड़ मनुष्य बेकारी के शिकार हैं अथवा अर्द्ध-बेकार हैं। अगर किसी व्यक्ति की आज नौकरी समाप्त हो जाय तो दूसरी जगह पर उसको नौकरी प्राप्त करना मुश्किल हो जायगा। अपने इस सचिवालय में ही 138 टाइपिस्ट ऐसे हैं जिनकी भरती की गई और आज उनसे कहा जा रहा है कि आप प्रतियोगितात्मक विषयों में परीक्षा में बैठें। यह तो कम्पटीटिव इक्जामिनेशन है। आपने अगस्त, 1960 से जुलाई, 1961 के बीच में 200 टाइपिस्टों को भरती किया था। उन लोगों के साथ यह शर्त नहीं लगाई गई थी। मैं तो संविधान का हवाला देते हुआ कहना चाहता हूं कि एक ही विभाग में काम करने वालों को उसके कर्मचारियों के साथ विभिन्न प्रकार का भेदभाव किया जाता है और तरह-तरह की शर्तें लगाई जाती हैं। ये 138 टाइपिस्ट जो रखे गये हैं उनके लिये यह शर्त अनुचित है। इसमें हरिजन भी हैं, महिलायें भी हैं करीब 32, 25 हरिजन हैं और वे लोग भी हैं जो चतुर्थ श्रेणी से प्रमोट होकर यहां आये हैं तथा इसमें रिटरेंचड इम्पलाईज भी हैं। यह कहां तक न्यायोचित है कि इन लोगों के साथ इस प्रकार की शर्तें लगाई गई हैं जब कि पहले इस तरह की कोई शर्तें किसी पर नहीं लगाई गईं।

अभी राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने भी एक पत्र लिखा है, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने भी लिखा है। श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा जी आपके इस विभाग के मन्त्री थे उनको ये पत्र लिखे गये, एक तो 19-6-72 को और दूसरा 26-6-72 को। उसमें यही कहा गया था कि इनकी यह परीक्षा कम्पटीटिव नहीं होनी चाहिये बल्कि क्वालीफाइंग होनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन टाइपिस्टों के बारे में कई एम0 एल0 एज0 और एम0 एल0 सी0 ने सरकार से बातें कीं और यह कहा था कि एक ही प्रकार के कर्मचारियों पर दो प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। पहले जो टाइपिस्ट लिये गये थे उनको ऐसी किसी कम्पटीटिव परीक्षा में नहीं बैठना पड़ा और अबकी जो 138 टाइपिस्ट हैं उनको यह शर्त पूरी करनी होगी यह अनुचित है। यह वह बात है जो समझ में नहीं आनेवाली है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इसी सरकार के माननीय मन्त्री स्वीकार कर चुके हैं कि प्रतियोगात्मक परीक्षा न ली जाय, केवल एक क्वालिफाइंग परीक्षा ले ली जाए तो क्या कारण है कि सरकार इसके लिये बाध्य कर रही है और उसके लिये उनको मजबूर किया जा रहा है?

मैं मान्यवर, संक्षेप में कह रहा हूं। अगर सरकार हमारी इस मांग को मान लेती है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। जो कुछ मैं कहता वह तो नित्यानन्द जी ने कह ही दिया है। मैं उसे कहना नहीं चाहूंगा। मुख्य मन्त्री जी तो उदार हैं। 138 आदमियों का मामला है। बहुत से टाइम बार्ड हो गये होंगे और वे दूसरी सर्विसेज में नहीं जा सकते ह। जैसी उदारता वे और जगह दिखाते हैं वैसी ही इस विषय में भी दिखा दें तो बड़ा अच्छा ही।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, नित्यानन्द जी जो लाभ लेना चाहते हैं वह लाभ तो उनको नहीं मिल सकता है। अब तो वे फाइल से कागज भी गायब करने लगे हैं। राजेन्द्र कुमारी जी की चिट्ठी तो इन्होंने पकड़ ली और माधव प्रसाद जी तो उनके नेता हैं। उनकी चिट्ठी तो उन्हें मिल ही गयी होगी। सरकार के उपमन्त्री की फाइल की नोटिंग पर भी इन्होंने धावा बोला है और वहां से कुछ छाप कर ले भी आए। हमारी जो नोटिंग है उसे वे नहीं ला सके। यह दिक्कत हुई है। शायद मिल भी गई हो, उन्होंने कहा नहीं इसलिये कि हमसे कछ लाभ ले लें। इसके बहुत पहले ही निश्चय कर चुका हूं कि कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उनका ले लिया जाए। इनको तो कछ लाभ चाहिये था इसलिये अपनी बात कह गये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिये।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 21 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
14 अगस्त, 1972।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38(2)के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1214पर]

शहरी क्षेत्र---कासगंज, जनवरी, 1972 से पुनः चीनी वितरण व्यवस्था लागू होने पर जिलापूर्ति अधिकारी, एटा को चीनी की दुकान हेतु 16 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे निम्नलिखित 8 पुराने सस्ते गल्ले। चीनी के दुकानदारों द्वारा चीनी वितरण सुचारू रूप से चलने के कारण नई नियुक्ति नहीं की गयी:--

1---श्री मसर्रत हुसैन
2--- ,, महराज सिंह
3--- ,, राम सिंह
4--- ,, किशन चन्द महेश्वरी
5--- ,, राधेश्याम
6--- ,, पूर्वोत्तर रेलवे सहकारी समिति, कासगंज
7--- ,, राजवीर सिंह
8--- ,, खचेर मल

जो 16 प्रार्थना-पत्र नई नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त हुए उनका विवरण निम्नांकित है :---

1---श्री रामेश चन्द्र महेश्वरी
2--- ,, नवल किशोर
3--- ,, राम भरोसे लाल
4--- ,, राम नाथ दुबे
5--- ,, राम कृष्ण गुप्ता
6--- ,, ईश्वरी प्रसाद
7--- ,, अब्दुल सलीम
8--- ,, प्रेम प्रकाश गुप्ता
9--- ,, छेदा लाल
10--- ,, सुमन कुमार
11--- ,, भवन प्रकाश गोयल
12--- ,, मगन बिहारी गर्ग
13--- ,, सुरेन्द्र कुमार स्वर्णकार
14--- ,, किशन सिंह
15--- ,, चिरंजी लाल
16--- ,, सुमन्त कुमार, कासगंज।

शहरी क्षेत्र बिलराम---नई नियुक्ति हेतु 4 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे परन्तु एक ही दुकान की आवश्यकता होने के कारण श्री फरहत हुसैन, जो कि पुराने दुकानदार थे, की नियुक्ति कर दी गयी। जिन नए प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उनकी नियुक्ति उपरोक्त कारण से नहीं हो पाई उनके विवरण निम्नांकित हैं :---

1--- श्री महेन्द्र पाल सेनी
2--- ,, राम प्रकाश शर्मा
3--- ,, अलमत हुसैन
4--- ,, हरीश चन्द्र गुप्त

देहाती क्षेत्र—निम्नलिखित न्याय पंचायतों में पुराने ही दुकानदारों को नियुक्त किया गया अतएव कोई नई नियुक्ति नहीं हुई :—

1—कुरमाई	.. .. ..	श्री मोहन लाल
2—कल्यानपुर	.. .. ..	,, किशुन लाल
3—तैयबपुर कमालपुर	.. ..	,, सूरजपाल सिंह
4—पंचगाई	.. .. ..	,, परमानन्द श्रोत्रिय
5—गोरहा	.. .. ..	,, राम औतार
6—नमैनी	.. .. ..	,, सूरज प्रसाद
7—सिरावली	.. .. ..	,, क्षेत्रीय सहकारी समिति, चंडौस
8—सैली इल्तफातपुर	.. ..	,, मोती सिंह
9—खुशकरी	.. .. ..	,, डोरी लाल

अन्य न्याय पंचायत क्षेत्रों में नई नियुक्ति हेतु 13 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिन पर निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया :—

1—कुड़हार	.. .. ..	श्री बल्लभ स्वर्णकार
2—करसाना	.. .. ..	,, सुनहरी लाल
3—किनावा	.. .. ..	,, नेमी सिंह
4—मामो	.. .. ..	,, ध्योराज सिंह
5—नदरई	.. .. ..	,, क्षेत्रीय सहकारी समिति कासगंज, द्वितीय ।
6—कांतौर	.. .. ..	,, महावीर सिंह
7—मोहिनी मामूरगंज	.. ..	,, मंगल सिंह
8—पचौरा जंगल	.. .. ..	,, हर प्रसाद वर्मा
9—जखेड़ा महेश	.. .. ..	,, सुभाष चन्द्र गुप्ता

जिन चार व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं हुए, उनके नाम हैं :—

1— श्री जान उद्दीन
2— ,, गोवर्धन दास
3— ,, जवाहर सिंह
4— ,, मोहन लाल

———

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1719 पर)

अपील के मामलों की संख्या	अवधि जब से यह अपील के मामले पेंडिंग हैं	अपील के मामलों के पेंडिंग होने का कारण
1	2	3
1	लगभग 10 वर्ष	इन मामलों में विद्यालय की प्रबन्ध समितियों द्वारा अथवा स्वयं अध्यापकों द्वारा न्यायालय में मुकदमें दायर किये गये हैं जो अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय से निर्णय होने के बाद ही अपीलों पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
1	लगभग 9 वर्ष	
1	लगभग 5 वर्ष 9 माह	
1	लगभग 3 वर्ष 6 माह	
3	लगभग 2 वर्ष	
1	लगभग 1 वर्ष	
8	योग	
3	लगभग 2 वर्ष	.. विद्यालय की प्रबन्ध समितियों में विवाद होने के कारण इस अपील के मामलों में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रबन्ध समितियों की स्थिति स्पष्ट होने पर इन मामलों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायगी।
1	एक माह	
4	योग	

2	लगभग 2 माह	..	इन अपीलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पत्रों से अपील के सम्बन्ध में उत्तर मांगा गया है तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों की विषय से सम्बन्धित मूल पत्रावलियों की मांग की गई है। पत्रावलियां पूर्ण हो जाने पर अपील की सुनवाई का निर्णय लिया जायगा।
1	लगभग साढ़े 3 वर्ष	..	इन अपीलों की पत्रावलियां पूर्ण करा ली गई हैं तथा अपीलों की सुनवाई हेतु तिथियां निश्चित की जा रही हैं। सुनवाई होने के पश्चात् निर्णय लिया जायगा।
1	लगभग 1 वर्ष		
1	लगभग 8 माह		
1	लगभग साढ़े 3 माह		
2	लगभग 1 वर्ष	..	इन अपीलों की सुनवाई की जा चुकी है तथा निर्णय विचाराधीन है जो कि शीघ्र ही दिया जा रहा है।
8	योग		

महायोग—20 मामले।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

सूची

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1237 पर)

संख्या	जिला	सहायक विकास अधिकारी महिला का नाम व स्थान जिन्होने शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण किया	विद्यालय का नाम व वेतन-क्रम जिसमें नियुक्ति की गई।	वेतन निर्धारिण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1—मैनपुरी ..		श्रीमती हंसमुखी देवी यादव, मैनपुरी।	राजकीय कन्या इन्टर कालेज, एटा सी० टी० वेतनक्रम।	प्राविधिक कठिनाई के कारण अभी वेतन निर्धारण नहीं हो सका है। इस कठिनाई के निराकरण हेतु राजाज्ञा जारी हो चुकी है निदेशालय द्वारा वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।
2—एटा ..		श्रीमती शिक्षा गर्ग, एटा	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भुवन बहादुरनगर (बुलन्दशहर), सी० टी० वेतन-क्रम।	वेतन निधारण हो चुका है।
3—एटा ..		श्रीमती प्रेमवती शर्मा, सीतलपुर (एटा)।	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऋषीकेश (देहरादून) सी० टी० वेतन-क्रम।	वेतन निर्धारण हो चुका है।
4—फर्रुखाबाद		श्रीमती कृष्णावती दुबे, फर्रुखाबाद।	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, अमरोहा, (मुरादाबाद) एल० टी० वेतन-क्रम।	वेतन निर्धारण हो चुका है।

फर्रुखाबाद	कु० दमयन्ती सक्सेना, फर्रुखाबाद ।	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, फतेहगढ़, सी० टी० वेतन-क्रम ।	प्राविधिक कठिनाई के कारण अभी वेतन निर्धारण नहीं हो सका है । इस कठिनाई के निराकरण हेतु राजाज्ञा जारी की जा चुकी है और निदेशालय द्वारा वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है ।
6—इटावा	श्रीमती कृपेश्वरी शुक्ला, इटावा ।	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, काशीपुर, एल० टी० वेतन-क्रम ।	वेतन निर्धारण हो चुका है ।
7—इटावा	श्रीमती शीला मिश्रा, बसरेहर (इटावा) ।	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महोबा, (हमीरपुर) एल० टी० वेतन-क्रम ।	वेतन निर्धारण हो चुका है ।
8—इटावा	श्रीमती दुर्गावती धनगर, भरथना (इटावा) ।	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, फतेहगढ़ सी० टी० वेतन-क्रम ।	वेतन निर्धारण हो चुका है ।
9—इटावा	श्रीमती त्रिशला जैन, विधुना (इटावा) ।	राजकीय महिला जूनियर ट्रेनिंग कालेज, स्याऊ चान्दपुर (बिजनौर) एल० टी० वेतन-क्रम ।	निदेशक हरिजन कल्याण विभाग से आवश्यक पत्रादि प्राप्त न होने के कारण वेतन निर्धारित नहीं हो सका है । कार्यवाही जारी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1319 पर)

उत्तर प्रदेश बेकारी निवारण विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश में शिक्षित तथा अशिक्षित बेकारों को काम देने के लिये सम्पूर्ण बेकारी निवारण करने के लिए

विधेयक

भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धान्तों के धारा 41 के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि राज्य में सम्पूर्ण रूप से बेकारी का निवारण किया जाय।

अध्याय 1

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेकारी निवारण अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह विधेयक 2 अक्तूबर, 1972 से लागू होगा ।

2—परिभाषाएं—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:—

(1) बेकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड या उसके समकक्ष किसी परीक्षा पास या किसी विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी विद्यालय द्वारा परीक्षा पास व्यक्ति से है चाहे वह प्राविधिक या कोई अन्य परीक्षा पास किया हो । इस सम्बन्ध में इसका अर्थ यह भी होगा जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी आई० टी० आई०, जी० टी० आई० या किसी पालीटेक्निक स्कूल से कोई परीक्षा पास व्यक्ति से है या ऐसी सभी व्यक्तियों से है जो अपना नाम बेरोजगार दफ्तर में दर्ज करायें ।

(2) सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

(3) अदालत का तात्पर्य जिला जज की अदालत से है ।

(4) भत्ता का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा बेकारों को दिये जाने वाले उस भत्ते से है जो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाय ।

अध्याय 2

बेकारों की संख्या का निर्धारण

3—इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक के पश्चात् 3 माह तक राज्य के बेरोजगार दफ्तरों में जो व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा लें, ऐसे सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों की संख्या में गिना जायगा और अन्तिम तिथि को राज्य सरकार द्वारा ऐसी संख्या एकत्रित कर ली जायगी ।

संख्या निर्धारण के पश्चात् काम देने का राज्य सरकार का उत्तरदायित्व

4—राज्य सरकार ऐसी संख्या निर्धारित एवं एकत्रित करने के बाद प्रत्येक वयस्क एवं व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर 3 माह के अन्तर्गत काम देने की व्यवस्था करेगी और उसे वही उपलब्धियां प्राप्त होगी जो उसकी योग्यता के आधार पर किसी भी राजकीय सेवा में सरकार द्वारा दी जाती हैं ।

5—राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जिनको काम देने में असमर्थ होगी उन्हें काम देने की तिथि तक उतना बेकारी का भत्ता देगी जितना उसे काम पाने के पश्चात् सभी प्राप्त उपलब्धियों का 50 प्रतिशत हो ।

काम के अभाव में बेकारी का भत्ता।

6—राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से 2 अक्तूबर तक उपरोक्त विधि में जो धारा 3 में निर्धारित है बेकारों की संख्या निर्धारित करेगी और उन्हें धारा 4 और 5 के अन्तर्गत काम या बेकारी का भत्ता देने की व्यवस्था करेगी ।

प्रत्येक वर्ष बेकारों की संख्या का निर्धारण एवं उन्ह भत्ते या काम की व्यवस्था।

7—ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे राज्य सरकार द्वारा उचित समय में काम या बेकारी भत्ता न मिला हो वह जिला जज की अदालत में ऐसे भत्ता प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है जिसका भुगतान राज्य सरकार के लिये अनिवार्य होगा ।

बेकार व्यक्तियों द्वारा अदालत से डिग्री प्राप्त करने का अधिकार।

8—राज्य सरकार इस अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा नियम बनायेगी जो सरकारी गजट में प्रकाशित होगा और राज्य विधान मण्डल के उपवेशन में 15 दिन सदन के पटल पर रक्खा जायगा ।

राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति।

उद्देश्य तथा कारण

प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने एवं हर व्यक्ति के काम पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के निर्देशन के अनुकूल बेकारों को काम या भत्ता देना आवश्यक है।

अतएव यह विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है।

गिरजा शंकर तिवारी,
राजेन्द्र प्रताप सिंह,
बंशीधर पांडेय,
कल्पनाथ सिंह,
सदस्य विधान सभा।

अविकल प्रति

पी० एस० य० पी०—ए० पी० 150 एल० ए०—1973—835।